




राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board



वार्षिक प्रतिवेदन  
Annual Report  
2017-18

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार  
National Horticulture Board  
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India





राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

# राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NATIONAL HORTICULTURE BOARD वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT 2017-18



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
NATIONAL  
HORTICULTURE BOARD

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India

प्लॉट नं. 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)

Plot No. 85, Institutional Area, Sector- 18, Gurugram- 122015 (Haryana)

दूरभाष/Tel.: 0124 - 2342992, फैक्स/Fax: 0124 - 2342991, 2341225

वेबसाइट/Website: [www.nhb.gov.in](http://www.nhb.gov.in)





## विषय-सूची

### प्रस्तावना

#### 1. संगठन

- 1.1 दृष्टिकोण
- 1.2 मिशन
- 1.3 उद्देश्य

#### 2. ढँचा

- 2.1 निदेशक मंडल
- 2.2 राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रबंध समिति

#### 3. संसाधन

- 3.1 हमारे लोग
- 3.2 हमारा नेटवर्क
- 3.3 हमारी अवसंरचना

#### 4. वित्त-पोषण

#### 5. योजनाएँ/कार्यक्रम

##### 5.1 उत्पादन एवं फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास

##### 5.1.1 परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास

- 5.1.2 परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास
- 5.1.3 एकीकृत फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएँ
- 5.1.4 उपलब्धियाँ

##### 5.2 बागवानी उत्पादों हेतु शीत संग्रहगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी योजना

- 5.2.1 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-1 – एकल तापमान जोन के साथ मूल प्रकार
- 5.2.2 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-2 – बहु तापमान जोनों और मूल सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के साथ
- 5.2.3 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-2 – नियंत्रित वातावरण के लिए शामिल प्रौद्योगिकी के साथ
- 5.2.4 प्रौद्योगिकी समावेशन और कोल्ड चेन का आधुनिकीकरण
- 5.2.5 उपलब्धियाँ

##### 5.3 बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण

- 5.3.1 उद्देश्य
- 5.3.2 घटकों और सहायता का तरीका
- 5.3.3 उपलब्धियाँ

##### 5.4 बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा

- 5.4.1 उद्देश्य

##### 5.5 बागवानी संवर्धन सेवाएँ/विशेषज्ञ सेवाएँ और रा.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढीकरण

### मुख्य विशेषताएँ : 2017-18

#### 1. वाणिज्यिक बागवानी का संवर्धन

- क) वाणिज्यिक बागवानी – खुला क्षेत्र खेती
- ख) वाणिज्यिक बागवानी – फूलों और सब्जियों की संरक्षित खेती
- ग) फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु सहायता
- घ) गुणवत्ता रोपण सामग्री
- ड.) पूरक गतिविधियाँ

#### 2. कोल्ड स्टोरेज क्षमता का सृजन

#### 3. बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण

- क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- ख) गुणवत्ता रोपण सामग्री

#### 4. माननीय राष्ट्रपति द्वारा हिन्दी दिवस समारोह-2017 में रा.बा.बो. को “राजभाषा कीर्ति पुरस्कार” प्रदान किया गया

#### 5. सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण), भारत सरकार द्वारा बेंगलुरु जिले (कर्नाटक) एवं नाशिक जिले (महाराष्ट्र) में रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का भ्रमण किया गया

#### 6. सबका साथ सबका विकास विश्लेषण : भौगोलिक समावेशन एवं सामाजिक समावेशन

### संलग्नक

1. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य
2. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची- 31-03-2018 के अनुसार
3. स्टॉफ स्थिति- 31-03-2018 के अनुसार
4. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके सम्पूर्ण पते सहित
5. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रकाशनों की सूची
6. वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वार्षिक लेख



## प्रस्तावना

यह बहुत ही गर्व की बात है कि देश का बागवानी उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से आगे निकलकर लगातार 306.8 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुँच गया है। भारत ने वैश्विक स्तर पर फलों तथा सब्जियों के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश की अपनी जगह बनाये रखी है। फलों का मौजूदा उत्पादन (97 मिलियन मीट्रिक टन) और सब्जियाँ 179.69 मिलियन मीट्रिक टन) न केवल फलों और सब्जियों के मामले में देश के लिए आईसीएमआर ईएसी 2008 अनुशंसित आहार संबंधी अंश (400 ग्रा./व्यक्ति/दिन) को पूरा करता है अपितु मौजूदा उत्पादन आईसीएमआर द्वारा अपने विज़न 2030 में फलों तथा सब्जियों की अनुमानित माँग (110 मिलियन मीट्रिक टन फल और 180 मिलियन मीट्रिक टन सब्जियाँ) को पूरा करने के काफी करीब है। यह राष्ट्र की खाद्य और पोषण-संबंधी सुरक्षा को पूरा करने के लिए उत्पादन को पूरा करने हेतु भारतीय किसानों की तत्परता और जोखिम भरी उद्यमिता को प्रदर्शित करता है। समय के साथ, यह देखना प्रशंसनीय है कि समग्र कृषि क्षेत्र में बागवानी क्षेत्रों का योगदान बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

चूँकि 1984 में अपने प्रारंभ से, रा.बा.बो. ने 1987-1990 की बाजार सूचना सेवा तथा प्रौद्योगिकी जागरूकता योजनाओं से अपनी विनीत यात्रा की शुरुआत के साथ, सुलभ ऋण योजना के शुभारंभ, वाणिज्यिक बागवानी, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण तथा कोल्ड स्टोरेजों के लिए वर्ष 2000 से क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंड सब्सिडी योजना की शुरुआत करके बागवानी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वर्ष 2014-15 से, रा.बा.बो. के नए प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के साथ वाणिज्यिक बागवानी के योजनाबद्ध विकास को गति प्रदान करने के लिए रा.बा.बो. को एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अधीन लाया गया है। इसके अलावा, रा.बा.बो. आईसीएमआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण को बढ़ावा देता रहा है।

वर्ष 2017-18 रा.बा.बो. के लिए दूसरा विख्यात वर्ष रहा है। वर्ष के दौरान विकास की विशिष्टताओं में से कुछ में 4483.54 हैक्टेयर क्षेत्र (खुला क्षेत्र परिस्थिति और संरक्षित परिस्थिति) में वाणिज्यिक बागवानी की 2012 परियोजनाओं की स्थापना, 21 इकाईयों से कोल्ड स्टोरेज की 1,25,289 मी.ट. क्षमता का सृजन, 96 पैक हाऊस/ग्रेडिंग पैकिंग लाइन/प्री-कूलिंग इकाईयाँ/कोल्ड रूम/राइपनिंग चेम्बर इकाईयाँ/रीफर वैन परियोजनाएँ, 37 मशरूम इकाईयाँ और संयंत्र तथा मशीनरी परियोजनाएँ और 115 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयाँ शामिल हैं। 203 फल तथा सब्जी नर्सरियों को भी वर्ष के दौरान प्रमाणित किया गया था।

इन सभी परिपूर्णता के बीच उत्पादन को कायम रखने के लिए, यह प्रासंगिक है कि हम प्रश्न उठाएँ जैसे – क्या उत्पादन में वृद्धि से उत्पादकों की कृषि कुल आय/लाभों में बढ़ोतरी हुई है? क्या कीमतें उपभोक्ता के लिए वहनीय हैं? उत्पादित फल और सब्जियाँ कितनी सुरक्षित हैं? कितना उत्पाद मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्कृत किया जा रहा है? क्या हम मजबूती वाले क्षेत्रों में वैश्विक बाजार का इस्तेमाल कर रहे हैं? विविध साझेदारों के साथ इन मुद्दों पर विचार-मंथन करने पर, लगातार यह सिद्ध होता है कि भारतीय बागवानी को इसके सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए चिह्नित तथा ज्ञान मुद्दों जैसे बागवानी फसल खेती को लाभकारी बनाना, सुरक्षित तथा स्वास्थ्यकारी उत्पाद का उत्पादन करना, धारण काल को बढ़ाना/फसल-कटाई उपरांत नुकसानों में कमी लाना, कीमत खोज में पारदर्शिता लाना और बाजार कुशलता में सुधार करना, प्रसंस्करण तथा निर्यातों में वृद्धि करना आदि पर ध्यान देना होगा।

चुनौती तथा जिम्मेदार टीम के महत्व को समझने के हमारे प्रयास में, यह प्रमुखता से निकलकर आया है कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में साझेदार हैं जैसे – उत्पादक, सरकारें – केंद्रीय-डीएसीएंडएफडब्ल्यू (एमआईडीएच, एनएचबी, एनसीडीसी, डीएमआई), आईसीएमआर-डीएआरई, वाणिज्य विभाग (एपीडा), एमओएफपीआई, एमओएचएंडएफडब्ल्यू और अन्य तथा राज्य सरकारें; प्रसंस्करणकर्ताओं, विशेषज्ञों सहित उद्योग आदि। बहुत बार सरकारी एजेंसियाँ अलग-अलग कार्य करती रहती हैं, इस तरह संमिलन, सहक्रियता, परिचालनों के मान, परिणामों तथा सफलता की



संभावना का उपयोग नहीं हो रहा है।

**विकासशील देशों में कृषि-आधारित समूह : वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी रहना** (2010) पर एफएओ सामाजिक पत्र में सफलता कहानियों के साथ दृष्टांत समूह दृष्टिकोण में बागवानी के लिए मौजूद विशाल संभावना में अच्छी परख दी गई है। इस पत्र का सबसे विद्वत अंश 5 अनिवार्य तत्व हैं जो उत्पादकों का समूह अथवा फार्मों को समूह में बदलते हैं जैसे,

1. उत्पादकों के साथ क्षैतिज संबंध, जो उत्पादकों के सहकारी संघ अथवा विभिन्न प्रकार के छोटे कारोबारियों का संघ का रूप लेता है;
2. कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं और उत्पादन आगतों, कृषि उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा निर्यातकों, ब्रांडिड क्रेताओं तथा खुदरा व्यापारियों के बीच सीधा संबंध;
3. उत्पादकों तथा मददगार संगठनों (जैसे स्थानीय सरकारें, कारोबार सेवा प्रदाता, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय तथा गैर-सरकारी सेवा संगठन) के बीच सहयोग संबंध जो श्रृंखला की गुणवत्ता, कुशलता तथा वहनीयता पहलुओं को मजबूत बनाता है।
4. चिह्नित लक्षित बाजार(ों) को सेवा प्रदान करना।
5. सामूहिक ब्रांडिंग द्वारा उत्पाद का संवर्धन करना।

यह इस परिदृश्य में कि रा.बा.बो. (अप्रैल 2018 से) पिछले 8 महीनों में उत्पादकों, ग्राहकों, उद्योग तथा राष्ट्र के समग्र विकास तथा लाभ को गति प्रदान करने के लिए संभव रास्ता तैयार करने हेतु भारतीय बागवानी की बड़ी तस्वीर को समझने का प्रयास कर रहा है।

अंत में, बागवानी विकास के क्षेत्र में बोर्ड की उल्लिखित उपलब्धियाँ रा.बा.बो. के निदेशक मंडल तथा प्रबंध समिति के योग्य मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं होती, जिसके लिए मैं श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष; श्री परशोत्तम रूपाला, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और बोर्ड के उपाध्यक्ष और रा.बा.बो. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं श्री एस.के. पटनायक, सचिव (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का उनके नियमित मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। मैं वर्ष 2017-18 अवधि के दौरान रा.बा.बो. के सभी 3 प्रबंध निदेशकों अर्थात् डा. ए.के. सिंह मौजूदा उप महानिदेशक, आईसीएआर (बागवानी) और तत्कालीन प्रबंध निदेशक, रा.बा.बो.; डा. पी. शकील अहमद, आईएएस एवं तत्कालीन संयुक्त सचिव (एमआईडीएच) एवं प्रबंध निदेशक, रा.बा.बो. (अतिरिक्त प्रभार) और श्री दिनेश कुमार, आईएएस मौजूदा संयुक्त सचिव एवं प्रबंध निदेशक, रा. बा.बो. (अतिरिक्त प्रभार) का इस अवधि के दौरान नेतृत्व प्रदान करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। लक्ष्यों को प्राप्त करने में रा.बा.बो. के अधिकारियों और स्टाफ द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट सहयोग को भी मैं अंकित करता हूँ।

(डा. मुहम्मद आरीज़ अहमद)  
प्रबंध निदेशक



## 1. संगठन

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) की स्थापना भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1984 में डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन, तत्कालीन सदस्य (कृषि), योजना आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में “विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह” की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है तथा इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है।

### 1.1 दृष्टिकोण

- इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वाणिज्यिक बागवानी न केवल भोजन तथा पोषण सुरक्षा मुहैया करवाती है बल्कि बेहतर आर्थिक लाभ तथा किसानों हेतु जोखिम के न्यूनीकरण हेतु फसल विविधता के लिए मार्ग भी प्रशस्त करती है, वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के माध्यम से निजी निवेश हेतु समन्वित प्रयासों द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है।
- इस क्षेत्र में समूह में वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार, कटाई उपरांत प्रबंधन से संबंधित अवसंरचना के साथ प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतरण के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रयास, उत्पाद संवर्धन, विपणन तथा निर्यात शामिल हैं।
- इस दृष्टिकोण के साथ, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड संसाधनों के बेहतर उपयोग, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा पैमाने में वृद्धि का लाभ उठाने हेतु उत्पादक किसानों को एकत्र करके संभावित समूहों में वाणिज्यिक बागवानी के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है।

### 1.2 मिशन

- उत्पादक केंद्र के विकास और गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देना।
- कटाई उपरांत प्रबंधन तथा हरित शीत श्रृंखला अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना।
- गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास एवं हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
- उत्पादकों, किसानों, विस्तार कामगारों, अनुसंधान संगठनों, निजी शेयरधारकों और ऋण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग के माध्यम से उत्पाद संवर्धन, बाजार विकास और निर्यात संवर्धन।

### 1.3 उद्देश्य

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य उद्देश्य बागवानी उद्योग के समेकित विकास में सुधार करना है और फलों तथा सब्जियों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बनाए रखने के लिए समन्वयन में सहायता प्रदान करना है। बोर्ड के विस्तृत उद्देश्य **संलग्नक-1** में दिए गए हैं।





## 2. बांचा

### 2.1 निदेशक मंडल

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सभी क्रियाकलापों का प्रबंधन एक शीर्ष निकाय "निदेशक मंडल" द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख इसके अध्यक्ष के रूप में माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं तथा माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। बोर्ड के अन्य सदस्य हैं:

क्र.सं.	सदस्य का पदनाम	पद
1	केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री	अध्यक्ष (पदेन)
2	केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष (पदेन)
3	केंद्रीय सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
4	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	सदस्य (पदेन)
5	अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
6	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
7	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एम.आई.डी.एच.), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य(पदेन)
8	बागवानी आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
9	सलाहकार (कृषि), नीति आयोग	सदस्य (पदेन)
10	अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	सदस्य (पदेन)
11	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) का प्रतिनिधि	सदस्य (पदेन)
12	किसी अन्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जिसे विशेषतः अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आमंत्रित किया जा सकता है	सदस्य (पदेन)
13	बागवानी उद्योग के 11 प्रतिनिधि जो सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, प्रख्यात बागवानी-विशेषज्ञ तथा बागवानी उत्पाद के अग्रणी निर्यातक होंगे। (केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)	गैर-सरकारी सदस्य
14	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य सचिव (पदेन)

निदेशक मंडल के सदस्यों की सूची, 31-03-2018 के अनुसार, संलग्नक- II में दी गई है।

### 2.2 रा.बा.बो. की प्रबंध समिति

केंद्रीय सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में इसके प्रमुख हैं। इस समिति को बोर्ड के मामलों एवं कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है। प्रबंध समिति का संघटन निम्नलिखित है:



क्र.सं.	सदस्य का पदनाम	पद
1	केंद्रीय सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	अध्यक्ष (पदेन)
2	अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
3	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
4	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एम.आई.डी.एच.), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
5	बागवानी आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
6	अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीडा)	सदस्य (पदेन)
7	महाप्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य (पदेन)
8	किसानों का एक प्रतिनिधि (केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)	सदस्य
9	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य सचिव (पदेन)

### 3. संसाधन

#### 3.1 हमारे लोग

प्रबंध निदेशक, इस बोर्ड के मुख्य कार्यपालक हैं जिनके सहायतार्थ तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रभाग हैं। स्वीकृत किए गए और भरे गए पदों के ब्योरे संलग्नक-III में दिए गए हैं।

#### 3.2 हमारा नेटवर्क

इस बोर्ड का प्रधान कार्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में बोर्ड के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची संलग्नक-IV में दी गई है।

#### 3.3 हमारी अवसंरचना

1. 5.4 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत ही सुव्यवस्थित हरा-भरा परिसर।
2. प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कार्य वातावरण।
3. बागवानी प्रकाशनों की व्यापक श्रृंखला के साथ एक सुसज्जित पुस्तकालय।
4. प्रधान कार्यालय में समिति हॉल, अतिथि गृह तथा कैंटीन सुविधाएँ।
5. पोली हाऊस तथा नेट हाऊस हेतु प्रदर्शन इकाईयाँ।

### 4. वित्त-पोषण

बोर्ड के कार्यकलापों का वित्त-पोषण पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय के ब्योरे निम्नलिखित हैं:-



(राशि लाख रु. में)

योजना का नाम	प्राप्त अनुदान	अव्ययित शेष जमा (01-04-2018 के अनुसार)	कुल उपलब्ध निधि	किया गया व्यय
एन.एच.बी.	53966.00*	1685.78*	54864.08*	36259.76
एन.एच.एम. (टीएसजी)	200.00	59.00	259.00	157.80
एन.बी.एम. (टीएसजी)	--	10.47	10.47	8.10

\* वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 787.70 लाख की राशि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को वापिस की गई थी।

## 5. योजनाएँ/कार्यक्रम

अपने प्रारंभ काल से ही राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने बागवानी फसलों में पद्धतियों तथा प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन के आधुनिक पैकेज के बड़े पैमाने पर अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं चलाई हैं। योजनाओं का वर्तमान सार-संग्रह उच्च गुणवत्ता वाले वाणिज्यिक उत्पादन को अर्जित करने, फसल-कटाई उपरांत अवसंरचना तथा शीत श्रृंखला सुविधाएँ सृजित करने और उत्पादन तथा फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए मध्यवर्तन का एक सैट है। योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ और वर्ष 2017-18 के दौरान अर्जित की गई उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:-

### 5.1 उत्पादन तथा फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास

इस घटक के अधीन, खुला क्षेत्र में एवं संरक्षित परिस्थितियों के अधीन वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजनाएं, फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन तथा प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

#### घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

क्र.सं.	विवरण	वर्णन	सहायता का तरीका
5.1.1	<b>परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास</b>	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में 2 हैक्टेयर (5 एकड़) से अधिक क्षेत्र कवर करने वाली परियोजनाओं हेतु एकीकृत वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाओं पर विचार करता है जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण, उम्दा खेती, जी.ए.पी. आदि शामिल हैं। मशरूम और ऊतक संवर्धन पर एकीकृत उत्पादन इकाई भी इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं। उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए फार्म मशीनरी और पी.एच.एम. अवसंरचना, सिंचाई एवं सूक्ष्म सिंचाई आदि जैसे घटक मौजूदा/नए बगीचों/परियोजनाओं में सहायता के लिए योजना के अधीन भी पात्र हैं।	क्रेडिट लिंकड बैंक-एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु 30.00 लाख प्रति परियोजना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु 37.50 लाख प्रति परियोजना है।



क्र.सं.	विवरण	वर्णन	सहायता का तरीका
5.1.2	<b>परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास</b>	यह बोर्ड 2500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए परियोजना मोड पर संरक्षित कवर के अधीन वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाएं शुरू करेगा जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण आदि शामिल होंगे। ग्रीन हाऊसों, शेड नेट हाऊसों के निर्माण, प्लास्टिक मल्लिंग, और प्लास्टिक सुरंग, पक्षी/पत्थर को रोकने वाले जालों आदि जैसी गतिविधियाँ सहायता के लिए पात्र हैं। तथापि, सहायिकी प्राप्त करने के लिए, सभी सामग्री/प्रौद्योगिकी निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए।	क्रेडिट लिंक्ड बैंक-एन्डिड सहायिकी स्वीकार्य लागत मानकों के अनुसार कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 56.00 लाख प्रति परियोजना है। (बोर्ड को उत्तर-पूर्व राज्यों में 1000 वर्ग मी. और अधिक क्षेत्र में संरक्षित खेती के अधीन परियोजनाएँ लेने की अनुमति दी गई है।)
5.1.3	<b>एकीकृत फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएं</b>	पैक हाऊस, राइपनिंग चैम्बर, प्रशीतन वैन, खुदरा आउटलेटों, प्री-कूलिंग इकाई, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि से संबंधित एकीकृत फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं को इस घटक के अधीन सहायता प्रदान की जाती है। रा. बा.बो. घटक मोड में पी.एच.एम. घटकों की अकेले चल सकने योग्य परियोजनाएं भी स्वीकार करता है।	क्रेडिट लिंक्ड बैंक-एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 50.75 लाख प्रति परियोजना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 72.50 लाख प्रति परियोजना है।

#### 5.1.4 उपलब्धियाँ

इस योजना के अंतर्गत, बोर्ड ने रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान 2012 परियोजनाएं मंजूर की थीं जिनमें रु. 29666.23 लाख की सहायिकी दी गई। परियोजनाओं में हाई-टेक बागवानी फसलें, ऊतक संवर्धन इकाईयां, पुष्पोत्पादन इकाईयां, मशरूम खेती, पैकिंग हाऊस की स्थापना, राइपनिंग चैम्बर, प्रशीतन वैन, खुदरा आउटलेट, प्री-कूलिंग इकाईयां, प्राथमिक प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण इकाईयां आदि शामिल हैं।



## खुले क्षेत्र में खेती



नाशिक जिले (महाराष्ट्र) में खुले क्षेत्र में अंगूरों की खेती



अनंतपुर जिले (आन्ध्र प्रदेश) में खुले क्षेत्र में अनार की खेती



खुले क्षेत्र (गुजरात) में निंबू फसल की खेती



कच्छ जिले (गुजरात) में खुले क्षेत्र में खजूर की खेती



कृष्णा जिले (आन्ध्रप्रदेश) में खुले क्षेत्र में अमरूद की खेती



रायपुर जिले (छत्तीशगढ़) में खुले क्षेत्र में केला की खेती



दीमापुर जिले (नागालैंड) में खुले क्षेत्र में अनानास की खेती



इदुक्की जिले (केरल) में खुले क्षेत्र में इलायची की खेती



## खुले क्षेत्र में खेती



कर्नाटक राज्य में पोली हाऊस में खीरे की खेती



पुणे जिले (महाराष्ट्र) में पोली हाऊस में रंगीन छिमला मिर्च



गुजरात राज्य में पोली हाऊस में खीरे की खेती



कर्नाटक राज्य में पोली हाऊस में कॉरनेशन की खेती



कर्नाटक राज्य में पोली हाऊस में जरबेरा की खेती



नाशिक जिले (महाराष्ट्र) में पोली हाऊस में गुलाब की खेती



पुणे जिले (महाराष्ट्र) में पोली हाऊस में जरबेरा की खेती



पुणे जिले (महाराष्ट्र) में पोली हाऊस में अंथूरियम



## संरक्षित खेती



अनंतपुर जिले (आन्ध्रप्रदेश) में पोली हाऊस में गुलाब की खेती



हिसार जिले (हरियाणा) में पोली हाऊस में लिलियम की खेती



लुधियाना जिले (पंजाब) में पोली हाऊस में जरबेरा की खेती



नैनिताल जिले (उत्तराखंड) में पोली हाऊस में लिलियम की खेती



खुर्द जिले (उड़ीसा) में पोली हाऊस में आर्किड की खेती



धावने जिले (महाराष्ट्र) में मशरूम उत्पादन इकाई



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

## प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई



नाशिक जिले (महाराष्ट्र) में किशमिश इकाई का प्राथमिक प्रसंस्करण



इदुक्की जिले (केरल) में इलायची का प्राथमिक प्रसंस्करण



बुरहनपुर जिले (उड़ीसा) में केला राइपनिंग इकाई





## प्रशीतन वैन



जम्मू कश्मीर में रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त प्रशीतन वैन

## ग्रेडिंग पैकिंग इकाई



गुजरात राज्य में चीकू ग्रेडिंग पैकिंग इकाई



हिमाचल प्रदेश राज्य में सेब ग्रेडिंग पैकिंग इकाई



## 5.2 बागवानी उत्पादों हेतु शीत संग्रहगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी योजना

नियंत्रित वातावरण (सी.ए.) सहित शीत संग्रहगारों और उनके आधुनिकीकरण से संबंधित क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाएं इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं।

### घटक का विवरण और सहायता का तरीका

क्र.सं.	विवरण	मर्दें	सहायता का तरीका
5.2.1	कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-1-एकल तापमान जोन के साथ मूल प्रकार	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर निम्नलिखित दरों के अनुसार विचार करता है: <ul style="list-style-type: none"><li>• @रु. 8000/मी.ट. 5000 मी.ट. तक की क्षमता के लिए</li><li>• @रु. 7600/मी.ट. 5001 से 6500 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए</li><li>• @रु. 7200/मी.ट. 6501 से 8000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए</li><li>• @रु. 6800/मी.ट. 8001 से 10000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए</li></ul>	क्रेडिट लिंक्ड बैंक-एन्डिड सहायिकी 5000 मी.ट. से अधिक की क्षमता के लिए परियोजना की लागत के 35 प्रतिशत (उत्तर-पूर्व, पहाड़ी क्षेत्रों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) की दर से। क्षमता की गणना के लिए 3.4 घन मीटर (घ.मी) (120 घन फीट {घ.फी.} चेम्बर मात्रा 1 मी.ट. क्षमता के समकक्ष मानी जाएगी। (बोर्ड को 1000 मीट्रिक टन अथवा अधिक क्षमता के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएँ लेने की अनुमति दी गई है।
5.2.2	कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-2 – बहु तापमान जोनों और मूल सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के साथ	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर निम्नलिखित दरों के अनुसार विचार करता है: <ul style="list-style-type: none"><li>• @रु. 10000/मी.ट. 5000 मी.ट. तक की क्षमता के लिए</li><li>• @रु. 9500/मी.ट. 5001 से 6500 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए</li><li>• @रु. 9000/मी.ट. 6501 से 8000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए</li><li>• @रु. 8500/मी.ट. 8001 से 10000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए</li></ul>	अनुसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) की दर से। क्षमता की गणना के लिए 3.4 घन मीटर (घ.मी) (120 घन फीट {घ.फी.} चेम्बर मात्रा 1 मी.ट. क्षमता के समकक्ष मानी जाएगी। (बोर्ड को 1000 मीट्रिक टन अथवा अधिक क्षमता के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएँ लेने की अनुमति दी गई है।
5.2.3	कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-2 – नियंत्रित वातावरण के लिए शामिल प्रौद्योगिकी के साथ	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर ऊपर दी गई टाइप 2 दरों के अनुसार विचार करता है। अतिरिक्त रु. 10,000/मी.ट. नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी के साथ जोड़े गए के लिए घटक वार लागत के अनुसार।	अनुसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) की दर से। क्षमता की गणना के लिए 3.4 घन मीटर (घ.मी) (120 घन फीट {घ.फी.} चेम्बर मात्रा 1 मी.ट. क्षमता के समकक्ष मानी जाएगी। (बोर्ड को 1000 मीट्रिक टन अथवा अधिक क्षमता के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएँ लेने की अनुमति दी गई है।
5.2.4	प्रौद्योगिकी समावेशन और कोल्ड चैन का आधुनिकीकरण	<ul style="list-style-type: none"><li>• @रु. 5000/मी.ट. क्षमता 5001 से 10000 मी.ट. के बीच के लिए</li><li>• आधुनिकीकरण के घटकों में शामिल हैं – पीएलसी घटक, पैकिंग लाइन, डॉक लेवलर, एडवांस ग्रेडर्स, वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ, स्टेकिंग प्रणाली, इन्स्यूलेशन और रेफरिजेशन का आधुनिकीकरण आदि।</li></ul>	अनुसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) की दर से। क्षमता की गणना के लिए 3.4 घन मीटर (घ.मी) (120 घन फीट {घ.फी.} चेम्बर मात्रा 1 मी.ट. क्षमता के समकक्ष मानी जाएगी। (बोर्ड को 1000 मीट्रिक टन अथवा अधिक क्षमता के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएँ लेने की अनुमति दी गई है।



### 5.2.5 उपलब्धियाँ

इस योजना के अधीन, बोर्ड ने रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोल्ड स्टोरेजों/सीए स्टोरेजों की 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें 1,25,289 मी.ट. की क्षमता के सृजन के लिए रु. 4476.76 लाख की सब्सिडी दी गई है।

#### कोल्ड स्टोरेज/सीए स्टोरेज



हरियाणा राज्य में रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त कोल्ड स्टोरेज



हरियाणा राज्य में रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त सीए स्टोरेज



### 5.3 बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण

#### 5.3.1 उद्देश्य

वाणिज्यिकीकरण/अंगीकरण के लिए चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों को लोकप्रिय बनाने हेतु परियोजनाएँ निम्नलिखित उप-घटकों के माध्यम से चलाई जाएंगी:

#### 5.3.2 घटकों और सहायता का तरीका

क्र.सं.	घटक	सहायता का तरीका
i	ब्लॉक/मदर प्लांट तथा रूट स्टॉक नर्सरी की स्थापना (क्षेत्र 4 है० से अधिक)	परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और वायरस इंडेक्सिंग, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला आदि सहित प्रभावी नर्सरी क्षेत्र के लिए रु० 100.00 लाख/है० की दर से केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से।
ii	बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मूल्यांकन और व्यापक बहुलीकरण हेतु अन्य देशों से रोपण सामग्री के आयात सहित प्रौद्योगिकियों का अभिग्रहण।	परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से रु० 50.00 लाख/परियोजना की दर से।
iii	प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए बागवानी हेतु नई मशीनों तथा औजारों का आयात/खरीद।	रु० 50.00 लाख/मशीन। कुल लागत का 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से। रा.बा.बो. द्वारा संवर्धित उत्पादक संघों और सहकारी सोसाइटियों तथा किसान उत्पादक संगठन के प्रस्तावों पर भी निदेशक मंडल के निदेशानुसार गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है।
iv	उच्च गुणवत्तायुक्त वाणिज्यिक उत्पादन के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास एवं हस्तांतरण:- (i) नए फार्म आगत के प्रारम्भ और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के लिए पाइलट परियोजना। (ii) पीएचएम, कोल्ड चेन, प्राथमिक प्रसंस्करण और पीएचएम, स्टोरेज तथा प्रहस्तन के लिए नए औजारों/उपस्करों/मशीनरियों के प्रारम्भ से संबंधित नए प्रोटोकॉल का विकास और परिचय। (iii) उत्पादन, पीएचएम, पैकेजिंग, स्टोरेज, प्रहस्तन तथा परिवहन आदि से संबंधित विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए आर एंड डी परियोजनाएं।	कुल लागत के 100 प्रतिशत रूप में रु० 25.00 लाख/परियोजना तक और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के माध्यम से।
v	लम्बी दूरी के परिवहन और रेल के माध्यम से बागवानी उत्पादों के थोक आवागमन को सुगम बनाने के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान घटक।	परियोजना आधारित रु० 2000.00 लाख।



क्र.सं.	घटक	सहायता का तरीका
vi	उत्पाद संवर्धन और बाज़ार विकास सेवाएँ – हार्टि-फेअर	रु0 25.00 लाख – केन्द्रीय नोडल अभिकरण द्वारा लागत का 100 प्रतिशत।
vii	किसानों का रहस्योद्घाटन दौरा (राज्य के बाहर)	परियोजना आधारित – लागत के वास्तविक 100 प्रतिशत के अनुसार।
viii	सरकारी अधिकारियों के लिए विदेश दौरा	रु0 6.00 लाख प्रति प्रतिभागीदार– हवाई/रेल यात्रा तथा पाठ्यक्रम शुल्क का 100 प्रतिशत।
ix	बागवानी के विकास के लिए संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रदर्शिनियों आदि का आयोजन/भागीदारी।	(i) वित्तीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय आयोजन (3–5 दिन) के लिए रु0 10.00 लाख, राष्ट्रीय आयोजन के लिए रु0 5.00 लाख, राज्य–स्तरीय आयोजन के लिए रु0 3.00 लाख और जिला–स्तरीय आयोजन के लिए रु0 0.50 लाख तक सीमित होगी। (ii) अल्पावधि (1–2) संगोष्ठियों के मामले में, वित्तीय सहायता निम्नानुसार सीमित होगी: <ul style="list-style-type: none"><li>रु0 1.00 लाख प्रति राज्य–स्तरीय आयोजन के लिए;</li><li>रु0 2.00 लाख प्रति राष्ट्रीय–स्तरीय आयोजन के लिए, और</li><li>रु0 3.00 लाख प्रति अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए (भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन/भागीदारी)।</li></ul>
x	फल और सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन और रेटिंग	रु0 1.00 लाख/नर्सरी – केन्द्रीय नोडल अभिकरण (रा.बा.बो.) द्वारा।

### 5.3.3 उपलब्धियाँ

इस योजना के तहत, रा.बा.बो. ने नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत, प्रगतिशील किसानों के दौरो, हार्टि संगम, संगोष्ठियों/गोष्ठियों/प्रदर्शिनियों के आयोजन/भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मदर प्लांट नर्सरियों आदि के लिए 71 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है और रु0 171.16 लाख की वित्तीय सहायता राशि जारी की है।



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board



माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी 17-21 फरवरी, 2018 तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित राष्ट्रीय केला उत्सव-2018 के दौरान

आईएआरआई पूसा, नई दिल्ली (15-17 मार्च 2018) में कृषि उन्नति मेला में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का स्टॉल



राष्ट्रीय कृषि मेला -2017 मोतिहारी (बिहार) - 15-19 अप्रैल 2017



## फल एवं सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन एवं मूल्यांकन



राजस्थान राज्य में फल पौधा नर्सरी प्रमाणन एवं मूल्यांकन



गुजरात राज्य में सब्जी नवांकुर नर्सरी प्रमाणन एवं मूल्यांकन

### 5.4 बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा

रा.बा.बो. द्वारा बाजार सूचना सेवाएँ बाजार सूचना संग्रहीत करने और महत्वपूर्ण फलों, सब्जियों तथा फूलों आदि के लिए देश के विभिन्न बाजारों में थोक कीमतों, आवकों तथा रुझानों का विश्लेषण करने और बाजार आसूचना रिपोर्टों के प्रसार के लिए खुदरा कीमतों हेतु बहुत महत्वपूर्ण हैं। रा.बा.बो. द्वारा वर्तमान में कवर किए जा रहे 36 फल तथा सब्जी बाजारों की संख्या बढ़ाकर 50 की जाएगी। यह कार्य मौजूदा विपणन/प्रोफेशनल एजेंसियों/बेरोजगार कृषि स्नातकों अथवा मण्डी में मान्यता प्राप्त/स्थापित आढ़तियों आदि से रा.बा.बो. द्वारा यथा निर्णीत निर्धारित मासिक पारिश्रमिक (परिवहन सहित) तथा रा.बा.बो. को सूचना संप्रेषित (फैक्स, इंटरनेट और दूरभाष) करने पर वास्तविक व्यय आधार पर आउटसोर्स द्वारा करवाया जाएगा। सूचना संग्रहण के लिए संभाव्य बाजारों की पहचान करने के लिए रा.बा.बो. संबद्ध राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगा। ऑन-लाइन प्राप्ति, आंकड़ा प्रविष्टि, विश्लेषण, प्रचार-प्रसार तथा वेबसाइट प्रबंधन के लिए रा.बा.बो., गुरुग्राम में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्तावित एम.आई.एस. प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य चयनित प्रोफेशनल एजेंसी की आउटसोर्स सेवाओं द्वारा भी किया जाएगा। कंप्यूटरीकरण, प्रौद्योगिकी पैकेज के विकास, आंकड़े प्रविष्टि आदि कार्य करने के लिए एम.आई.डी.एच. के टीएसजी घटक के अधीन अनुमोदित दरों पर जरूरत के अनुसार स्टाफ जैसे वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर और आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक तथा बागवानी सहायक आउटसोर्स किए जाएंगे। यह प्रकोष्ठ इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रौद्योगिकी पैकेजों का विकास करने और प्रचार, मुद्रित साहित्य आदि तथा स्थानीय विज्ञापनों के माध्यम से सूचना प्रचार-प्रसार के लिए जवाबदेह होगा। वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत बोर्ड द्वारा ₹ 955.68 लाख की राशि व्यय की गई है।



### 5.4.1 उद्देश्य

- महत्वपूर्ण फलों, सब्जियों तथा फूलों आदि हेतु देश के विभिन्न बाजारों में थोक मूल्यों, उनकी आवक तथा रुझानों और चयनित बाजारों की वर्धित संख्या के लिए खुदरा मूल्यों पर भी जानकारी सृजित करना।
- चयनित फल और सब्जियों जैसे संग्रहगार में स्टॉक, खड़ी फसल आदि की आवकों के रुझानों, कीमतों तथा अन्य संबंधित कारकों का विश्लेषण करना और बाजार आसूचना प्रतिवेदन सृजित करना।
- बाजार सूचना डाटा के कुशलता तथा समय पर उपयोग हेतु उसके तीव्रता से एकत्रीकरण तथा प्रसार के लिए एक राष्ट्रव्यापी संचार नेटवर्क स्थापित करना।
- विशेष रूप से उत्पादकों के सर्वोत्तम प्रतिलाभों हेतु सृजित और संग्रहीत किए गए ऐसे आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए किसानों के लिए सलाह तैयार करना और उत्पादक किसानों के लाभ के लिए इसे जारी करना।
- बागवानी डाटाबेस संग्रहीत और संकलित करना और जहाँ तक संभव हो 'फसल अनुमानन सर्वेक्षण—फल एवं सब्जियाँ' (सी.ई.एस.—एफ एंड वी) की मौजूदा प्रणाली का सुदृढीकरण।
- प्रचार, विज्ञापनों, फिल्मों, मुद्रित साहित्य आदि के माध्यम से सूचना का प्रचार—प्रसार।
- आई.टी. के माध्यम से साझा किए जाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रौद्योगिकी पैकेजों का विकास।

रा.बा.बो. के प्रकाशनों के ब्योरे **संलग्नक-V** पर दिए गए हैं।

### 5.5 बागवानी संवर्धन सेवाएँ/विशेषज्ञ सेवाएँ और रा.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढीकरण

इस घटक के अधीन, विशेष तरह के अध्ययन और सर्वेक्षण किए जाएंगे और अध्ययन/सर्वेक्षण प्रतिवेदन लक्षित लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। इसके अलावा, तकनीकी प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी अथवा ध्येय स्थापित किया जाएगा और सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

रा.बा.बो. द्वारा यह कार्य अपनी मैनपावर और आउटसोर्स विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ किया जाता है और इस योजना के अधीन, नोडल संगठनों अर्थात् स्वयं रा.बा.बो., राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र और इसके अधीन संगठन, केन्द्रीय सरकार के संगठनों/अभिकरणों और अन्य संगठनों जैसे भारतीय गुणवत्ता परिषद्/एन.एच.आर.डी.एफ., आदि के माध्यम से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के अधीन रु0 989.92 लाख की राशि व्यय की गई है।





## मुख्य विशेषताएँ : 2017-18

### 1. वाणिज्यिक बागवानी का संवर्धन

- क) **वाणिज्यिक बागवानी-खुला क्षेत्र खेती** : विभिन्न फलों, मसालों, सुगंधित पौधों की परियोजना मोड खुले क्षेत्र परिस्थितियों वाली 896 वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के लिए जिसमें 9899.09 एकड़ क्षेत्र शामिल है और रु. 5384.74 लाख की सहायिकी उपलब्ध करवाई गई है।
- ख) **वाणिज्यिक बागवानी - फूलों और सब्जियों की संरक्षित खेती** : फूलों और सब्जियों की संरक्षित परिस्थितियों वाली 852 परियोजनाओं के लिए जिसमें 1309.75 एकड़ क्षेत्र शामिल है और रु. 20389.02 लाख की सहायिकी उपलब्ध करवाई गई है।
- ग) **फसल -कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु सहायता** :
- क) प्री-कूलिंग इकाई, ग्रेडिंग पैकिंग इकाई और पैक हाऊस, कोल्ड रूम, वाहक पट्टा के सृजन हेतु 85 परियोजनाएँ जिसमें रु. 832.64 लाख की सहायिकी उपलब्ध करवाई गई है।
- ख) प्राथमिक प्रसंस्करण : काजू, अन्य फल एवं सब्जी तथा किशमिश की 115 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयाँ जिसमें रु. 2091.18 लाख की सहायिकी उपलब्ध करवाई गई है।
- ग) 9 राइपनिंग इकाईयाँ, 2 प्रशीतन वैन परियोजनाएँ जिसमें रु. 291.34 लाख की सहायिकी उपलब्ध करवाई गई है।
- घ) **गुणवत्ता रोपण सामग्री** : नर्सरी : पुष्पोत्पादन और सब्जियों के नवांकुर नर्सरी इकाईयों की स्थापना के लिए 16 परियोजनाओं को रु. 211.08 लाख की सहायिकी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें 18.06 एकड़ क्षेत्र शामिल है।
- ड.) **पूरक गतिविधियाँ** : मशरूम इकाईयाँ, संयंत्र एवं मशीनरी परियोजनाओं आदि की 37 परियोजनाओं जिसमें रु. 420.66 लाख की सहायिकी उपलब्ध करवाई गई है।

### 2. कोल्ड स्टोरेज क्षमता का सृजन

- क) रा.बा.बो. ने 1,25,289 मी.ट. क्षमता के सृजन के लिए 21 कोल्ड स्टोरेजों/सीए स्टोरों को रु. 4476.76 लाख की सहायता राशि प्रदान की है।

### 3. बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण

- क) **क्षमता निर्माण कार्यक्रम** : विभिन्न गतिविधियों जैसे संगोष्ठियों/गोष्ठियों/प्रदर्शिनियों में भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मदर प्लांट नर्सरियों के 71 कार्यक्रम आयोजित किए गए/सहयोग प्रदान किया गया।
- ख) **गुणवत्ता रोपण सामग्री** : फल एवं सब्जी नर्सरी के प्रमाणन तथा मूल्यांकन की प्रणाली 2008-09 से शुरू की गई है। 2017-18 के दौरान बोर्ड ने 203 नर्सरियों को प्रमाणित किया।



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

4. माननीय राष्ट्रपति द्वारा हिन्दी दिवस समारोह-2017 में रा.बा.बो. को “राजभाषा कीर्ति पुरस्कार” प्रदान किया गया



5. सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण), भारत सरकार द्वारा बेंगलुरु जिले (कर्नाटक) एवं नाशिक जिले (महाराष्ट्र) में रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का भ्रमण किया गया





## 6. सबका साथ सबका विकास विश्लेषण : भौगोलिक समावेशन एवं सामाजिक समावेशन

रा.बा.बो. योजनाओं (वाणिज्यिक उत्पादन) का 13 वर्षों तथा (कोल्ड स्टोरेजों) का 8 वर्षों का विश्लेषण [सबका साथ सबका विकास (भौगोलिक समावेशन एवं सामाजिक समावेशन)] निम्न प्रकार से है:-

वर्ष 2005-06 से 2017-18 तक योजनाएँ 1, 2 व 3 के तहत परियोजनाओं की संख्या और जारी की गई सहायिकी की राशि

क्र.सं.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	योजना सं. 1 *		योजना सं.-2\$		योजना सं. 3\$		कुल योग				
		पी	एस	पी	एस	पी	एस	पी	पी का %	एस	एस का %	संचयी
1	महाराष्ट्र	22493	42047	20	2650	96	239	22609	48.2	44936	23.7	23.7
2	उत्तर प्रदेश	1000	3028	181	21646	94	255	1275	2.7	24929	13.1	36.8
3	कर्नाटक	6163	20183	4	692	54	212	6221	13.3	21087	11.1	47.9
4	गुजरात	2451	13079	7	1533	14	20	2472	5.3	14632	7.7	55.6
5	तमिलनाडू	1394	12318	3	306	19	54	1416	3.0	12677	6.7	62.3
6	हरियाणा	306	5196	36	5320	19	14	361	0.8	10530	5.5	67.9
7	मध्यप्रदेश	1726	6814	10	1488	20	68	1756	3.7	8370	4.4	72.3
8	पंजाब	447	3837	19	3646	24	62	490	1.0	7545	4.0	76.2
9	राजस्थान	1021	4978	17	2100	51	114	1089	2.3	7192	3.8	80.0
10	हिमाचल प्रदेश	567	3935	5	1838	10	118	582	1.2	5891	3.1	83.1
11	उत्तराखण्ड	1026	4381	3	250	136	33	1165	2.5	4664	2.5	85.6
12	जम्मू और कश्मीर	225	914	6	2954	265	77	496	1.1	3945	2.1	87.7
13	तेलंगाना	2170	3595	0	0	13	6	2183	4.7	3601	1.9	89.6
14	आन्ध्र प्रदेश	829	1493	16	1811	23	72	868	1.8	3377	1.8	91.3
15	उड़ीसा	493	3064	1	214	60	69	554	1.2	3347	1.8	93.1
16	छत्तीशगढ़	301	1853	9	1061	19	27	329	0.7	2941	1.5	94.6
17	केरल	640	2798	2	94	4	7	646	1.4	2899	1.5	96.2
18	असम	118	209	7	1484	38	80	163	0.3	1774	0.9	97.1
19	पश्चिम बंगाल	668	1007	5	255	41	44	714	1.5	1306	0.7	97.8
20	अरुणाचल प्रदेश	233	312	0	0	20	217	253	0.5	529	0.3	98.1
21	झारखण्ड	31	183	1	246	5	22	37	0.1	451	0.2	98.3
22	बिहार	527	292	0	0	40	105	567	1.2	397	0.2	98.5
23	सिक्किम	124	152	0	0	54	244	178	0.4	395	0.2	98.7
24	मणीपुर	189	106	0	0	9	171	198	0.4	277	0.1	98.9
25	मिजोरम	74	243	0	0	3	6	77	0.2	249	0.1	99.0
26	नागालैंड	55	100	0	0	13	44	68	0.1	144	0.1	99.1
27	त्रिपुरा	0	0	2	120	7	19	9	0.0	139	0.1	99.2
28	गोवा	2	46	0	0	2	1	4	0.0	47	0.0	99.2
29	मेघालय	0	0	1	28	6	12	7	0.0	40	0.0	99.2
	<b>कुल</b>	<b>45273</b>	<b>136161</b>	<b>355</b>	<b>49736</b>	<b>1159</b>	<b>2412</b>	<b>46787</b>	<b>99.7</b>	<b>188309</b>	<b>99.2</b>	
	<b>केन्द्र शासित प्रदेश</b>											
1	दिल्ली	32	1216	2	136	44	121	78	0.2	1473	0.8	100.0
2	चंडीगढ़	1	21	1	25	50	16	52	0.1	62	0.0	
3	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	5	0	0	1	1	2	0.0	6	0.0	
4	दादर नागर हवेली	1	4	0	0	0	0	1	0.0	4	0.0	
5	दमन व द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
6	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
7	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
	<b>कुल</b>	<b>35</b>	<b>1246</b>	<b>3</b>	<b>161</b>	<b>95</b>	<b>138</b>	<b>133</b>	<b>0.3</b>	<b>1545</b>	<b>0.8</b>	
	<b>कुल योग</b>	<b>45308</b>	<b>137407</b>	<b>358</b>	<b>49897</b>	<b>1254</b>	<b>2550</b>	<b>46920</b>		<b>189854</b>		
	<b>कुल सहायिकी का %</b>		<b>72.4</b>		<b>26.3</b>		<b>1.3</b>					


नोट- \*2005-06 से 2017-18 तक की अवधि के लिए

\$ 2010-11 से 2017-18 तक की अवधि के लिए



रा.बा.बो. की सभी योजनाएँ - 2005-06 से 2017-18 तक परियोजनाओं और सहायिकी का %

परियोजनाओं का %



- महाराष्ट्र 48.2%
- कर्नाटक 13.3%
- गुजरात 5.3%
- तमिलनाडू 3.0%
- उत्तरप्रदेश 2.7%
- अन्य राज्य 27.5%

सहायिकी का %



- महाराष्ट्र 23.7%
- उत्तरप्रदेश 13.1%
- कर्नाटक 11.1%
- गुजरात 7.7%
- तमिलनाडू 6.7%
- अन्य राज्य 37.7%



## योजना 1 के तहत घटक-वार प्रगति (राज्यवार)


पी- परियोजनाओं की सं., एस-सहायिकी रु. लाख में

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शामिल प्रदेश	खुले क्षेत्र में खेती		संरक्षित खेती		पीएचएम/पैक हाऊस		प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई		अन्य		कुल योग				
		पी	एस	पी	एस	पी	एस	पी	एस	पी	एस	पी	पी का %	एस	एस का %	संचयी
1	महाराष्ट्र	19390	22804.8	2431	16243.3	48	960.8	356	1057.9	268	980.0	22493	49.6	42046.7	30.6	30.6
2	कर्नाटक	5025	4908.1	632	10850.9	13	93.1	412	4047.9	81	282.9	6163	13.6	20182.9	14.7	45.3
3	गुजरात	1809	4028.0	566	7272.5	14	295.8	46	1388.4	16	94.2	2451	5.4	13078.8	9.5	54.8
4	तमिलनाडू	764	2157.5	539	8289.9	44	956.2	31	697.3	16	216.9	1394	3.1	12317.8	9.0	63.8
5	मध्यप्रदेश	1530	2939.6	176	3539.1	10	165.2	3	103.0	7	67.5	1726	3.8	6814.3	5.0	68.7
6	हरियाणा	170	604.3	102	3308.6	15	804.0	8	262.9	11	216.5	306	0.7	5196.3	3.8	72.5
7	राजस्थान	870	1914.3	83	1563.6	34	701.2	30	777.0	4	21.7	1021	2.3	4977.8	3.6	76.1
8	उत्तराखंड	439	675.4	547	3251.2	10	257.7	1	55.5	29	141.1	1026	2.3	4380.9	3.2	79.3
9	हिमाचल प्रदेश	84	150.7	141	1576.9	221	1783.9	4	42.8	117	380.4	567	1.3	3934.7	2.9	82.2
10	पंजाब	246	797.8	109	1561.2	36	705.4	16	320.4	40	451.8	447	1.0	3836.6	2.8	85.0
11	तेलंगाना	2130	2506.2	35	963.8	3	56.9	2	68.0	0	0.0	2170	4.8	3594.9	2.6	87.6
12	उड़ीसा	352	801.2	34	350.8	0	0.0	78	1829.9	29	81.9	493	1.1	3063.9	2.2	89.8
13	उत्तर प्रदेश	853	1081.8	56	956.9	46	867.5	4	59.2	41	62.3	1000	2.2	3027.7	2.2	92.0
14	केरल	256	569.2	208	686.8	3	4.0	73	1264.9	100	272.8	640	1.4	2797.8	2.0	94.1
15	छत्तीसगढ़	223	662.8	56	1093.5	3	32.7	2	4.5	17	59.9	301	0.7	1853.4	1.3	95.4
16	आन्ध्र प्रदेश	810	1139.2	3	54.6	2	87.1	4	113.9	10	98.4	829	1.8	1493.1	1.1	96.5
17	दिल्ली	0	0.0	4	150.3	28	1065.4	0	0.0	0	0.0	32	0.1	1215.7	0.9	97.4
18	पश्चिम बंगाल	477	291.7	61	176.4	18	122.2	13	257.0	99	159.4	668	1.5	1006.7	0.7	98.1
19	जम्मू व कश्मीर	119	98.4	7	9.5	67	469.7	9	282.5	23	54.0	225	0.5	914.1	0.7	98.8
20	अरुणाचल प्रदेश	231	249.2	0	0.0	0	0.0	2	62.5	0	0.0	233	0.5	311.7	0.2	99.0
21	बिहार	362	148.8	0	0.0	15	61.4	84	25.0	66	57.2	527	1.2	292.3	0.2	99.2
22	मिजोरम	3	5.3	70	233.4	0	0.0	1	4.0	0	0.0	74	0.2	242.6	0.2	99.4
23	असम	111	166.0	3	13.9	1	25.6	2	3.4	1	0.5	118	0.3	209.4	0.2	99.6
24	झारखंड	18	27.3	6	97.2	0	0.0	1	24.8	6	34.1	31	0.1	183.4	0.1	99.7
25	सिक्किम	36	14.0	77	127.0	0	0.0	1	3.2	10	7.6	124	0.3	151.8	0.1	99.8
26	मणीपुर	189	105.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	189	0.4	105.8	0.1	99.9
27	नागालैंड	30	60.5	25	39.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	55	0.1	99.8	0.1	99.9
28	गोवा	0	0.0	1	45.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	0.0	46.1	0.0	100.0
29	चंडीगढ़	0	0.0	1	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	21.4	0.0	
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	5.2	0.0	
31	दादर नागर हवेली	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	3.7	0.0	
32	दमन व दीप	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	
33	लक्षद्वीप	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	
34	मेघालय	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	
35	पांडिचेरी	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	
36	त्रिपुरा	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	
	कुल	36529	48916.5	5973	62477.2	631	9515.6	1184	12756.8	991	3741.0	45308		137407		
	कुल सहायिकी का %		35.6		45.5		6.9		9.3		2.7					




योजना सं. 1 के अंतर्गत परियोजनाओं और सहायिकी का विभिन्न घटकों के तहत % हिस्सा

परियोजनाओं का %



सहायिकी का %







## योजना सं0 1 के अंतर्गत घटक-वार प्रगति

पी- परियोजनाओं की सं., एस- सहायिकी रु. लाख में

क्र. सं.	वित्त वर्ष	खुले क्षेत्र में खेती		संरक्षित खेती		पीएचएम/पैक हाऊस		प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई		अन्य		कुल योग	
		पी	एस	पी	एस	पी	एस	पी	एस	पी	एस	पी	एस
1	2017-18	896	5384.7	852	20389.0	96	1124.0	115	2091.2	53	631.7	2012	29620.66
2	2016-17	596	3102.6	498	10918.4	106	1638.6	134	2040.2	25	224.1	1359	17923.9
3	2015-16	545	1803.2	432	9351.1	79	1512.2	130	2725.2	30	367.6	1216	15759.2
4	2014-15	610	1305.0	169	2122.2	109	1991.9	140	1815.9	18	420.1	1046	7655.1
5	2013-14	2734	3563.9	528	4549.5	94	1936.0	223	2241.1	39	393.2	3618	12683.8
6	2012-13	1218	1712.5	236	1880.7	30	606.3	79	702.1	25	176.2	1588	5077.8
7	2011-12	2210	2346.4	360	2158.4	22	332.4	74	383.4	40	54.5	2706	5275.2
8	2010-11	4187	4885.1	677	3433.4	23	157.2	91	180.1	142	295.4	5120	8951.2
9	2009-10	4393	5047.0	519	2103.3	7	25.1	51	123.2	143	272.2	5113	7570.8
10	2008-09	6472	6641.1	492	2078.0	25	48.3	74	147.1	154	325.4	7217	9240.0
11	2007-08	6234	6495.0	592	1600.4	19	107.4	32	101.0	135	281.7	7012	8585.4
12	2006-07	4669	5056.5	463	1652.5	8	29.1	32	150.3	156	267.6	5328	7156.0
13	2005-06	1766	1608.9	155	240.2	13	7.1	9	56.0	31	31.4	1974	1943.6
	<b>कुल</b>	<b>36529</b>	<b>48916.43</b>	<b>5973</b>	<b>62477.2</b>	<b>631</b>	<b>9515.6</b>	<b>1184</b>	<b>12756.7</b>	<b>991</b>	<b>3741</b>	<b>45308</b>	<b>137407</b>
	<b>कुल का %</b>	<b>80.6</b>	<b>35.6</b>	<b>13.2</b>	<b>45.5</b>	<b>1.4</b>	<b>6.9</b>	<b>2.6</b>	<b>9.3</b>	<b>2.2</b>	<b>2.7</b>		

## योजना सं0 1 के अंतर्गत घटक-वार प्रगति





2010-11 से 2017-18 तक योजना सं0 2 के अंतर्गत परियोजनाओं की क्षमता

सी- क्षमता मी.टन में


क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल योग		
		सी	सी	सी	सी	सी	सी	सी	सी	सी	सी का %	संचयी
1	उत्तर प्रदेश	0	129633	131511	350585	139014	121447	98565	55056	1025811	56.2	56.2
2	हरियाणा	0	0	10179	64975	63113	12685	4518	0	155470	8.5	64.7
3	पंजाब	0	3000	0	11693	36799	15623	8015	10292	85422	4.7	69.4
4	महाराष्ट्र	0	0	1000	41878	17639	10359	10767	0	81643	4.5	73.9
5	आन्ध्र प्रदेश	0	22842	3922	4544	3924	29037	5499	9760	79528	4.4	78.2
6	राजस्थान	0	10951	10948	35926	1200	10979	1506	6000	77510	4.2	82.5
7	मध्यप्रदेश	0	0	10338	1231	0	23863	0	22102	57534	3.2	85.6
8	छत्तीसगढ़	0	4892	4563	17089	17742	5200	0	0	49486	2.7	88.3
9	असम	0	0	0	10471	6165	19677	10552	0	46865	2.6	90.9
10	गुजरात	0	0	0	1572	5038	8515	22954	0	38079	2.1	93.0
11	जम्मू और कश्मीर	5000	1520	0	0	0	0	2730	17825	27075	1.5	94.5
12	कर्नाटक	0	0	0	0	3551	0	13809	2954	20314	1.1	95.6
13	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	7625	0	7099	0	0	14724	0.8	96.4
14	तमिलनाडू	0	0	2325	0	6135	5112	0	0	13572	0.7	97.1
15	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	5217	6077	0	0	11294	0.6	97.8
16	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	9982	0	9982	0.5	98.3
17	त्रिपुरा	0	0	0	1517	7173	0	0	0	8690	0.5	98.8
18	केरल	0	5000	0	0	0	0	0	1300	6300	0.3	99.1
19	उत्तराखंड	0	0	0	1128	4016	600	0	0	5744	0.3	99.4
20	मेघालय	0	0	0	5354	0	0	0	0	5354	0.3	99.7
21	झारखंड	0	0	0	0	4400	0	0	0	4400	0.2	100.0
22	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
23	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
24	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
25	मणीपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
26	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
27	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
28	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
29	तेलंगाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0
	<b>कुल</b>	<b>5000</b>	<b>177838</b>	<b>174786</b>	<b>555588</b>	<b>321126</b>	<b>276273</b>	<b>188897</b>	<b>125289</b>	<b>1824797</b>	<b>100.0</b>	
	<b>केन्द्र शासित प्रदेश</b>											
1	दिल्ली	0	0	0	800	0	0	0	0	800	0.04	100.0
2	चंडीगढ़	0	0	0	0	246	0	0	0	246	0.01	100.0
3	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	दादर नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	दमन व द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1046</b>	<b>0.06</b>	
	<b>कुल योग</b>	<b>5000</b>	<b>177838</b>	<b>174786</b>	<b>556388</b>	<b>321372</b>	<b>276273</b>	<b>188897</b>	<b>125289</b>	<b>1825843</b>	<b>100.0</b>	






2010-11 से 2017-18 तक योजना सं0 2 के अंतर्गत परियोजनाओं और क्षमता का % हिस्सा

परियोजनाओं का %



- उत्तरप्रदेश 50.6%
- हरियाणा 10.1%
- महाराष्ट्र 5.6%
- पंजाब 5.3%
- राजस्थान 4.7%
- अन्य राज्य 23.7%

क्षमता का %




- उत्तरप्रदेश 56%
- हरियाणा 9%
- पंजाब 5%
- महाराष्ट्र 4%
- आन्ध्रप्रदेश 4%
- अन्य राज्य 22%




## योजना संख्या 1 व 2 के अंतर्गत परियोजनाओं और सहायिकी का % हिस्सा

### परियोजनाओं का %



### सहायिकी का %






### योजना 1 व 2 के अंतर्गत लाभार्थियों की अल्पसंख्यक श्रेणी के लिए परियोजनाओं की सं. व सहायिकी


		पी- परियोजनाओं की सं., ए- सहायिकी ₹. लाख में													
क्र. सं.	वित्त वर्ष	बौद्ध		ईसाई धर्म		जैन		सिख		फारसी		मुसलमान		कुल योग	
		पी	ए	पी	ए	पी	ए	पी	ए	पी	ए	पी	ए	पी	ए
1	2017-18	0	0.0	25	225.1	12	214.3	32	970.4	0	0.0	40	1437.9	109	2847.7
2	2016-17	0	0.0	36	418.2	14	265.1	45	934.3	0	0.0	86	1536.5	181	3154.0
3	2015-16	0	0.0	19	419.5	11	274.5	15	633.1	0	0.0	87	764.8	132	2092.0
4	2014-15	0	0.0	6	85.5	3	257.1	6	515.9	0	0.0	104	785.4	119	1643.8
5	2013-14	0	0.0	11	83.2	22	236.3	18	383.1	0	0.0	81	1026.4	132	1729.0
6	2012-13	0	0.0	8	14.0	1	60.0	4	4.5	0	0.0	35	616.2	48	694.7
7	2011-12	0	0.0	32	56.5	3	626.0	15	49.1	0	0.0	40	520.5	90	1252.0
8	2010-11	3	1.2	117	143.9	9	9.7	43	128.3	0	0.0	78	933.8	250	1216.9
9	2009-10	24	21.2	67	184.4	1	4.5	35	63.2	1	1.8	115	113.1	243	388.2
10	2008-09	12	17.6	50	156.6	8	11.3	73	196.3	0	0.0	139	177.2	282	558.9
11	2007-08	56	76.0	165	224.2	20	45.9	84	248.2	1	2.8	127	149.4	453	746.4
12	2006-07	14	14.2	58	86.9	15	112.8	90	190.4	0	0.0	63	64.6	240	469.0
13	2005-06	2	1.3	83	108.1	7	4.5	28	43.7	0	0.0	53	26.1	173	183.7
	कुल	111	131.6	677	2206	126	2122	488	4360.4	2	4.53	1048	8151.9	2452	16976.3
	कुल का %	4.5	0.8	27.6	13.0	5.1	12.5	19.9	25.7	0.1	0.0	42.7	48.0		
	कुल परियोजनाओं का %	0.2	0.1	1.5	1.2	0.3	1.1	1.1	2.3	0.0	0.0	2.3	4.4	5.4	9.1
	आबादी का %	0.7		2.3		0.37		1.72				14.23			

### परियोजनाओं की सं०





2005-06 से 2017-18 तक रा.बा.बो. की योजना सं. 1, 2 व 3 के अंतर्गत  
सहायता प्राप्त लाभार्थी के प्रकार





## राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य

- i) चिह्नित क्षेत्रों में उच्च-प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक बागवानी का विकास और ऐसे क्षेत्रों को बागवानी गतिविधि से गुंजायमान करना जो बाद में बागवानी के विकास के लिए केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे।
- ii) क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं के समग्र भाग के रूप में या परियोजनाओं के समूह के लिए सामान्य सुविधाओं के रूप में आधुनिक कटाई-उपरांत प्रबंधन की अवसंरचना का विकास करना।
- iii) ताजे बागवानी उत्पाद के लिए एकीकृत, ऊर्जा कार्यक्षम शीत श्रृंखला अवसंरचना का विकास करना।
- iv) प्रौद्योगिकी और जरूरत निर्धारण करने के पश्चात् वाणिज्यिकरण/अंगीकरण हेतु चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना।
- v) कलम तथा प्रकंदन बैंकों/मदर प्लांट नर्सरियों की स्थापना का संवर्धन करते हुए और बागवानी नर्सरियों के प्रत्यायन/मूल्यांकन करते हुए तथा रोपण सामग्री के आवश्यकता आधारित आयातों द्वारा गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना।
- vi) ताजे बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देना तथा बाजार का विकास करना।
- vii) नए विकसित/आयातित रोपण सामग्री और अन्य कृषि निवेशों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, पी.एच.एम. प्रोटोकॉल्स, आई.एन.एम. तथा आई.पी.एम. प्रोटोकॉल्स के फील्ड परीक्षणों को बढ़ावा देना तथा उद्गम प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण हेतु अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- viii) लेबर लागत कम करने और बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बागवानी में फार्म मशीनीकरण को इसके प्रदर्शन और किसानों के खेतों में इसके उपयोग के माध्यम से बढ़ावा देना।
- ix) पी.एच.एम. प्रोटोकॉलों के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, ताजे बागवानी उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण भंडारण परिस्थितियां निर्धारित करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए तकनीकी मानकों के तलचिह्न स्तर निर्धारित करना आदि।
- x) उत्पादकों/किसानों तथा सेवा प्रदाताओं जैसे बागबानों, मालियों, फार्म स्तर पर कुशल कामगारों, कोल्ड स्टोरेजों में परिचालक, ताजे बागवानी उत्पाद के प्रसंस्करण सहित फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन करने वाले कार्यबल और मास्टर प्रशिक्षकों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
- xi) बागवानी उत्पाद और उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देना।
- xii) रेल आदि के माध्यम से बागवानी उत्पाद के थोक आवागमन के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान को बढ़ावा देना।
- xiii) बागवानी के व्यवस्थित विकास के लिए अत्यावधि और दीर्घावधि रणनीतियाँ विकसित करने और अवरोधों की पहचान करने के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण करना तथा सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाना।



## राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची (31.03.2018 के अनुसार)

क्रम सं.	आधिकारिक सदस्य का नाम, पदनाम, दूरभाष नं. और ईमेल आईडी	पदनाम
1	<b>श्री राधा मोहन सिंह</b> माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23383370 / 23782691 / 23384129 ईमेल: <a href="mailto:im.krishi@nic.in">im.krishi@nic.in</a>	अध्यक्ष (पदेन)
2	<b>श्री परषोत्तम रूपाला</b> माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23782343 / 23782565 ईमेल: <a href="mailto:mos.krishi@nic.in">mos.krishi@nic.in</a>	उपाध्यक्ष (पदेन)
3	<b>श्री एस.के. पटनायक</b> सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382651 / 23388444 ईमेल: <a href="mailto:secy-agri@nic.in">secy-agri@nic.in</a>	सदस्य (पदेन)
4	<b>डॉ. त्रिलोचन मोहपात्रा</b> महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382629-476 / 25841976 / 23386711 / 25843190 (आवास) ईमेल: <a href="mailto:dg.icar@nic.in">dg.icar@nic.in</a>	सदस्य (पदेन)
5	<b>श्री जलज श्रीवास्तव</b> अपर सचिव (बागवानी), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-2338221 ईमेल: <a href="mailto:iscc-agri@nic.in">iscc-agri@nic.in</a> / <a href="mailto:sjalaj@ias.nic.in">sjalaj@ias.nic.in</a>	सदस्य (पदेन)



क्रम सं.	आधिकारिक सदस्य का नाम, पदनाम, दूरभाष नं. और ईमेल आईडी	पदनाम
6	<b>श्री कुमार संजय कृष्ण</b> अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23381363 / 23382532 ईमेल: <a href="mailto:sanjay.krishna@nic.in">sanjay.krishna@nic.in</a>	सदस्य (पदेन)
7	<b>श्री दिनेश कुमार</b> संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382444 / 23073779 ईमेल: <a href="mailto:kdinesh@ias.nic.in">kdinesh@ias.nic.in</a>	सदस्य (पदेन)
8	<b>डॉ. बी.एन.एस. मूर्ति</b> बागवानी आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23381012 / 23383712 ईमेल: <a href="mailto:hortcommissioner@gmail.com">hortcommissioner@gmail.com</a>	सदस्य (पदेन)
9	<b>डॉ. जे.पी. मिश्रा</b> सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23096796 ईमेल: <a href="mailto: dviser.agri-pc@nic.in"> dviser.agri-pc@nic.in</a>	सदस्य (पदेन)
10	<b>श्री देवेन्द्र कुमार सिंह</b> अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, तीसरी मंजिल, एनसीयूआई भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष: 011-26513167 ईमेल: <a href="mailto:chairman@apeda.gov.in">chairman@apeda.gov.in</a>	सदस्य (पदेन)



क्रम सं.	आधिकारिक सदस्य का नाम, पदनाम, दूरभाष नं. और ईमेल आईडी	पदनाम
11	<b>श्री जे.पी. मीणा</b> सचिव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049 दूरभाष: 011-26492476 ईमेल: <a href="mailto:jsjpm-fpi@nic.in">jsjpm-fpi@nic.in</a>	सदस्य (पदेन)
12	<b>श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील</b> पूर्व सांसद चालीसगांव, जिला - जलगाँव - महाराष्ट्र मोबाइल: 09970095550 ईमेल: <a href="mailto:innasaheb.mkpatil@yahoo.com">innasaheb.mkpatil@yahoo.com</a>	गैर-सरकारी सदस्य
13	<b>श्री बलदेव सिंह भंडारी</b> वी.पी.ओ. - जामन की सेर, तहसील-पछाड़, जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश-173024 मोबाइल: 09418048582 / 09816048582 ईमेल: <a href="mailto:baldevbhandaribjp@gmail.com">baldevbhandaribjp@gmail.com</a>	गैर-सरकारी सदस्य
14	<b>श्री वेद प्रकाश शर्मा</b> डी-33, द्वारकापुरी, निकट खेडापाती मंदिर, ग्वालियर-474002, मध्य प्रदेश मोबाइल: 09826216038 ईमेल: <a href="mailto:vedprakash98262@gmail.com">vedprakash98262@gmail.com</a>	गैर-सरकारी सदस्य
15	<b>श्री चौदारानू सत्य कृष्णम राजू</b> तेतागुंटा, तुनी मंडल, ईस्ट गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश-533406 मोबाइल: 09440238555 ईमेल: <a href="mailto:tetagunta@gmail.com">tetagunta@gmail.com</a>	गैर-सरकारी सदस्य
16	<b>रिक्त</b>	गैर-सरकारी सदस्य
17	<b>रिक्त</b>	गैर-सरकारी सदस्य
18	<b>रिक्त</b>	गैर-सरकारी सदस्य
19	<b>रिक्त</b>	गैर-सरकारी सदस्य
20	<b>रिक्त</b>	गैर-सरकारी सदस्य
21	<b>रिक्त</b>	गैर-सरकारी सदस्य
22	<b>रिक्त</b>	गैर-सरकारी सदस्य
23	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम दूरभाष: 0124-2342992 <a href="mailto:md@nhb.gov.in">md@nhb.gov.in</a>	सदस्य सचिव (पदेन)





**संलग्नक-III**

प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी है। डॉ. ए.के. सिंह 01-04-2017 से 27-04-2017 के दौरान प्रबंध निदेशक थे, डा. शकील पी. अहमद, संयुक्त सचिव (एमआईडीएच) के पास 27-04-2017 से 27-07-2017 तक प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार था एवं श्री दिनेश कुमार, संयुक्त सचिव (एमआईडीएच) के पास 27-07-2017 से 31-03-2018 तक प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार था। बोर्ड का मुख्यालय गुरुग्राम में है और पूरे देश में इसके 29 केन्द्र हैं। प्रबंध निदेशक को तकनीकी और प्रशासनिक प्रभागों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। बोर्ड में कुल नियमित स्वीकृत पदों की संख्या 155 है।

**31-03-2018 को (सातवें वेतन आयोग के अनुसार) स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों के ब्योरे**

क्र. सं.	पद का नाम	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर एवं वेतन मैट्रिक्स		वर्तमान स्थिति		
		वेतन स्तर	वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत पदों की सं.	भरे गये पद	रिक्त पद
<b>समूह "क"</b>						
1.	प्रबंध निदेशक	14	144200-218200	1	1	-
2.	उप प्रबंध निदेशक	13-A	131100-216600	1	1	-
3.	निदेशक (कार्मिक)	12	78800-209200	1	-	1
4.	संयुक्त निदेशक	11	67700-208700	5	5	-
5.	संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)	11	67700-208700	1	1	-
6.	उप निदेशक	10	56100-177500	30	27	3
7.	उप निदेशक (सूचना प्रणाली)	10	56100-177500	1	1	-
			<b>कुल</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>4</b>
<b>समूह "ख"</b>						
1.	लेखा अधिकारी	7	44900-142400	1	1	-
2.	राजभाषा अधिकारी	7	44900-142400	1	1	-
3.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	7	44900-142400	3	3	-
4.	तकनीकी अधिकारी (कम्प्यूटर)	7	44900-142400	2	2	-
5.	हिंदी अनुवादक	6	35400-112400	1	1	-
6.	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी	6	35400-112400	18	11	7
7.	प्रशासनिक अधिकारी	6	35400-112400	1	-	1
8.	वरिष्ठ लेखाकार	6	35400-112400	2	2	-
9.	बागवानी अधिकारी	6	35400-112400	17	8	9
10.	कनिष्ठ लेखाकार	6	35400-112400	2	2	-
			<b>कुल</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>17</b>
<b>समूह "ग"</b>						
1.	निजी कार्यपालक	4	25500-81100	5	3	2
2.	कम्प्यूटर कार्यपालक	4	25500-81100	7	7	-
3.	अवर श्रेणी लिपिक	2	19900-63200	5	4	1



क्र. सं.	पद का नाम	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर एवं वेतन मैट्रिक्स		वर्तमान स्थिति		
		वेतन स्तर	वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत पदों की सं.	भरे गये पद	रिक्त पद
4.	हिन्दी टंकक	2	19900-63200	1	1	-
5.	चालक	2	19900-63200	3	1	2
6.	इलेक्ट्रीशियन	2	19900-63200	1	1	-
7.	संदेशवाहक / एमटीएस	1	18000-56900	40	36	4
8.	बडर-ग्राफटर	1	18000-56900	5	5	-
			<b>कुल</b>	<b>67</b>	<b>58</b>	<b>9</b>

### ब्यौरे

क्र.सं.	समूह	स्वीकृत पद	भरे गए	रिक्त
1.	समूह "क"	40	36	4
2.	समूह "ख"	48	31	17
3.	समूह "ग"	67	58	9
	<b>कुल</b>	<b>155</b>	<b>125</b>	<b>30</b>

इसके अतिरिक्त, अस्थाई हैसियत के 18 संदेशवाहक/एमटीएस नियोजित हैं।



**राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके सम्पूर्ण पते सहित**

क्रम सं.	केन्द्रों के नाम एवं पता
01	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड प्लॉट नं. 60, तृतीय तल, कृष्णा अपार्टमेंट, आजाद सोसायटी, अम्बावाडी, अहमदाबाद – 380015 टेली/फैक्स : 079– 26766416, 26766413 ई-मेल : gj.nhb@gov.in
02	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 14/43, दूसरा तल, प्रथम व द्वितीय स्टेज इंडस्ट्रीयल सबअर्ब, तुमकुर रोड, यशवंतपुर, बैंगलुरु – 560022 टेली/फैक्स : 080-23371935, 23374149 ई-मेल : ktk.nhb@gov.in
03	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आर-24, द्वितीय तल, निकट हिंदुस्तान टाइम्स एमपी नगर, जोन – 1, भोपाल – 462011 टेली/फैक्स : 0755-2550768, 2761741 ई-मेल : mp.nhb@gov.in
04	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एन-1/7, आई.आर.सी. गांव, नयापल्ली, सी.आर.पी.एफ गेट के सामने भुवनेश्वर – 751015 टेली/फैक्स : 0674-2558134, 2559620 ई-मेल : odisha.nhb@gov.in
05	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कमरा नं0 317, चतुर्थ तल, सैन्ट्रल फ़ैसिलिटी बिल्डिंग, एपीएमसी फ़्रूट मार्किट कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-19, तुरभे वाशी नवी मुम्बई – 400703 टेली/फैक्स : 022-27830107 ई-मेल : mh.pune.nhb@gov.in
06	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मयुख भवन, द्वितीय तल, सॉल्ट लेक, सेक्टर-2, कोलकाता – 700091 टेली/फैक्स : 033- 23377182, 23211259 ई-मेल : wb.nhb@gov.in



क्रम सं.	केन्द्रों के नाम एवं पता
07	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस-सी-ओ--85, द्वितीय तल, सैक्टर-40 सी चंडीगढ़ - 160047 टेली/फैक्स : 0172-2625249, 2625269 ई-मेल : chd.nhb@gov.in
08	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 19-22 (गैराज), कृषि भवन, नई दिल्ली - 110011 टेली/फैक्स : 011- 23097015, 23073019 ई-मेल : delhi.nhb@gov.in
09	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड चांग चूप भवन, निकट नायुमा टेलीविजन तिब्बत रोड, गंगटोक - 737101 टेली/फैक्स : 03592-208453, 220975 ई-मेल : sikkim.nhb@gov.in
10	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड छिब्रर हाउस, चतुर्थ तल, दिसपुर पी.ओ., गुवाहाटी- 781005 टेली/फैक्स : 0361-2343719, 2340695 ई-मेल : Issam.nhb@gov.in
11	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 2, 5-9-195, विलियम निवास चिराग अली लेन, एबीआईडीएस, हैदराबाद - 500001 टेली/फैक्स : 040-23200806, 23201140 ई-मेल : ts.nhb@gov.in
12	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वितीय तल, मोदक प्रियाय, प्लॉट सं. 16 एवं 17, नियर न्यू आतिश मार्किट शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर - 302020 टेली/फैक्स : 0141- 2399405, 2390818 ई-मेल: rj.nhb@gov.in
13	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा -बागवानी निदेशक 2, सप्रु मार्ग, उद्यान भवन लखनऊ -226001 टेली/फैक्स : 0522-2623374 / 2202420, 4072096 ई-मेल : up.lko.nhb@gov.in



क्रम सं.	केन्द्रों के नाम एवं पता
14	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मोडयूल नं. 37, द्वितीय तल, सिडको रेडिमेड गारमेन्ट कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुडंडी, चेन्नई -600032 टेली/फैक्स :044-22501151 / 22500965 ई-मेल : tn.nhb@gov.in
15	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 401, चतुर्थ तल, लोटस प्लाजा, निकट लक्ष्मी भवन, ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड, गोकुलपेट, नागपुर - 440010 टेली/फैक्स : 0712-2525030, 2523110 ई-मेल : mh.ngp.nhb@gov.in
16	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कमरा नं. 501, 502, 5वां तल, बोरिंग रोड, वर्मा सेंटर, पटना - 800001 टेली/फैक्स : 0612- 2541218, 2541128 ई-मेल: bihar.nhb@gov.in
17	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एचपीएमसी, द्वितीय तल, निगम विहार शिमला -171002 टेलीफोन/फैक्स :0177- 2622908/ 2623801 ई-मेल: : hp.nhb@gov.in
18	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हार्टिकल्चर कॉम्प्लैक्स राजबाग श्रीनगर - 190008 टेली/फैक्स : 0191-2474349 (पीपी) ई-मेल : jk.nhb@gov.in
19	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. यूआर-10, उप्पलम रोड, स्टेच्यू, तिरुवनंतपुरम - 695001 टेली/फैक्स: 0471-2470505, 2470506 ई-मेल: kerala.nhb@gov.in
20	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड म्यूनिसिपल स्टेडियम कॉम्प्लैक्स विजयवाड़ा - 520010
21	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हॉल नं. 307, ए-2, तृतीय तल, साउथ ब्लॉक, बाहु प्लाजा, रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू- 180004 टेली/फैक्स : 0191-2474349, 2474112 ई-मेल : jk.nhb@gov.in



क्रम सं.	केन्द्रों के नाम एवं पता
22	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस.सी. पंवार मार्केट यार्ड, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नं. 1, पेठ रोड, पंचवटी, नाशिक- 422003 टेली/फैक्स : 0253-2534558, 2533715 ई-मेल: mh.nsk.nhb@gov.in
23	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एमसीआईआर बिल्डिंग, 132/बी, भामभुरदा भोंसले नगर, पुणे -411007 टेली/फैक्स: 020- 25530582-83 ई-मेल: mh.pune.nhb@gov.in
24	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा - उप निदेशक (बागवानी), उ. प्र. सरकार, कम्पनी बाग, कचहरी, वाराणसी - 221001 मोबाइल : 9598638136, 8004560584 ई-मेल: up.var.nhb@gov.in
25	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड लक्ष्मी निवास, कृषि भवन, कांके रोड, रांची-834008 टेली/फैक्स :0651-2230132, 2233832 ई-मेल : jh.nhb@gov.in
26	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा - बागवानी निदेशालय, कमरा नं. 13, द्वितीय तल, खेती भवन, रणजीत एवेन्यू, अमृतसर- 143001 टेली/फैक्स : 0183-2500236
27	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नवीन सब्जी मण्डी स्थल, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, निरंजनपुर देहरादून - 248171 टेली/फैक्स : 0135-2761922, 2762767, 2725517 ई-मेल: uk.nhb@gov.in
28	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड म.नं. 42, प्रथम तल, जल विहार कॉलोनी, निकट रॉटरी क्लब ऑफ इण्डिया, तेलीबंधा, रायपुर - 492001 (छत्तीसगढ़) टेली/फैक्स : 0771-2423992 ई-मेल: cg.nhb@gov.in
29	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा - क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दिल्ली - सहारनपुर रोड, बढौत-250611 ई-मेल: up.brt.nhb@gov.in



## राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रकाशनों की सूची

क्र.सं.	प्रकाशनों के नाम नियमित प्रकाशन	मूल्य
01	बागवानी सूचना सेवा (मासिक) वार्षिक अंशदान • वाणिज्यिक संगठन • संस्थान एवं पुस्तकालय • एक प्रति	750 / -रुपए 650 / -रुपए 75 / - रुपए
02	फैक्ट्स एण्ड फिगर्स (भारतीय फल एवं सब्जियां)	600 / -रुपए
03	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड उत्पादन वार्षिक पुस्तक-(1997)	500 / -रुपए
04	भारतीय बागवानी डाटाबेस- (1998)	850 / -रुपए
05	भारतीय बागवानी डाटाबेस- (1999)	500 / -रुपए
06	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड उत्पादन वार्षिक पुस्तक-(2001)	500 / -रुपए
07	भारतीय बागवानी डाटाबेस - (2001)	650 / -रुपए
08	भारतीय बागवानी डाटाबेस - (2002) (नवम्बर 2002 में जारी)	650 / -रुपए
09	भारतीय बागवानी डाटाबेस - (2003) (सीडी सहित) • भारतीय बागवानी डाटाबेस- (2003) (सीडी बिना) • भारतीय बागवानी डाटाबेस- (2003) (केवल सीडी)	850 / -रुपए 650 / -रुपए 250 / -रुपए
10	भारतीय बागवानी डाटाबेस - (2004)	650 / -रुपए
11	भारतीय बागवानी डाटाबेस - (2005)	700 / -रुपए
12	भारतीय बागवानी डाटाबेस - (2006)	700 / -रुपए
13	भारतीय बागवानी डाटाबेस - (2008)	700 / -रुपए
14	भारतीय बागवानी डाटाबेस - (2009)	700 / -रुपए
15	भारतीय बागवानी डाटाबेस - (2010)	700 / -रुपए
16	भारतीय बागवानी डाटाबेस - (2011)	700 / -रुपए
17	भारतीय बागवानी डाटाबेस - (2012)	700 / -रुपए
18	भारतीय बागवानी डाटाबेस - (2013)	700 / -रुपए
19	भारतीय बागवानी डाटाबेस - (2014)	700 / -रुपए
<b>अन्य प्रकाशन</b>		
01	मधुमक्खी पालन पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन	75 / -रुपए
02	होलसेल मार्किटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन मेट्रोपोलिटन सिटीज़ (1991-95)	400 / -रुपए
03	होलसेल एंड रिटेल मार्किटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन मेट्रोपोलिटन सिटीज़ (1995-99)	300 / -रुपए
04	परिचालन दिशानिर्देश (फरवरी 2016)	50 / -रुपए
05	एप्रोचेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर हार्टिकल्चर	500 / -रुपए
06	हार्टिकल्चर इन इंडिया	500 / -रुपए
07	इंडियन हार्टिकल्चर - ए रोड मैप	500 / -रुपए

नोट: डिमांड ड्रॉफ्ट राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पक्ष में भेजा जाना है जो कि गुरुग्राम (हरियाणा) पर देय हो।



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

# वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वार्षिक लेखे





राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग  
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL), CHANDIGARH

सं०: पी.डी.ए.(सी.)के.व्यय/एसएआर-राबाबो 2017-18/2018-19/2896

दिनांक १३-१२-२०१८

सेवा में,

सचिव,  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि भवन,  
नई दिल्ली- 110001

**विषय: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2017-18 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।**

महोदय,

कृपया राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2017-18 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संलग्न पायें। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएँ।  
कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार।

ह०/—

प्रधान निदेशक

उपरोक्त की प्रतिलिपि वर्ष 2017-18 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 85, संस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर-18, गुरुग्राम, हरियाणा (पिन-122015) को प्रेषित की जाती है।

उप निदेशक (केन्द्रीय व्यय)



## राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के 31 मार्च, 2018 तक के संलग्न किए गए तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत की है। 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की 25 प्रचालन लेखांकन शाखा इकाईयाँ हैं जिसमें से 07 शाखा इकाईयों का वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा किया गया था। ये वित्तीय विवरणियाँ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मत प्रकट करना है।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उत्तम लेखांकन नीतियों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों इत्यादि से अनुरूपता, वर्गीकरण से सम्बन्धित केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए. जी.) की टिप्पणियाँ समाविष्ट हैं। कानून, नियम एवं विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हों, कि अनुपालना से सम्बन्धित वित्तीय सम्पादनों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पृथकतः निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित किए जाते हैं।
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम, ये उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरणियाँ भौतिक अर्थव्यवस्था विवरणों से मुक्त है, लेखापरीक्षा आयोजन तथा सम्पन्न करें। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरणों तथा राशियों को समर्थन देने वाले प्रमाण, नमूना आधार पर परीक्षण सम्मिलित करती है। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अतिरिक्त प्रबन्धन द्वारा उपयोग किए गए लेखापरीक्षा सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबन्धन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलनों को भी सम्मिलित करती है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:-
  - i) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए हैं।
  - ii) इस रिपोर्ट से संव्यवहारित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।
  - iii) हमारे मत में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम द्वारा लेखाओं की समुचित बहियाँ तथा अन्य संबंधित अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि ये, ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रकट होते हैं।



iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :

**क. तुलन पत्र**

**अभिचिह्नित/संचयी निधि निधियां (अनुसूची 3): ₹.4.94 करोड़**

निविदा को अंतिम रूप देने पर बोलीदाताओं को वापिस योग्य रु. 10.90 लाख की अग्रिम धन जमा उपरोक्त में शामिल है। क्योंकि ये ना तो अनुदान/सहायता है और ना ही इन्हें विशिष्ट प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए रखा गया था, इन्हें वर्तमान देयताओं में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, प्रत्येक में रु. 10.90 लाख को वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों में कम और अभिचिह्नित/संचयी निधि में अधिक दर्शाया गया है।

**ख. सामान्य**

**ख. 1** लेखों के सामान्य प्रारूप के अनुसार, सेवानिवृत्ति हितलाभों जैसे पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति पर किया जाना है। यद्यपि, बोर्ड के लेखों में उपदान और छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान किए गए थे, परन्तु ये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किए गए थे।

**ख. 2** बोर्ड ने लेखांकन नीति की अपनी अनुसूचियों में दर्शाया है कि वे आयकर अधिनियम में यथा निर्धारित मूल्यहास का अनुसरण कर रहे हैं। तथापि, लेखापरीक्षा ने यह देखा है कि आयकर अधिनियम में निर्धारित मूल्यहास दरों के अनुसार कम्प्यूटर सहायक उपकरण, पुस्तकालय पुस्तक, ट्यूबवैल और जल आपूर्ति तथा सोलर पैनल पर मूल्यहास प्रदान नहीं किया है।

**ग. सहायता-अनुदान**

कुल अनुदान रु. 587.71 करोड़ में से जिसमें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष रु. 20.81 करोड़, वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त अनुदान रु. 554.93 करोड़ और बोर्ड की विविध प्राप्तियां रु. 11.97 करोड़ शामिल है, बोर्ड राशि रु. 377.21 करोड़ का उपयोग कर सका है और 31-03-2018 को अव्ययित शेष रु. 202.62 करोड़ को छोड़कर रु. 7.88 करोड़ सरकार को वापिस किए गए।

**घ. प्रबंधन पत्र**

कमियां जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, अलग से जारी किए गए एक प्रबंधन पत्र द्वारा उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के संज्ञान में लाया गया है। पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संव्यवहारित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा बही खातों के अनुसार है।



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

- v) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियां, उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंधों में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए सत्य और सही मत देते हैं:
- क) जहां तक 31 मार्च, 2018 को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के कार्यों की स्थिति का तुलन-पत्र से संबंध है; और
- ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

ह0/-

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (केन्द्रीय), चण्डीगढ़

स्थान : चण्डीगढ़

दिनांक: 13-12-2018



## पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुबंध

### 1. आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता

वर्ष 2017-18 का राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम का आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया गया था जिसके संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। लखनऊ और बढौत शाखा कार्यालयों के मामले में आंतरिक लेखापरीक्षा क्रमशः जून 2018 और जुलाई 2018 में पूरा हुआ था।

### 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आंतरिक नियंत्रण को अपर्याप्त माना गया है:

- (i) बोर्ड ने अभी तक अपना लेखांकन मैनुअल तैयार नहीं किया है।
- (ii) 6038 मामलों जिसमें रु. 87.08 करोड़ और 09 मामलों जिसमें रु. 3.68 लाख की सहायिकी सम्मिलित है, के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों क्रमशः नाशिक शाखा कार्यालय और कोलकाता शाखा कार्यालय द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होने लंबित हैं। पुणे (8755 मामलों), लखनऊ और बढौत शाखा कार्यालयों में भी उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त नहीं होने के समान उदाहरण देखे गए हैं।
- (iii) लखनऊ और बढौत शाखा कार्यालयों ने स्वीकृत संख्या और व्यक्ति-स्थिति से संबंधित रिकार्ड नहीं बना रखा था।

### 3- अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

वर्ष 2017-18 के दौरान अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

### 4. वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

वर्ष 2017-18 के दौरान लखनऊ और बढौत शाखा कार्यालयों की वस्तुसूचियों को छोड़कर वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। लखनऊ और बढौत शाखा कार्यालयों के संबंध में, बोर्ड ने सूचित किया है कि उपभोग्य वस्तुओं की खरीद आवश्यकता के अनुसार की जा रही है और इन्हें तुरन्त जारी कर दिया जाता है, इसलिए वस्तुसूची रजिस्टर में सदैव शून्य शेष रहता है।

### 5. सांविधिक देयताएं

बोर्ड सांविधिक देयताओं को नियमित रूप से जमा कर रहा है।

ह0/-

उप निदेशक



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
गुरुग्राम  
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

(राशि रूप्यों में)

विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<b>समग्र/पूंजी निधि तथा देयताएँ</b>			
समग्र/पूंजी निधि	1	3,337,580,473	1,497,769,296
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
अभिचिह्नित/संचयी निधि	3	49,436,517	39,473,007
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	-	-
आस्थागित साख देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं तथा प्रावधान	7	394,734,361	369,941,940
<b>योग</b>		<b>3,781,751,351</b>	<b>1,907,184,243</b>
<b>परिसंपत्तियां</b>			
अचल परिसंपत्तियां	8	20,783,808	23,076,018
निवेश—अभिचिह्नित/संचयी निधि से	9	-	-
निवेश—अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा पेशगी	11	3,760,967,543	1,884,108,225
विविध खर्च		-	-
(बट्टे खाते अथवा समायोजित नहीं किया)			
<b>योग</b>		<b>3,781,751,351</b>	<b>1,907,184,243</b>
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
लेखों पर आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पणियां	25		

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



## 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

(राशि रूप्यों में)

विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<b>आय</b>			
विविध सेवाओं से आय	12	(10,847,137)	(8,277,252)
अनुदान/सहायिकी	13	5,396,600,000	2,542,500,000
शुल्क/अभिदान	14	-	-
निवेशों से आय (अभिचिहित/संचयी निधियों से अंतरित निधियों से निवेश पर आय)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	16,500	19,175
अर्जित ब्याज	17	150,986,116	119,568,919
अन्य आय	18	14,168,280	301,350
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) तथा डब्ल्यूआईपी	19	-	-
<b>योग (क)</b>		<b>5,550,923,759</b>	<b>2,654,112,192</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	20	114,652,933	78,878,479
अन्य प्रशासनिक खर्च इत्यादि	21	19,455,795	19,644,197
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	3,526,646,548	2,505,259,035
ब्याज	23	8,899	3,537
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में शुद्ध जोड़ — अनुसूची 8 के अनुसार)	8	3,433,000	4,379,863
<b>योग (ख)</b>		<b>3,664,197,176</b>	<b>2,608,165,111</b>
<b>व्यय से आय अधिक होने पर शेष (क-ख)</b>			
— आवेदन तथा प्रक्रिया शुल्क की लागत के अलावा निधियां हेतु		1,897,573,720	54,224,333
— आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क की लागत		(10,847,137)	(8,277,252)
संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु अंतरित (पिछला भाग)		(11,939,415)	(9,060,000)
आवेदन फार्म एवं योजना ब्राउशर राशि से इतर के लिए समग्र/पूंजीगत निधि में जमा किया गया शेष अधिशेष/(घाटा)		1,909,513,135	63,284,333
आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क राशि के लिए समग्र/पूंजीगत निधि में जमाकिया गया शेष अधिशेष/(घाटा)		(10,847,137)	(8,277,252)
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
लेखों पर आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पणियां	25		

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



## राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्रगतियां एवं भुगतान

प्रगतियां	2017-18 चालू वर्ष	2016-17 पिछला वर्ष	भुगतान	(संश्लि रूप्यों में)	
				2017-18 चालू वर्ष	2016-17 पिछला वर्ष
<b>I. प्रारंभिक शेष</b>					
क) हाथ में रोकड़	89,516	100,766			
ख) बैंक शेष	-	-			
1.) चालू खाते में	950,000,000	850,000,000			
2.) जमा खाते में	278,634,161	450,142,282			
3.) बचत खाते में	350,000,000	300,000,000			
4.) जमा खाते में (प्रक्रिया शुल्क/आवदन फार्म एवं योजना ब्राउचर खाते की लागत)					
<b>II. प्राप्त अनुदान</b>					
क) भारत सरकार से					
1) रा.बा.बो. की योजनाओं के लिए					
- उत्तरी-पूर्वी राज्यों के अलावा	5,396,600,000	2,494,300,000			
- राबाबो के बजट से	-	278,200,000			
- उत्तरी-पूर्वी राज्यों के लिए					
2) एनएचएम की योजनाओं के लिए:					
- टैरिफसजी घटक के लिए	20,000,000	31,500,000			
3) एनबीएम की योजनाओं के लिए					
4) एमएफपीआई की योजनाओं के लिए					
5.) राष्ट्रीय केंसर मिशन योजनाओं के लिए	132,700,000	-			
ख) राज्य सरकार से					
i) उत्पादन एवं फसल कटाई उपसंत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास - सहायिकी					
- विधिक एवं व्यावसायिक खर्च					
			2,954,747,212	11,068,681	1,812,031,818
			807,227	-	3,035,966
ii) बागवानी उत्पाद के लिए शीतगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तारण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी - रा.बा.बो. योजना			447,676,300	-	575,698,321
iii) बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण			16,298,296	817,947	30,829,029
iv) बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा			95,379,542	-	81,639,860
v) बागवानी संवर्धन सेवाएं			-	-	2,009,972
<b>कुल</b>			3,514,908,577	11,886,628	
vi) राष्ट्रीय बम्बू मिशन (संवर्धन सेवाएं)					1,089,493





प्राप्तियाँ	2017-18	2016-17	भुगतान	2017-18	2016-17
	चातुर्वर्ष	फिचका वर्ष		चातुर्वर्ष	फिचका वर्ष
<b>III. निम्नवत निवेशों पर आय</b>					
क) अभिचिह्नित / संचयी निधि					
ख) स्वामित्व निधिया (अन्य निवेश)					
	-	-	vi) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (टीएसजी)	15,779,927	29,758,474
			vii) राष्ट्रीय केसर मिशन	129,065,486	73,510,181
			ix) एमओएफपीआई	121	44,309,611
			x) एचएमएनईएच	-	2,147
<b>IV. प्राप्त ध्यान</b>			<b>iii. किए गये निवेश एवं जमा</b>		
क) बैंक जमा और बचत बैंक खातों के लिए			क) अभिचिह्नित / बंदोबस्ती निधियों से		
- रा.बा.बो. निधियाँ	129,349,329	88,651,435	ख) स्वामित्व निधियों से (अन्य निवेश)		
- आवेदन निधियाँ	25,217,367	30,068,401			
- एनएचएम निधियाँ	441,838	668,752			
- एनबीएम निधियाँ	32,110	72,517	<b>iv. अचल परिसंपत्तियाँ एवं प्रगतिशील कार्य पर पूंजीगत व्यय</b>		
- एचएमएनईएच निधियाँ	-	51	क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद / संवर्धन		
- एमओएफपीआई निधियाँ	1,436	257,895	1) रा.बा.बो. की क्षमताओं को सुदृढ करने के बजट से	1,544,040	1,065,540
- राष्ट्रीय केसर मिशन निधियाँ	2,691,203	3,895,677	2) बाजार सूचना सेवा योजना के बजट से	188,470	942,719
			ख) प्रगतिशील कार्य पर पूंजीगत व्यय		
ख) ऋण, अग्रिम आदि		60,000			
<b>V. अन्य आय (विनिर्मित करें)</b>			<b>v. अधिशेष धन/श्रम की वापसी</b>		
आईओबी से कियाया	3,590,423	168,180	क) भारत सरकार को		
आयकर की वापसी	-	25,101,435	- एचएमएनईएच		
आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर की लागत	14,871,454	7,716,415	- एमओएफपीआई		257,895
विविध प्राप्तिया	11,695,126	361,409	- कृषि एवं सहकारिता विभाग		
जमा की गई जमानत राशि - राबाबो	850,000	265,000	आंतरिक प्रोदमूत से	21,405,028	5,867,451
जमा की गई जमानत राशि - केसर पार्क	250,000	2,080,000	सहायता अनुदान से	78,770,000	324,873,127
दूरमाष जमा	2,000	-	ख) राज्य सरकार को		
वसूल की गई कोल्ट स्टोरेज संवीक्षा शुल्क- आवेदन शुल्क	1,550,000		ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को		



प्राप्तियाँ	2017-18	2016-17	भुगतान	2016-17	2017-18	2016-17
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	
			VI. बैंक द्वारा स्रोत पर काटा गया टीडीएस		5,510,170	8,229,246
<u>VI. उधार ली गई राशियाँ</u>	-	-	VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट)			
			स्टाफ को अग्रिम		55,819	150,000
<u>VII. अन्य प्राप्तियाँ (ब्यौते दे)</u>			वापिस की गई जमानत राशि- राबाबो		200,000	100,000
क) स्टाफ अग्रिम की वसूली (ब्याज सहित)	654,273	1,203,646	वापिस की गई जमानत राशि- केसर पार्क		500,000	740,000
ख) रा.बा.बो. योजनाओं के तहत ऋण की वसूली	11,939,415	9,000,000	पूर्वदत्त व्यय		521,040	89,778
ग) रा.बा.बो. योजनाओं के अंतर्गत			नौवोड बोर्ड की ओर से व्यय		2,598,408	872,514
विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों जिन्हे पिछले वर्ष में निधियां जारी की गई थी			VIII. आवेदन प्रपत्र और योजना बाउण्डरी की लागत से भुगतान			
से वापस प्राप्त अव्ययित निधियां			- सविदागत डाटा एंटी आपरेटरो को भुगतान		10,148,966	9,592,032
			- कोलड स्टोरेज संवीक्षा शुल्क		2,142,950	3,002,220
- उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए	-	55,864	- विशेषज्ञों का यात्रा व्यय एवं परामर्शी शुल्क		429,390	378,200
- उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा	41,320,207	39,314,591	- रा.बा.बो. प्रकाशनों हेतु भुगतान		137,080	308,700
VIII. राबाबो-एफडीआर पर बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस की वापिसी	6,588,059	19,851,746	- वेबसाइट की एएमसी		2,128,500	1,935,000
			- बैंक प्रभार		1,138	2,355
IX. एफडीआर (आवेदन शुल्क) पर बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस की वापिसी	2,207,666	4,804,503	- वेतन एवं भत्ते (30 प्रतिशत)		11,851,359	-
			- पट्टे की दुकानों के लिए भुगतान		429,207	420,666
			- सोलर पैनल-छत टॉप-मुख्यालय		-	2,180,036
			- मरम्मत एवं रखरखाव - पट्टे की दुकान		-	354,493
			IX. अंत शेष			



प्राप्तियां	2017-18	2016-17	भुगतान	2017-18	2016-17
	चातुर्वर्ष	फिखल वरु		चातुर्वर्ष	फिखल वरु
			क) हाथ में रोकड मुख्यालय पर	16,014	
			राबाबो केन्द्रों पर	41,672	89,516
			ख) बैंक शेष		
			1) चातुर्वर्षीय में		
			2) जमा खातों में (राबाबो की आंतरिक प्रोदभूत राशि)		990,000,000
			3) जमा खातों में (प्रक्रिया शुल्क/ आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत)		349,000,000
			4) बचत खातों में		
			- रा.बा.बो. केन्द्रों पर - अग्रदाय राशि	7,608,709	
			- रा.बा.बो. केन्द्रों पर - सहायिकी राशि	756,676	
			- रा.बा.बो. केन्द्रों पर - आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत	98,126	
			- मुख्यालय पर		
			- रा.बा.बो. योजनाओं एवं आंतरिक प्रोदभूत हेतु	2,007,140,014	
			- आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत के लिए	68,758,784	
			- एनएचएम योजना के लिए	10,512,232	
			- एनबीएम योजना के लिए	233,918	
			- एमओएफपीआई फंड	1,315	
			- राष्ट्रीय केसर मिशन के लिए	38,617,737	
			- राबाबो दिल्ली केन्द्र पर एनएचएम योजना के लिए	49,903	
			- राबाबो दिल्ली केन्द्र पर एनबीएम योजना के लिए	35,032	278,634,161
योग	7,381,275,583	4,682,150,177	योग	7,381,275,583	4,682,150,177

हस्ता./- संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

हस्ता./- उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./- प्रबंध निदेशक

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018



## प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

### अनुसूची-1

(राशि रूप्यों में)

वर्ष 2017-18 के लिए स्थापना व्यय			
क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	ईपीएफ बोर्ड की भागीदारी	14,475,136	10,902,700
2	ईपीएस बकाया सहित	-	20,441
3	छुट्टी नकदीकरण	1,637,529	3,108,244
4	छुट्टी यात्रा रियायत दावे	981,381	692,171
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5,024,169	5,506,926
6	वेतन एवं भत्ते	53,504,115	43,499,407
7	कर्मचारी कल्याण	222,042	299,916
8	बोनस व अन्य भत्ता	24,000	78,231
9	बच्चों का शिक्षा भत्ता	210,495	759,495
10	वर्ष के दौरान प्रदत्त उपदान	1,921,450	3,689,579
11	जीएसएलआईपी	-	98,007
<b>कुल</b>		<b>78,000,317</b>	<b>68,655,117</b>

## प्राप्ति तथा भुगतान लेखा वर्ष 2017-18 के लिए प्रशासनिक व्यय

### अनुसूची-2

(राशि रूप्यों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	विद्युत और ऊर्जा	1,654,940	2,221,210
2	बैंक प्रभार और ब्याज	7,714	3,537
3	जनरेटर चालन तथा अनुरक्षण	726,283	670,967
4	बीमा	6,316	5,798
5	मरम्मत एवं रखरखाव	1,295,709	1,010,078
6	सुरक्षा प्रभार तथा गृह-व्यवस्था व्यय	6,386,684	4,679,312
7	वाहन का चालन तथा अनुरक्षण	192,989	327,693
8	डाक, दूरभाष ओर संचार प्रभार	670,204	818,250
9	मुद्रण तथा स्टेशनरी	817,456	934,970
10	वाहन व यात्रा	3,642,450	5,701,855
11	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	85,141	50,021
12	कार्यालय व्यय	312,878	652,299
13	बैठक/सत्कार पर व्यय	72,706	217,934
14	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक / शुल्क	378,718	581,897
15	विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	1,922,508	745,578
16	विज्ञापन तथा प्रचार	464,247	188,182
17	फोटोकापी प्रभार	542,807	518,440
18	संपत्ति कर	196,020	166,617
19	विविध व्यय	16,515	-
<b>कुल</b>		<b>19,392,285</b>	<b>19,494,638</b>

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम  
31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची 1

(राशि रूप्यों में)

समग्र/पूंजी निधि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में शेष				
<b>क. प्रक्रियाएं शुल्क और आवेदन प्रपत्र लेखा के अलावा निधियों हेतु</b>	<b>1,087,317,074</b>		<b>1,143,514,336</b>	
जोड़े / (घटाएं) आय एवं व्यय लेखों से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष	1,909,513,135		63,284,333	
जोड़े : पुराने चैकों की वापिसी / (निरस्त)	-		(627,010)	
जोड़े : पूर्व वर्षों का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित / अतिशय अनुदान (केन्द्रों में)	624,175		4,032,890	
जोड़े : पूर्व वर्षों का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित / अतिशय अनुदान (मुख्याल में)	40,696,032		35,964,575	
घटाएं : भारत सरकार को वापिस की गई निधि	100,175,028		100,740,578	
घटाएं : आयकर / टीडीएस वापिसी	263,443		28,059,921	
घटाएं : अन्य वसूली योग्य	-		184,654	
घटाएं : प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क से अर्जित ब्याज	<b>24,282,105</b>	<b>2,913,429,840</b>	<b>29,866,896</b>	<b>1,087,317,074</b>
<b>ख. प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क लेखा हेतु</b>	<b>410,452,222</b>		<b>360,618,003</b>	
जोड़ें : आयकर / टीडीएस वापिसी	263,443		<b>28,059,921</b>	
जोड़े : अन्य वसूली योग्य	-		<b>184,654</b>	
जोड़ें : प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क से अर्जित ब्याज	24,282,105		29,866,896	
जोड़े / (घटाएं) आय एवं व्यय लेखों से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष	(10,847,137)	<b>424,150,633</b>	(8,277,252)	<b>410,452,222</b>
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>		<b>3,337,580,473</b>		<b>1,497,769,296</b>

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



अनुसूची 2

(राशि रूप्यों में)

आरक्षित तथा अधिशेष	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
<b>1. आरक्षित पूंजी :</b>				
पिछले लेखा के अनुसार	-			
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती				
<b>2. पूर्णमूल्यांकन आरक्षित :</b>				
पिछले लेखा के अनुसार	-			
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती				
<b>3. विशेष आरक्षित :</b>		-		-
पिछले लेखा के अनुसार	-			
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती				
		-		-
<b>4. सामान्य आरक्षित :</b>				
पिछले लेखा के अनुसार	-			
वर्ष के दौरान जोड़ी गई				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती				
<b>योग</b>		-		-

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



अनुसूची 3

(राशि रूप्यों में)

अभिचिह्नित/संचयी निधि निधियां	निधि-वार ब्यौरा				योग	
	एनएचएम योजना	एनबीएम योजना	राष्ट्रीय केसर मिशन	एमओएफ पीआई योजना	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	5,900,224	1,047,382	31,185,400	-	38,133,007	106,341,304
निधियों का प्रारंभिक शेष- ईएमडी			1,340,000		1,340,000	
ख. निधियों में वृद्धि					-	-
1. अनुदान / चंदे	20,000,000	-	132,700,000	-	152,700,000	75,809,611
2. निधियों से आय (बचत खाते पर ब्याज)	441,838	32,110	2,691,203	1,436	3,166,587	4,895,203
3. संगठनों से वापिस प्राप्त अव्ययित अनुदान	-	-		-	-	-
4. निविदा शुल्क	-	-	3,000	-	3,000	15,000
5. अग्रिम धन जमा	-	-	250,000	-	250,000	1,340,000
<b>योग (क + ख)</b>	<b>26,342,062</b>	<b>1,079,492</b>	<b>168,169,603</b>	<b>1,436</b>	<b>195,592,594</b>	<b>188,401,118</b>
ग. निधियों के उद्देश्य के निमित्त उपयोग / व्यय						
1. पूंजीगत व्यय :					-	-
- अचल परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
- परियोजना के लिए दिया गया अनुदान	-	-	129,015,848	-	129,015,848	117,796,382
	-	-	129,015,848	-	129,015,848	117,796,382
2. राजस्व व्यय :					-	-
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
- बैंक शुल्क	-	-	82	121	203	2,248
- अन्य प्रशासनिक खर्च- टीएसजी	15,779,927	810,542	49,556	-	16,640,026	30,871,587
- वापिस की गई ईएमडी	-	-	500,000		500,000	-
- एमएफपीआई / एचएमएनईएच को वापिसी	-	-	-	-	-	257,895
<b>योग</b>	<b>15,779,927</b>	<b>810,542</b>	<b>549,638</b>	<b>121</b>	<b>17,140,229</b>	<b>31,131,729</b>
<b>कुल योग</b>	<b>15,779,927</b>	<b>810,542</b>	<b>129,565,486</b>	<b>121</b>	<b>146,156,077</b>	<b>148,928,111</b>
<b>वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क+ख+ग)</b>	<b>10,562,135</b>	<b>268,950</b>	<b>38,604,117</b>	<b>1,315</b>	<b>49,436,517</b>	<b>39,473,007</b>

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता /-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

#### अनुसूची 4

(राशि रूप्यों में)

प्रतिभूत ऋण तथा उधारियां:	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं				
क. सावधि ऋण		-		-
ख. प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
4. बैंक :				
क. सावधि ऋण				
– प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)				
– प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसिया		-		--
6. डिवेंचर तथा बांडस		-		--
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		--		--
<b>योग</b>		-		-

#### अनुसूची 5

(राशि रूप्यों में)

अप्रतिभूत ऋण तथा उधारियां :	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं				
क. सावधि ऋण		-		-
ख. प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		-
4. बैंक :				
क. सावधि ऋण		-		-
– प्रोदभूत ब्याज तथा देय				
ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		-		-
– प्रोदभूत ब्याज तथा देय		-		--
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसिया		-		--
6. डिवेंचर तथा बांडस		--		--
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
<b>योग</b>		-		-

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)





## अनुसूची 6

(राशि रूप्यों में)

आस्थगित क्रेडिट देयताएं	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. पूंजीगत उपस्कर तथा अन्य परिसंपत्तियां के रहन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां		-		-
ख. अन्य		-		-
<b>योग</b>		-		-

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि

## अनुसूची 7

(राशि रूप्यों में)

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
<b>क. वर्तमान देयताएं</b>				
1. स्वीकृतियां		-		-
2. विविध लेनदार :				
क. सामान हेतु				
ख. अन्य		-		-
3. अग्रिम प्राप्ति				
4. निम्न पर प्रोदभूत ब्याज किंतु देय नहीं				
क. प्रतिभूत ऋण/उधारियां				
ख. अप्रतिभूत ऋण/उधारियां				
		-		-
5. सांविधिक देयताएं :				
क. अतिदेय				
ख. अन्य				
		-		-
6. अन्य वर्तमान देयताएं		2,330,329		1,792,245
<b>योग (क)</b>		<b>2,330,329</b>		<b>1,792,245</b>
<b>ख. प्रावधान</b>				
1. कराधान हेतु		-		-
2. उपदान	97,289,386			71,447,527
3. अधिवर्षिता/पेंशन				-
4. संचित छुट्टी/नकदीकरण	68,243,746			57,891,853
5. व्यापार वारंटी/दावे				-
6. अन्य-संदिग्ध ऋण	226,870,900	392,404,032		238,810,315
<b>योग (ख)</b>		<b>392,404,032</b>		<b>368,149,695</b>
<b>योग (क+ख)</b>		<b>394,734,361</b>		<b>369,941,940</b>

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



## राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरूग्राम 31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां

### अनुसूची 8

(राशि रूप्यों में)

विवरण	मूल्यहास की दर	सकल ख़ाक				मूल्यहास				विवल ख़ाक		
		वर्ष के आरंभ में कीमत	वर्ष के दौरान 30 सितम्बर से पूर्व	वर्ष के दौरान 30 सितम्बर के बाद	कटौतियां/समायोजन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान	कटौतियां/समायोजन	वर्ष के अंत में कुल	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
क. अनुदानों से												
(1) अचल परिसंपत्तियां												
भूमि :												
क. पूर्ण स्वामित्व		3,139,088	-	-	-	3,139,088	-	-	-	-	3,139,088	3,139,088
ख. पट्टे वाली धारी		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन :												
क. फ्रीहोल्ड भूमि पर	10%	22,871,006	-	-	-	22,871,006	18,067,915	480,309	-	18,548,224	4,322,782	4,803,091
ख. पट्टे वाली भूमि पर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्वामित्व परलेट/परिक्षेत्र		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. भूमि के सुपरदांचे	10%	162,742	-	-	-	162,742	127,374	3,537	-	130,911	31,831	35,569
संग्रह मशीनरी एवं उपकरण												
वाहन	15%	822,181	-	-	-	822,181	553,746	40,265	-	594,011	228,169	268,436
फर्नीचर तथा जुड़नार	10%	17,455,175	56,475	57,443	5,720	17,563,373	11,083,481	645,862	-	11,729,343	5,834,030	6,369,855
कार्यालय उपस्कर	15%	19,274,349	261,680	383,061	2,832	19,916,258	15,541,906	629,469	-	16,171,375	3,744,883	3,726,778
कम्प्यूटर उपस्कर	60%	14,959,470	471,179	481,938	4,530	15,908,057	14,458,957	725,604	-	15,184,561	723,496	491,453
पुस्तकालय, पुस्तकें	100%	2,039,596	2,780	22,754	-	2,065,130	2,032,621	21,132	-	2,053,752	11,376	6,975
ट्यूबवैल तथा जल पूर्ति	15%	85,040	-	-	-	85,040	84,740	45	-	84,785	257	300
सीलर पैनाल	80%	2,180,036	-	-	-	2,180,036	1,744,029	348,806	-	2,092,835	87,201	436,007
<b>योग</b>		<b>82,988,683</b>	<b>792,114</b>	<b>945,196</b>	<b>13,082</b>	<b>84,712,911</b>	<b>63,694,769</b>	<b>2,895,029</b>	<b>-</b>	<b>66,589,797</b>	<b>18,123,113</b>	<b>19,277,351</b>
ख. प्रक्रिया शुल्क और आवेदन प्रपत्र तथा स्कीम बारधार शुल्क राशि से												
भवन :												
क. फ्रीहोल्ड भूमि पर	10%	2,115,724	-	-	-	2,115,724	1,451,788	66,394	-	1,518,182	597,542	663,937
ख. पट्टे वाली रुकानों पर		3,134,730	-	-	600,000	2,534,730	-	471,578	-	471,578	2,063,152	3,134,730
<b>योग</b>		<b>5,250,454</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600,000</b>	<b>4,650,454</b>	<b>1,451,788</b>	<b>537,971</b>	<b>-</b>	<b>1,989,759</b>	<b>2,660,695</b>	<b>3,798,667</b>
<b>वर्तमान वर्ष का योग</b>		<b>88,239,137</b>	<b>792,114</b>	<b>945,196</b>	<b>613,082</b>	<b>89,363,365</b>	<b>65,146,556</b>	<b>3,433,000</b>	<b>-</b>	<b>68,579,556</b>	<b>20,783,808</b>	<b>23,076,018</b>
पिछला वर्ष		84,050,842	2,955,224	1,233,071	-	88,239,137	60,774,975	4,379,863	8,282	65,146,556	23,076,018	23,275,869

स्थान : गुरूग्राम

दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-

प्रबंध निदेशक

हस्ता./-

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



### अनुसूची 9

(राशि रूप्यों में)

निर्दिष्ट/संचयी निधियों से निवेश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर तथा बंध-पत्र	-	-
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	-	-
<b>योग</b>	-	-

### अनुसूची 10

(राशि रूप्यों में)

अन्य निवेश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	--	--
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	--	--
3. शेयर	--	--
4. डिबेंचर तथा बंध-पत्र	--	--
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम	--	--
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	--	--
<b>योग</b>	--	--

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



अनुसूची 11

(राशि रूप्यों में)

वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
<b>क. वर्तमान परिसम्पत्तियां</b>				
1. वस्तु सूचियां :				
क. भंडार एव कल पुर्जे	167,343		50,605	
ख. हस्तगत स्टॉप	-		-	
ग. व्यापार में स्टॉक	-		-	
—तैयार सामान	-		-	
— कार्य प्रगति पर	-		-	
— कच्चा माल	-		-	
	167,343		-	
2. विविध देनदार :				
क. 6 महीने से अधिक अवधि का बकाया	-		-	
ख. अन्य जमा	-		-	
3. हस्तगत नगदी शेष (चैक/ड्राफ्ट आदि सहित)	57,686		89,516	
4. बैंक शेष				
क. अधिसूचित बैंको के पास :				
— चालू खातों में	-		-	
— जमा खातों में				
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत	349,000,000		350,000,000	
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	990,000,000		950,000,000	
— बचत खातों में (मुख्य कार्यालय)	2,125,348,935		270,786,575	
— बचत खातों में — अग्रदाय खाता (केन्द्रों)	7,608,708		6,714,048	
— बचत खाते में — सहायिकी खाता (केन्द्रों)	756,676		988,473	
— बचत खाते में —आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम ब्राउचर की लागत (केन्द्रों)	98,126	3,472,812,445	145,066	1,578,634,161
ख. गैर अधिसूचित बैंकों के पास :				
— चालू खातों में	-		-	
— जमा खातों में	-		-	
— बचत खातों में	-		-	
			-	-
5. डाक घर बचत खाता			-	-
<b>योग (क)</b>		<b>3,473,037,475</b>		<b>1,578,774,282</b>



वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
<b>ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां</b>				
1. ऋण और अग्रिम				
क. स्टाफ	2,153,760		3,104,779	
ख. अन्य	-		-	
ग. निकाय के समान क्रियाकलापों/ उद्देश्यों में रत अन्य निकाय	-		-	
घ. बोर्ड की योजनाओं के तहत उधार ऋण				
– अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य	-		-	
– संदिग्ध	198,729,681		208,079,681	
		200,883,441		211,184,460
2. नकद अथवा वस्तु में अथवा प्राप्त किए जाने वाले				
मूल्य हेतु वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य राशियां				
क. पूंजी खाते में	-		-	
ख. पूर्वदत्त व्यय	486,698		89,778	
ग. जमा व वसूली योग्य	3,280,425		1,187,346	
		3,767,123		1,277,124
3. अर्जित आय:				
क. निर्दिष्ट/संचयी निधि से निवेश पर	-		-	
ख. एफडीआर निवेश पर				
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत	1,259,934		2,407,053	
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	18,773,507		23,578,275	
ग. बचत खातों पर	-		-	
घ. उधार ऋणों पर				
– अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य	-		-	
– संदिग्ध (अप्राप्त बकाया आय सहित)	28,141,219		30,730,634	
		48,174,660		56,715,962
4. बैंक द्वारा स्रोत पर कर कटौती		35,104,844	-	36,156,396
<b>योग (ख)</b>		<b>287,930,068</b>		<b>305,333,942</b>
<b>योग (क+ख)</b>		<b>3,760,967,543</b>		<b>1,884,108,225</b>

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

## 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा के अंश दर्शाती अनुसूचियां

### अनुसूची 12

(राशि रूप्यों में)

बिक्री/सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. बिक्री से आय :				
क. तैयार माल की बिक्री	-		-	
ख. कच्चे माल की बिक्री	-		-	
ग. स्क्रेप की बिक्री	-		-	
		-		-
2. सेवाओं से आय :				
क. प्रक्रिया शुल्क	-		-	
ख. आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउचर की लागत	14,871,454		7,716,415	
घटाएं : खर्च किया गया व्यय	(25,718,590)	(10,847,137)	(15,993,667)	(8,277,252)
ग. व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं	-		-	
घ. एजेंसी कमीशन तथा ब्रोकरेज	-		-	
ङ अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-		-	
च. अन्य	-		-	
<b>योग</b>		<b>(10,847,137)</b>		<b>(8,277,252)</b>

### अनुसूची 13

(राशि रूप्यों में)

अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अप्रत्यादेय अनुदान तथा सहायिकी)	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार				
योजनागत व्यय				
एनएचबी बजट से	5,396,600,000		2,542,500,000	
गैर योजनागत व्यय	-		-	
		5,396,600,000		2,542,500,000
2. राज्य सरकार (सरकारें)		-		-
3. सरकारी एजेंसियां		-		-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय		-		-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		-		-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
<b>योग</b>		<b>5,396,600,000</b>		<b>2,542,500,000</b>

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



### अनुसूची 14

(राशि रूप्यों में)

शुल्क/अभिदान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य	-	-
<b>योग</b>	-	-

टिप्पणी : प्रत्येक मद से संबंधित लेखाकरण नीतियों को दर्शाया जाएं

### अनुसूची 15

(राशि रूप्यों में)

निवेशों से आय (निधियों में अंतरित अभिचिह्नित/संचयी निधियों से निवेश पर आय)	अभिचिह्नित निधि से निवेश		निवेश आय	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर			-	
ख. अन्य बंध-पत्रों/डिबेंचरों से			-	
ग. अन्य (बैंको में सावधिक जमा)			-	-
	-	-	-	-
2. लाभांश				
क. शेयरों से			-	
ख. म्यूचअल फंड प्रतिभूतियों पर			-	
	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
<b>योग</b>	-	-	-	-
<b>अभिचिह्नित/संचयी निधियों में अंतरित</b>	-	-		

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

### अनुसूची 16

(राशि रूप्यों में)

रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रकाशनों से आय	16,500	19,175
2. रॉयल्टी से आय	-	-
3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
<b>योग</b>	<b>16,500</b>	<b>19,175</b>

### अनुसूची 17

(राशि रूप्यों में)

अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. मियादी जमा पर :		
क. अनुसूचित बैंकों से	73,935,403	82,116,035
ख. गैर अनुसूचित बैंको से	-	-
ग. संस्थानों से	-	-
घ. अन्य	-	-
	73,935,403	82,116,035
2. बचत खातों पर :		
क. अनुसूचित बैंकों से	74,960,487	28,078,278
ख. गैर अनुसूचित बैंको से	-	-
ग. डाक घर बचत खातों से	-	-
घ. अन्य – केन्द्रों पर	-	-
	74,960,487	28,078,278
3. ऋणों पर :		
क. कर्मचारियों/स्टाफ से	23,231	95,177
ख. उदार ऋण योजना के तहत लाभार्थियोंसे वसूली योग्य सेवा शुल्क	-	-
ग. उदार ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से प्राप्त किया गया सेवा शुल्क	-	-
	23,231	95,177
4. ऋणी तथा अन्य प्राप्ति योग्य पर ब्याज	2,066,995	9,279,429
<b>योग</b>	<b>150,986,116</b>	<b>119,568,919</b>

टिप्पणी : स्रोत पर काटे गये कर को शामिल किया जाए

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)





### अनुसूची 18

(राशि रूप्यों में)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
क. स्वयं की परिसंपत्तियां	-	
ख. अनुदानों से अभिग्रहित, अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-	
	-	-
2. प्राप्त किराया	3,576,408	168,180
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	55,283	133,170
5. प्राप्त हुए सेवा प्रभार/दंड ब्याज	10,536,589	-
<b>योग</b>	<b>14,168,280</b>	<b>301,350</b>

### अनुसूची 19

(राशि रूप्यों में)

तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी/(कमी) तथा कार्य प्रगति पर	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. अंतिम स्टॉक		
क. तैयार माल		
ख. कार्य प्रगति पर		
	-	-
2. घटाएं : प्रारंभिक स्टॉक		
क. तैयार माल		
ख. कार्य प्रगति पर		
	-	-
<b>शुद्ध वृद्धि/(कमी) (1-2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

## अनुसूची 20

(राशि रूप्यों में)

स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वेतन एवं भत्ते	53,504,115	43,499,407
ख. अन्य भत्ते तथा बोनस	6,664,369	7,036,823
ग. भविष्य निधि में अंशदान	14,469,416	10,894,469
घ. स्टॉफ कल्याण पर व्यय	262,302	299,124
ड. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर व्यय तथा सेवांत लाभ	39,752,731	17,148,656
<b>योग</b>	<b>114,652,933</b>	<b>78,878,479</b>

## अनुसूची 21

(राशि रूप्यों में)

अन्य प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. विद्युत तथा ऊर्जा	1,657,158	2,172,327
ख. जनरेटर चालन तथा रखरखाव	726,283	690,967
ग. बीमा	20,765	19,165
घ. मरम्मत एवं अनुरक्षण	1,334,162	1,011,878
ड. सुरक्षा प्रभार तथा गृह व्यवस्था पर व्यय	6,386,684	4,679,312
च. वाहन चालन तथा अनुरक्षण	263,454	330,693
छ. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	664,961	812,724
ज. मुद्रण तथा स्टेशनरी	700,718	1,057,777
झ. यात्रा तथा वाहन व्यय	3,645,450	5,704,255
ञ. समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं	88,674	54,048
ट. कार्यालय व्यय	350,018	687,403
ठ. बैठक/सत्कार संबंधी व्यय	73,906	222,934
ड. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक/शुल्क	378,718	581,897
ढ. विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	1,922,508	745,578
ण. विज्ञापन और प्रचार	492,205	188,182
त. फोटोकापी प्रभार	538,780	518,440
थ. संपत्ति कर	196,020	166,617
द. विविध व्यय	15,331	-
<b>योग</b>	<b>19,455,795</b>	<b>19,644,197</b>

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



## अनुसूची 22

(राशि रूप्यों में)

अनुदानों, सहायिकी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष		
क. संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान				-
ख. संस्थानों/संगठनों को दी गई सहायिकी (उत्तरपूर्वी राज्यों के अलावा हेतु )				
1) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी)	2,954,747,212		1,799,230,918	
– उदार ऋण योजना के तहत कानूनी मामलों हेतु विविध व्यय	807,227		3,035,866	
2) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजीगत निवेश सहायिकी	447,676,300		536,615,321	
3) बागवानी हेतु प्रौद्योगिकी विकास/संवर्धन	16,298,296		26,993,765	
4) बागवानी फसलों हेतु बाजार सूचना सेवा	95,230,885		81,654,029	
5) बागवानी संवर्धन सेवाएं व्यय (उत्तर पूर्वी राज्यों सिक्किम सहित हेतु)	-		2,009,972	
1) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी)	11,068,681		12,800,900	
2) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजीगत निवेश सहायिकी	-		39,083,000	
3) बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास/हस्तांतरण	817,947	3,526,646,548	3,835,264	2,505,259,035
<b>योग</b>		<b>3,526,646,548</b>		<b>2,505,259,035</b>

टिप्पणी : निकायों के नाम, उनके क्रियाकलापों तथा अनुदान/सहायिकी राशि को प्रकट किया जाए।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र संगठन इस प्रकार से हैं:-

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, संगठनों/प्रोमोटरों, जैसे उत्पादकों का एसोसिएशन, व्यक्तिगत, कृषक उत्पादकों/उपभोक्ताओं का समूह, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), साझेदारी/स्वामित्व फर्म, स्वतः सहायता समूहों (एसएचजीओ), गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), कम्पनियां, निगमों, सहकारिताओं, सहकारिता विपणन फैंडरेशन, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगमों/कमेटियां, एग्रो-इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशनों, एसएयू(ओ) और अन्य संबंधित आर एंड डी संगठनों रा.बा.बो. की सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

प्रत्येक गतिविधि में वितरित की गई सहायिकी को उपरोक्त अनुसूची सं0 22 में दर्शाया गया है। लाभार्थी-वार विवरण अलग पुस्तिका में उपलब्ध है। रा.बा.बो. की योजनाओं के अतिरिक्त, रा.बा.बो. एनएचएम, एनबीएम, एमओएफपीआई योजनाओं और केसर मिशन के विशेष घटकों को भी क्रियान्वित करता है।



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

### अनुसूची 23

(राशि रूप्यों में)

ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. स्थायी ऋणों पर	-	-
ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	7,714	3,537
ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	1,185	-
<b>योग</b>	<b>8,899</b>	<b>3,537</b>

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



## राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

### 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

#### अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

##### 1. लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा घोषित नहीं किया जाए, ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा लेखांकन की प्रोदभवन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है।

##### 2. वस्तु सूचियों का मूल्यांकन

भंडार, कलपुर्जो (मशीनरी कलपुर्जो सहित) तथा स्टेशनरी वस्तुओं को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

##### 3. उत्पाद शुल्क

लागू नहीं

##### 4. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को लेखें में ऐतिहासिक लागत घटा मूल्यह्रास पर दर्शाया जाता है।

##### 5. मूल्यह्रास

(क) मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार कम मूल्य लिखे जाने की पद्धति पर मुहैया करवाया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वर्धन/कटौतियों के संबंध में मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मुहैया करवाया गया है।

##### 6. सरकारी अनुदान/सहायिकी

भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से प्राप्त सहायता-अनुदान को प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

विभिन्न योजनाओं, एनएचबी योजनाओं को छोड़कर, के अंतर्गत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान को निर्दिष्ट निधियों में दर्ज किया गया है।

##### 7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेन-देन को, तत्संबंधी लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए गए हैं।

##### 8. सेवानिवृत्ति हितलाभ

क) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर देय उपदान संबंधी प्रावधान का प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया गया है।



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

ख) कर्मचारियों को संचयित छुट्टी के नकदीकरण लाभ संबंधी प्रावधान को प्रोदभूत किया गया है तथा उसे यह मानकर परिकल्पित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी इस लाभ को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

#### 9. राजस्व मान्यता

(क) एफडीआर पर ब्याज, ऋणों तथा अग्रिमों पर सेवा प्रभार जैसी आय को प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया गया है।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त शेषों को जब और जैसे प्राप्त होने पर लेखांकित किया गया है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता/सहायिकी के लिए जारी राशि को जारी किए जाने के वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया गया है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान पिछले वर्षों की वापस की गई अप्रयुक्त धनराशि को समग्र/पूँजी निधि में दर्ज किया गया है।

10. माह मार्च, 2018 के लिए वेतन एवं भत्तों के प्रावधान को लेखें में नहीं किया है, क्योंकि यह अगले वर्ष में देय हैं।

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-

प्रबंध निदेशक

हस्ता./-

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता /-

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



## राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

### 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

#### अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं तथा लेखे पर टिप्पणियां

##### 1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1 निकाय के प्रति दावों जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.2 निम्न के मामले में –
  - निकाय की ओर से/द्वारा दी गई बैंक गारंटियां– रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
  - निकाय की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
  - बैंकों के साथ छूट दिए गए बिल – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांगे:
  - बिक्री कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
  - नगर निगम कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए पक्षों द्वारा किए गए दावे, परंतु जिनका निकाय द्वारा प्रतिवाद किया जा रहा है
  - रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

##### 2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। (अग्रिम का निवल) – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

##### 3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र तथा मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भविष्य की बाध्यताएं

– रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

##### 4. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधन के मतानुसार व्यापार के सामान्य रूप में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋणों तथा अग्रिमों का वसूली मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाई गई समग्र राशि के समतुल्य है।

##### 5. कराधान

निर्धारण वर्ष 2008-09 तक के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) को केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23सी) (iv) के अंतर्गत अधिसूचित किया है। निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23सी) (iv) के अंतर्गत छूट अवधि को बढ़ाने के लिए आयकर प्राधिकारियों के पास आवेदन दायर किया गया, परन्तु मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। बोर्ड ने मुख्य आयकर आयुक्त के



आदेशों के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में एक रिट याचिका दायर की है। मामले में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय प्रतिक्षित है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने दिनांक 16-04-2010 को निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23सी) (iv) के अंतर्गत छूट प्रदान करने के लिए सीसीआईटी, पंचकूला, हरियाणा को आवेदन किया गया था। सीसीआईटी ने आदेश दिनांक 26-04-2011 के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उपरोक्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में रिट याचिका दायर की है। माननीय न्यायालय ने सीसीआईटी को निर्देश दिया है कि इस संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रलेखों के मद्दनेजर प्रार्थी के आवेदन पर पुनर्निर्णय करें। इस मामले में सीसीआईटी से अभी तक कोई भी निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

रा.बा.बो. ने दिनांक 31-03-2014 को सीसीआईटी, पंचकूला, हरियाणा के पास भी अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23सी) (iv) के अंतर्गत रा.बा.बो. को छुट प्रदान करने के लिए निर्धारण वर्ष 2014-15 और उससे आगे के लिए आवेदन दायर किया था, परन्तु इसे मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने सीसीआईटी द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में रिट याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय से मामले में निर्णय की प्रतीक्षा है।

बोर्ड, आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत आयकर प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत भी है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 (निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबद्ध) की निर्धारण गतिविधियों के दौरान आवेदन सह ब्राउचर शुल्क से अर्जित प्राप्तियों को गैर-धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया और रा.बा.बो द्वारा प्राप्त की गई आवेदन सह ब्राउचर शुल्क पर रु 98,96,505/- का कर लगाया गया। रा.बा.बो. ने इसे प्रतिवाद के तहत जमा किया था। रा.बा.बो. ने निर्धारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी), नई दिल्ली ने रा.बा.बो. के पक्ष में अपील पर निर्णय लिया है। तदनुसार, रु 1,26,18,040/- ( टैक्स जमा रु 98,96,505/- तथा ब्याज रु 27,21,535/-) की धन वापिसी वर्ष के दौरान आयकर प्राधिकारियों से प्राप्त हुई है। तथापि, आयकर विभाग ने आईटीएटी के आदेश के खिलाफ माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में अपील दायर की है। इस निर्णय की अभी प्रतीक्षा है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 (निर्धारण वर्ष 2010-11 से संबद्ध) की निर्धारण गतिविधियों के दौरान आवेदन सह ब्राउचर शुल्क से अर्जित प्राप्तियों को गैर-धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया और रा.बा.बो द्वारा प्राप्त की गई आवेदन सह ब्राउचर शुल्क पर रु 1,52,04,930/- का कर लगाया गया। रा.बा.बो. ने इसे प्रतिवाद के तहत जमा किया था। रा.बा.बो. ने निर्धारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी), नई दिल्ली ने रा.बा.बो. के पक्ष में अपील पर निर्णय लिया है। तदनुसार, रु 1,75,61,690/- ( टैक्स जमा रु 1,52,04,930/- तथा ब्याज रु. 23,56,760/-) की धन वापिसी वर्ष के दौरान आयकर प्राधिकारियों से प्राप्त हुई है। तथापि, आयकर विभाग ने आईटीएटी के आदेश के खिलाफ माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में अपील दायर की है। इस निर्णय की अभी प्रतीक्षा है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 (निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबद्ध) की निर्धारण गतिविधियों के दौरान आवेदन सह ब्राउचर शुल्क से अर्जित प्राप्तियों को गैर-धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया और रा.बा.बो द्वारा प्राप्त की गई आवेदन सह ब्राउचर शुल्क पर रु 76,99,700/- का कर लगाया गया।





वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान रा.बा.बो. की सावधि जमा पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुरुग्राम द्वारा टीडीएस राशि रु 80,72,944/- को पहले ही काट लिया गया था। आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी), नई दिल्ली ने रा.बा.बो. के पक्ष में अपील करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, रु. 99,40,710/- ( ब्याज सहित) की धन वापिसी वर्ष के दौरान आयकर प्राधिकारियों से प्राप्त हुई है। तथापि, आयकर विभाग ने आईटीएटी के आदेश के खिलाफ माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में अपील दायर की है। इस निर्णय की अभी प्रतीक्षा है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 (निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबद्ध) की निर्धारण गतिविधियों के दौरान आवेदन सह ब्राउचर शुल्क से अर्जित प्राप्तियों को गैर-धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया और रा.बा.बो द्वारा प्राप्त की गई आवेदन सह ब्राउचर शुल्क पर रु 21,81,917/- का कर लगाया गया। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान रा.बा.बो. की सावधि जमा पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुरुग्राम द्वारा टीडीएस राशि रु. 80,44,928/- को पहले ही काट लिया गया था। रा.बा.बो. ने निर्धारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की है। आयकर (अपील) आयुक्त ने राबाबो के पक्ष में अपील करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, रु 92,51,660/- ( ब्याज सहित ) की धन वापिसी वर्ष के दौरान आयकर प्राधिकारियों से प्राप्त हुई है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 (निर्धारण वर्ष 2013-14 से संबद्ध) की निर्धारण गतिविधियों के दौरान आवेदन सह ब्राउचर शुल्क से अर्जित प्राप्तियों एवं इसके ब्याज को गैर-धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया और रा.बा.बो द्वारा प्राप्त की गई आवेदन सह ब्राउचर शुल्क पर रु 38,92,965/- का कर लगाया गया। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान रा.बा.बो. की सावधि जमा पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुरुग्राम द्वारा टीडीएस राशि रु 85,38,370/- को पहले ही काट लिया गया था। रु 67,59,816/- (ब्याज सहित) की धन वापिसी वर्ष के दौरान आयकर प्राधिकारियों से प्राप्त हुई है। शेष धनराशि के लिए, आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी), चंडीगढ़ ने रा.बा.बो. के पक्ष में केश का निर्णय किया है। तथापि, टीडीएस राशि रु 29,05,197/- आयकर प्राधिकारियों के पास अभी तक बकाया है।

निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(2) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 (निर्धारण वर्ष 2014-15) हेतु नोटिस जारी किया है और आयकर राशि रु 3,15,54,236/- सीआईटी (ए) द्वारा आंकी गई थी। तदनुसार, टीडीएस राशि रु 87,95,725/- के समायोजन के पश्चात राशि रु 12,95,290/- की मांग की गई थी जिसे वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान राबाबो के सावधि जमा के ब्याज पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुरुग्राम द्वारा पहले ही काट लिया गया था। शेष धनराशि के लिए, आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी), चंडीगढ़ ने रा.बा.बो. के पक्ष में केश का निर्णय किया है। तदनुसार, वर्ष के दौरान आयकर प्राधिकारियों से रु 1,08,62,720/- (टीडीएस रु 87,95,725/- जमा ब्याज रु 20,66,995/-) प्राप्त हुए हैं।

राबाबो ने वित्तीय वर्ष 2014-15 (निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबद्ध) के लिए शून्य आय की आयकर रिटर्न दायर की है जिसमें रु 73,00,450/- की धन वापिसी का दावा किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राबाबो के सावधि जमा के ब्याज पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुरुग्राम द्वारा काट लिया गया था। यह आयकर प्राधिकारियों से अभी वापिस होना है।

राबाबो ने वित्तीय वर्ष 2015-16 (निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबद्ध) के लिए शून्य आय की आयकर रिटर्न दायर की है जिसमें रु 89,43,420/- की धन वापिसी का दावा किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राबाबो के सावधि जमा के ब्याज पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुरुग्राम द्वारा काट



लिया गया था। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143 (2) के अंतर्गत नोटिस जारी किया है। इसका निर्णय अभी प्राप्त होना है।

राबाबो ने वित्तीय वर्ष 2016–17 (निर्धारण वर्ष 2017–18 से संबद्ध) के लिए शून्य आय की आयकर रिटर्न दायर की है जिसमें ₹0 82,11,604/- की धन वापिसी का दावा किया गया है जो राबाबो के सावधि जमा के ब्याज पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुरुग्राम द्वारा काट लिया गया था। यह आयकर प्राधिकारियों से अभी वापिस होना है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 (निर्धारण वर्ष 2018–19 से संबद्ध) के दौरान राबाबो के सावधि जमा के ब्याज पर तथा रा.बा.बो. को भुगतान किए गए किराये पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुरुग्राम द्वारा टीडीएस राशि ₹0 77,44,173/- काट लिया गया है जोकि आयकर प्राधिकारियों के पास आयकर रिटर्न दाखिल करते समय वापिसी के रूप में दावायोग्य है।

## 6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- 6.1 सीआईएफ के आधार पर परिकल्पित आयातों का मूल्य
- तैयार माल की खरीद शून्य
  - कच्चा माल तथा घटक (अंतरण अधीन सहित) शून्य
  - पूंजीगत वस्तुएं शून्य
  - भंडार, कलपुर्जे तथा उपभोज्य शून्य
- 6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय
- क. यात्रा व्यय रु. 5,20,385/-
- ख. वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषित धनराशि तथा ब्याज का भुगतान शून्य
- ग. प्रौद्योगिकी जागरुकता हेतु मशीनरी की खरीद संबंधी भुगतान शून्य
- घ. अन्य व्यय:
- बिक्री पर कमीशन शून्य
  - विधिक तथा व्यावसायिक व्यय शून्य
  - विविध व्यय शून्य
- 6.3 आय
- एफओबी आधार पर निर्यातों का मूल्य शून्य
- 6.4 लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक:
- लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में शून्य
  - जेब खर्ची व्यय शून्य
  - कराधान मामले शून्य
  - अन्य शून्य
7. प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम बाउचर की लागत के कारण संचयी निधि और प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम बाउचर की लागत से सृजित स्थाई परिसंपत्तियों पर खर्च किए गए व्यय को बोर्ड के वार्षिक लेखों में अलग से दर्शाया गया है।



8. सिविल मुकदमा दाखिल किए जाने के वर्ष से दाखिल उदार ऋण मामले में सेवा प्रभार का प्रावधान नहीं किया जाता है। तथापि, मुकदमा किए गए उन मामलों के संबंध में वसूली की सीमा तक सेवा प्रभार लगाया गया है जिसमें संबंधित अवधि के दौरान राशि वसूल की गई है।
9. उन उदार ऋण मामलों की वसूली के समायोजन संबंधी, रा.बा.बो. की पद्धति के अनुसार, जिनमें वसूली की एकमुश्त राशि जो मूलधन राशि और देय सेवा प्रभारों से कम है, रा.बा.बो. वसूली की राशि को पहले सेवा प्रभारों में और बाकी की राशि को मूलधन राशि में समायोजित करता है।  
तथापि, वर्ष के दौरान दो सॉफ्ट लोन मामले में रु0 1,19,39,415/- की राशि प्राप्त हुई थी, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जिसमें से रु0 93,50,000/- की राशि मूलधन और शेष रु. 25,89,415/- की राशि सेवा प्रभार के रूप में प्राप्त हुई थी। तदनुसार, लेखा बहियों में इसको समायोजित किया गया है। और इस पर, वर्ष के दौरान दंड ब्याज राशि रु0 1,05,36,589/- प्राप्त हुआ है।
10. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने फरवरी 2017 में अस्थायी तौर पर सितम्बर 2016 में परिसमाप्त हुए भूतपूर्व राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड (नॉवोड) की भूमि व भवन को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था और एनएचबी को अपने बजट में से सुरक्षा स्टाफ, बिजली व्यय आदि की मजूदरी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था जिसके लिए एनएचबी को बाद में फंड हस्तांतरित किया जाएगा। वर्ष 2017-18 के दौरान एनएचबी ने मजूदरी, बिजली व्यय आदि पर राशि रु0 23,78,888/- का भुगतान किया था जिसे नॉवोड बोर्ड से वसूलीयोग्य दिखाया गया है।
11. इंडियन ओवरसीज बैंक से प्राप्त हुए किराया राशि रु0 35,76,408/- में पिछले वर्षों से संबंधित बकाया किराया भी शामिल है जिसकी अन्तिम निर्धारण के अधीन अस्थाई आधार पर गणना की गई है और तदनुसार इसका समायोजन बाद में किया जाएगा।
12. लाभार्थियों द्वारा देयों के विलंब से किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में लेखे में दंडात्मक ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है। इसे प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।
13. उदार ऋणों की वसूली के लिए बोर्ड ने चूककर्ता ऋणियों के खिलाफ सिविल मुकदमें दायर किए हैं। 31.03.2018 तक संदिग्ध ऋणों के लिए 23,88,10,315/- रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
14. सिविल मुकदमा दाखिल किए गए मामलों में न्यायालय शुल्क, यदि कोई हो, को व्यय लेखा से भुगतान आधार पर घटाया गया है।
15. पिछले वर्ष के लिए तदनुसूची आंकड़ों को, जहां आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
16. आंकड़ों को निकटतम रूप में पूर्णांकित किया गया है।
17. 31 मार्च, 2018 तक के तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के साथ संलग्न 1 से 25 तक अनुसूचियां, इसका एक एकीकृत भाग है।

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 25.06.2018

हस्ता./-  
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-  
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)



# CONTENTS

## PREFACE

### 1. THE ORGANIZATION

- 1.1 Vision
- 1.2 Mission
- 1.3 Objectives

### 2. SET UP

- 2.1 Board of Directors
- 2.2 Managing Committee of NHB

### 3. RESOURCES

- 3.1 Our People
- 3.2 Our Network
- 3.3 Our Infrastructure

### 4. FUNDING

### 5. SCHEMES/PROGRAMMES

#### 5.1 Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management

- 5.1.1 Commercial Horticulture Development in open field conditions on project mode
- 5.1.2 Commercial Horticulture Development in protected cover on project mode
- 5.1.3 Integrated Post Harvest Management projects
- 5.1.4 Achievements

#### 5.2 Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/ Expansion/ Modernization of Cold Storages and Storages for Horticulture Produce

- 5.2.1 Cold Storage unit Type-1 – basic type with single temperature zone
- 5.2.2 Cold Storage unit Type- 2 - with multiple temperature zones and basic material handling equipment
- 5.2.3 Cold Storage unit Type- 2 - with add on technology for Controlled Atmosphere
- 5.2.4 Technology induction and modernization of cold chain
- 5.2.5 Achievements

#### 5.3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

- 5.3.1 Objectives
- 5.3.2 Components & Pattern of Assistance
- 5.3.3 Achievements

#### 5.4 Market Information Service for Horticulture Crops

- 5.4.1 Objectives

#### 5.5 Horticulture Promotion Services/Expert Services and Strengthening Capabilities of NHB

## HIGHLIGHTS : 2017-18

### 1. Promotion of Commercial Horticulture

- a) Commercial Horticulture- Open Cultivation
- b) Commercial Horticulture- Protected Cultivation of flowers and Vegetables
- c) Support to Post-Harvest Management
- d) Quality Planting Material
- e) Supplementary Activities

### 2. Creation of Cold Storage Capacity

### 3. Technology Development & Transfer for Promotion of Horticulture

- a) Capacity Building Programmes
- b) Quality Planting Material

4. Hon'ble President awarded the "Rajbhasha Kirti Puraskar" to NHB in Hindi Diwas Samaroh - 2017

5. Secretary (DAC&FW), Govt. of India visited NHB assisted projects in Bengaluru District (Karnataka) and Nashik District (Maharashtra)

6. Sabka Saath Sabka Vikas Analysis : Geographic Inclusion and Social Inclusion

## ANNEXURES

- I. Objectives of the National Horticulture Board
- II. List of the Board of Directors of National Horticulture Board (as on 31.03.2018)
- III. Staff Position as on 31.03.2018
- IV. List of Field Offices of National Horticulture Board alongwith their Complete Address
- V. List of NHB Publications
- VI. Annual Accounts of the National Horticulture Board for the year 2017-18



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

## PREFACE

It is a great sense of accomplishment that Horticulture production of the Country has reached 306.8 million MT continuously outpacing Food grain production. India retains its position as the second largest producer of Fruits and Vegetables globally. The current production of Fruits (97 Million MT) and Vegetables (179.69 million MT) not only meets the ICMR EAC 2008 recommended dietary allowance for the country with respect to fruits and vegetables (400 gm / person/day) but also the current production is near achievement of projected demand of fruits and vegetables by ICAR in its vision 2030 (110 Million MT of Fruits and 180 Million MT of Vegetables) much in advance. This demonstrates willingness and risk taking entrepreneurship of Indian farmer to accomplish task of production to meet food and nutritional security of the Nation. Over a period, it is heartening to note that Horticulture sectors' contribution to overall Agriculture sector is growing very sharply.

Since its inception in 1984, NHB has contributed immensely to horticulture sector with its humble journey starting with Market Information Service and technology awareness schemes of 1987-1990, followed by launching of Soft loan scheme and introduction of credit linked back end subsidy scheme for commercial production, post-harvest management, processing and Cold storages since 2000. From 2014-15, NHB has been brought under Mission for Integrated development of Horticulture (MIDH) to accelerate planned development of commercial horticulture with new operational guidelines of NHB. In addition NHB has been promoting Technology development and transfer in partnership with ICAR Institutions and State Agriculture Universities.

2017-18 has been another eventful year for NHB. Some of the highlights of the development during the year includes establishment of 2012 numbers of commercial horticulture projects in an area of 4483.54 hectare (open field condition and protected condition), creation 1,25,289 MT capacity of cold storage with 21 units, 96 nos. of pack house/grading packing line/pre-cooling units/cold rooms/ripening chamber units/reefer vans projects, 37 nos. of mushrooms units and plant & machinery projects and 115 primary processing units, 203 nos. of fruits & vegetables nurseries were also accredited during the year.

In the midst of all this accomplishment so as to make production sustainable, it is pertinent that we raise questions like -Whether increase in production increased farm net income/ profits of growers? Whether prices are affordable to consumer? How safe are the fruits and vegetables produced? How much produce is being processed for value addition? Are we harnessing global market in the area of strengths? Upon brainstorming these issues with diverse stakeholders it is increasingly realised that the Indian horticulture to reach its zenith has to address identified and known issues viz., to make horticulture crop cultivation profitable, to produce safe and hygienic produce, enhance holding life / Reduction in Post-Harvest Losses, bring in transparency in price discovery and improve market efficiency, enhance processing and exports.

In our attempt to understand the magnitude of challenge and team responsible, it is conspicuous that there are very large number of stakeholders in the Sector viz., Growers, Governments- Central-DAC&FW (MIDH, NHB, NCDC, DMI), ICAR-DARE; Dept.of Commerce (APEDA), MoFPI, MoH&FW and others and State Governments; Industry including processors, Experts etc. Most of the time



government agencies are working in isolation, thus not harnessing the potential of convergence, synergy, scale of operations, results and success.

The FAO occasional paper on ***Agro-based clusters in developing countries: staying competitive in a globalized economy*** (2010) provides good insight into the enormous potential open for horticulture in Cluster approach, illustrated with success stories. The most learning feature of the paper is on 5 essential elements that makes a group of growers or farms into a cluster viz.,

1. Horizontal relationships among producers, which take the form of growers' cooperatives or various types of smallholder business consortia;
2. Vertical relationships among suppliers of raw materials and production inputs, agricultural producers, processors and exporters, branded buyers and retailers;
3. Support relationships between producers and facilitating organizations (e.g. local governments, business service providers, research institutes, universities and non-government service organizations) that reinforce the quality, efficiency and sustainability aspects of the chain.
4. Shall serve identified Targeted Market (s).
5. Undertake promotion of produce by collective branding.

It is in this scenario that NHB for the last 8 months (since April 2018), has been trying to understand the big picture of Indian Horticulture to evolve a possible road map for accelerating the all round development and benefit of growers, consumers, industry and nation.

At the end, the stated achievements of the Board in the field of Horticulture Development would not have been possible without the able guidance of the Board of Directors of NHB and the Managing Committee, for which I am grateful to Shri Radha Mohan Singh, Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare & President of the Board; Shri Parshottam Rupala, Hon'ble Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare and Vice President of the Board and all the Members of Board of Directors of NHB. I am especially thankful to Shri S. K. Pattanayak, Secretary (DAC&FW) & Chairman of Managing Committee & all the Members of the Managing Committee for their regular guidance and support. I further thank all the 3 MDs of NHB during the period 2017-18 viz., Dr. A.K. Singh currently DDG, ICAR (Horticulture) and the then MD, NHB; Dr. P. Shakil Ahmed, IAS the then JS (MIDH) and MD, NHB (additional charge) and Shri Dinesh Kumar, IAS currently JS and the then MD, NHB (in additional charge) for providing leadership during the period. I also place on record the excellent support rendered by the team of officers and staff of NHB in achieving the goals.

**(Dr. Mahammed Ariz Ahammed)**  
Managing Director



## 1. THE ORGANIZATION

National Horticulture Board (NHB) was set up by Government of India in April 1984 on the basis of recommendations of the "Group on Perishable Agricultural Commodities", headed by Dr M.S. Swaminathan, the then Member (Agriculture), Planning Commission, Government of India. The NHB is registered as a Society under the Societies Registration Act 1860, with its headquarters at Gurugram.

### 1.1 Vision

- Recognizing the fact that the Commercial Horticulture provides not only food and nutritional security but also paves the way for crop diversification for better economic gain and risk mitigation for the farmers: the need for promoting this sector by concerted efforts for private investment through commercial horticulture projects, has been visualized.
- This sector includes area expansion under commercial horticulture projects in clusters; post harvest management related infrastructure combined with public and private sector initiatives of technology development and transfer, product promotion, marketing & export.
- With this vision, National Horticulture Board is striving to accelerate the process of the development of commercial horticulture in potential clusters by organizing the producer farmers for better utilization of resources, transfer of technology and gaining benefit of scaling up.

### 1.2 Mission

- To promote commercial horticulture through development of production hubs and ensuring availability of quality planting material.
- To promote investment in Post-Harvest Management and Green Cold Chain infrastructure
- To promote development and transfer of technology for quality production
- Product promotion, market development and export promotion through synergy amongst producers, farmers, extension workers, research organizations, private stake holders and credit institutions

### 1.3 Objectives

The main objectives of the NHB are to improve integrated development of Horticulture industry and to help in coordinating, sustaining the production and processing of fruits and vegetables. Detailed objectives of the Board are given at **Annexure-I**.



## 2. SET UP

### 2.1 Board of Directors

The management of all the activities of NHB is undertaken by a paramount body, "Board of Directors", which is headed by the Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers welfare as its President and Hon'ble Union Minister of State for Agriculture and Farmers welfare as its Vice-President. Other Members of the Board are:

Sr.No.	Designation of Member	Status
1.	Union Minister for Agriculture and Farmers welfare	President (Ex-Officio)
2.	Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare	Vice-President (Ex-Officio)
3.	Union Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
4.	Director General, Indian Council of Agriculture Research	Member (Ex-Officio)
5.	Additional Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
6.	Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
7.	Joint Secretary & Mission Director (MIDH) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
8.	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
9.	Advisor (Agriculture), Niti Aayog	Member (Ex-Officio)
10.	Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Member (Ex-Officio)
11.	Representative of Ministry of Food Processing Industry (MoFPI)	Member (Ex-Officio)
12.	A representative of any other Ministry who may be invited especially with the consent of the President	Member (Ex-Officio)
13.	11 Representatives of Horticulture industry representing the interests of Co-operative Societies, leading horticulturists and leading exporters of horticulture produce. (To be nominated by the Central Govt.)	Non Officials Members
14.	Managing Director, National Horticulture Board	Member Secretary (Ex-Officio)

A list of Members of the Board of Directors of National Horticulture Board as on 31.3.2018 is given in **Annexure-II**.

### 2.2 Managing Committee of NHB

The Union Secretary (Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare) heads the Managing Committee of the NHB as its Chairman. It has been assigned the role of General Superintendent, Direction and control of the affairs and functions of the Board. The composition of the Managing Committee is as under:





S r . No.	Designation of Member	Status
1.	Union Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Chairman (Ex-Officio)
2.	Additional Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
3.	Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
4.	Joint Secretary & Mission Director (MIDH) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
5.	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
6.	Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Member (Ex-Officio)
7.	General Manager, NABARD	Member (Ex-Officio)
8.	A representative of Farmers (To be nominated by the Central Govt.)	Member
9.	Managing Director, National Horticulture Board	Member Secretary (Ex-Officio)

### 3. RESOURCES

#### 3.1 Our People

The Principal Executive of the Board is Managing Director who is assisted by technical and administrative divisions. The details of sanctioned and filled up posts are given at **Annexure-III**.

#### 3.2 Our Network

The Head Office of the Board is situated at Gurugram, Haryana. Besides, there are 29 field offices located in different parts of the country. List of our field offices are given at **Annexure-IV**.

#### 3.3 Our Infrastructure

1. A sprawling well maintained green Campus of 5.4 acres.
2. Fully computerized work environment at Head Office and also in Field offices.
3. Well equipped Library having wide range of horticultural publications.
4. Committee Halls, Guest House and Canteen Facilities at Head Office.
5. Demonstration units for Poly House and Net House.

### 4. FUNDING

The activities of the Board are funded by the Government of India by way of grants-in-aid. The details of the funds received and expenditure incurred under various Schemes during the year 2017-18 are given hereunder:



(Amount in Rs. Lakh)

Name of Scheme	Grant Received	Unspent Balance as on 01.04.2017	Total fund available	Expenditure incurred
<b>NHB</b>	53966.00	1685.78	54864.08*	36259.76
<b>NHM (TSG)</b>	200.00	59.00	259.00	157.80
<b>NBM (TSG)</b>	--	10.47	10.47	8.10

\* An amount of Rs. 787.70 lakh was refunded to DAC&FW during the year 2017-18

## 5. SCHEMES/PROGRAMMES

Since its inception, NHB has taken up various innovative programmes/schemes to promote large scale adoption of modern package of practices and processing/value addition in horticultural crops. The present compendium of schemes is set of intervention to achieve high quality commercial production, create post-harvest infrastructure and cold chain facilities, and promote Transfer of Technology for Production and Post Harvest Management. Highlights of the schemes and achievements during the year 2017-18 are given hereunder:-

### 5.1 Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management

Under this scheme, projects for establishment of commercial production units in open fields as well as under protected conditions, post-harvest management and primary processing units are eligible for financial assistance.

#### Description of components and Pattern of Assistance

Sr. No.	Particulars	Description	Pattern of Assistance
5.1.1	Commercial Horticulture Development in open field conditions on project mode	National Horticulture Board considers will take up integrated commercial horticulture development projects in open field conditions on project mode , including components viz planting material, plantation, irrigation, fertigation, mechanization, precision farming, GAP etc. for projects covering area over 2.00 ha. (5 Acres). Integrated production unit on Mushroom and tissue culture are eligible for assistance under this component. The components like farm machinery and PHM infrastructure, irrigation and micro irrigation etc. are also eligible under the scheme for assistance in existing/new orchards/projects to increase productivity	Credit linked back-ended subsidy @ 40% of project cost limited to Rs 30.00 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 37.50 lakh in NE Region, Hilly and Scheduled areas.



Sr. No.	Particulars	Description	Pattern of Assistance
5.1.2	Commercial Horticulture Development in protected cover on project mode	Commercial horticulture development projects under protected cover on project mode including components viz. planting material, plantation, irrigation, fertigation, mechanization, etc for projects having area over 2500 sq meter are being considered. Activities like construction of green houses, shade net house, plastic mulching, and plastic tunnel, anti bird /hail nets etc are eligible for assistance. However, for availing subsidy, all material/technology should conform to prescribed standards.	Credit linked back-ended subsidy @ 50% of the total project cost limited to Rs 56.00 lakh per project as per admissible cost norms. (Board is permitted to take up projects under protected cultivation in an area of 1000 sqm. and above in NE States).
5.1.3	Integrated Post Harvest Management projects	Integrated Post Harvest Management projects relating to Pack House, Ripening Chamber, Reefer Van, Retail Outlets, Pre- cooling unit, Primary processing etc. are assisted under this component. NHB also accepts standalone projects of PHM in component mode.	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the total project cost limited to Rs 50.75 lakh per project in general area and @ 50 % of project cost limited to Rs. 72.50 lakh per project in NE, Hilly and Scheduled areas.

#### 5.1.4 Achievements

Under the scheme, the Board sanctioned 2012 projects during the financial year under report involving subsidy of Rs. 29666.23 lakhs. The projects includes Hi-Tech Horticultural Crops, Tissue Culture Units, Floriculture Units, Mushroom Cultivation, Establishment of Pack House and Grading Centres, Ripening Chambers, Reefer van, Retail outlets, Pre-cooling units, Primary Processing, Honey Processing units etc.



## OPEN FIELD CULTIVATION



Grapes cultivation in open field in Nashik District (Maharashtra)



Pomegranate cultivation in open field in Anantpur District (Andhra Pradesh)



Citrus Crop Cultivation in Open Field (Gujarat)



Date Palm Cultivation in open field in Kutch Distt. Gujarat)



Guava cultivation in open field in Krishna Distt. (A.P)



Banana cultivation in open field in Raipur Distt. (Chattisgarh)



Pineapple cultivation in open field in Dimapur Distt. (Nagaland)



Cardamom cultivation in open field in Idukki Distt. (Kerala)



## PROTECTED CULTIVATION



Cucumber Cultivation under Poly House in Karnataka State



Coloured Capsicum under Poly House in Pune Distt. (MS)



Cucumber cultivation under Poly House in Gujarat State



Carnation Cultivation under Poly House in Karnataka State



Gerbera Cultivation under Poly House in Karnataka State



Rose Cultivation under Poly House in Nashik Distt.(MS)



Gerbera Cultivation under Poly House in Pune Distt. (MS)



Anthurium under Poly House in Pune Distt. (MS)



## PROTECTED CULTIVATION



Rose cultivation under Poly House in Anantpur Distt. (A.P)



Lillium cultivation under Poly House in Hisar Distt.(Haryana)



Gerbera cultivation under Poly House in Ludhiana Distt.  
(Punjab)



Lillium cultivation under Poly House in Nainital Distt.  
(Uttarakhand)



Orchid cultivation under Poly House in Khurda Distt.(Odisha)



Mushroom Production Unit in Thane Distt. (MS)



## PRIMARY PROCESSING UNITS



Primary Processing of Raising Unit in Nashik Distt. (MS)



Primary Processing of Cardamom, Idukki Distt. (Kerala)



Banana Ripening Unit in Burhanpur District (Odisha)



## REEFER VANS



NHB assisted Reefer Vans in (J&K)

## GRADING PACKING UNIT



Sapota Grading Packing Unit in Gujarat State



Apple Grading Packing Unit in H.P. State





## 5.2 Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/Expansion/ Modernization of Cold Storages and Storages for Horticulture Products

Credit linked projects relating to Cold Storages including Controlled Atmosphere (CA) and their modernization are eligible for assistance under this component.

### Description of components and Pattern of Assistance

Sr. No.	Particulars	Items	Pattern of Assistance
5.2.1	Cold Storage unit Type-1 – basic type with single temperature zone	NHB to take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per following rates. <ul style="list-style-type: none"><li>• @Rs. 8000/MT for capacity up to 5000 MT</li><li>• @Rs. 7600/MT for capacity between 5001 to 6500 MT</li><li>• @Rs. 7200/MT for capacity between 6501 to 8000 MT</li><li>• @Rs. 6800/MT for capacity between 8001 to 10000 MT</li></ul>	Credit linked back-ended subsidy @35% of the cost of project (50% in NE, Hilly Areas and Scheduled areas) for capacity above 5000 MT.
5.2.2	Cold Storage unit Type- 2 - with multiple temperature zones and basic material handling equipment	NHB to take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per following rates. <ul style="list-style-type: none"><li>• @Rs. 10000/MT for capacity up to 5000 MT</li><li>• @Rs. 9500/MT for capacity between 5001 to 6500 MT</li><li>• @Rs. 9000/MT for capacity between 6501 to 8000 MT</li><li>• @Rs. 8500/MT for capacity between 8001 to 10000 MT</li></ul>	For calculation of capacity 3.4 cubic meters (cum.) (120 cubic feet {cft}), of chamber volume shall be considered equivalent to 1 MT storage capacity. (Board is permitted to take up cold storage projects in NE Area for capacity of 1000 MT or above)
5.2.3	Cold Storage unit Type- 2 - with add on technology for Controlled Atmosphere	NHB to take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per Type 2 rates given above. Additional Rs. 10,000/MT for add on components of controlled atmosphere technology as per component wise cost.	
5.2.4	Technology induction and modernization of cold chain	<ul style="list-style-type: none"><li>• @Rs. 5000/MT for capacity between 5001 to 10000 MT</li><li>• Components of modernization include PLC equipment, packaging line, dock levelers, advance graders, alternate technologies, stacking system, modernization of insulation and refrigeration etc.</li></ul>	



### 5.2.5 Achievements

Under the scheme, the Board sanctioned 21 projects of Cold Storages/CA Storages during the financial year under report involving subsidy of Rs. 4476.76 lakh for creation of capacity of 1,25,289 MT.

#### COLD STORAGE/CA STORAGE



NHB assisted Cold Storage in Haryana State



NHB assisted CA Storage in Haryana State



### 5.3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

#### 5.3.1 Objectives

Projects for popularization of identified new technologies/tools/techniques for commercialization/adoption etc. shall be undertaken through following sub-components:

#### 5.3.2 Components & Pattern of Assistance

S.No.	Components	Pattern of Assistance
i	Setting up of block/mother plant and root stock nursery (Area above 4 ha)	Project based - 100% and only through Govt. agency/Public Sector @ Rs.100.00 Lakh /ha for effective nursery area including virus indexing, tissue culture lab etc.
ii	Acquisition of technologies including import of planting material from other countries for evaluation and mass multiplication in order to increase production & productivity of horticulture crops	Project based - 100% and only through Govt. agency/PSUs @ Rs.50.00 lakh/ project
iii	Import/procurement of new machines and Tools for horticulture for demonstration purpose	Rs. 50.00 lakh/ machine. 100% of total cost and only through Govt. agency/ Public Sector. Proposals of Growers Associations promoted by NHB and Co-operative Societies and Farmers Producers Organization may also be considered on merit as per direction of Board of Directors
iv	Development & Transfer of Technology for promoting high quality commercial production:- (i) Pilot project for introduction of new farm input and appropriate technologies etc. (ii) Development and introduction of new protocol relating to PHM, Cold Chain, Primary processing and introduction of new tools/ equipment/machineries for PHM, storage and handling etc. (iii) R &D projects for solving specific problems related to production, PHM, packaging, storage, handling and transport etc.	Up to Rs.25.00 lakh/ project as 100% of total cost and only through Govt. agency /PSU
v	Long Distance Transport Solution component to facilitate long distance transportation and bulk movement of horticulture products through rail etc.	Project based Rs 2000.00 lakh



S.No.	Components	Pattern of Assistance
vi	Product Promotion and Market Development Services- Horti-fairs	100% of cost by Central Nodal Agency @ Rs. 25.00 lakh
vii	Exposure visit of farmers (Outside State)	Project based as per actual, 100% of the cost
viii	Visit Abroad for Government Officers	Rs. 6.00 lakh per participant, 100% of air / rail travel and course fee
ix	Organization/participation in seminars/workshops/exhibitions etc. for development of horticulture	(i) The financial assistance is limited up to Rs.10.00 lakh for International event (3-5 days), Rs.5.00 Lakh for National event, Rs.3.00 lakh for State Level event and Rs.0.50 lakh for District Level event. (ii) In case of short duration (1-2 days) seminars, financial assistance would be limited to: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rs.1.00 lakh per event for State Level event,</li><li>• Rs. 2.00 lakh for National level event and</li><li>• Rs 3.00 lakh for International event (for organizations/participation of international event within India).</li></ul>
x	Accreditation and Rating of Fruit & Vegetables Nurseries	Rs 1.00 lakh/nursery by Central Nodal Agency (NHB)

### 5.3.3 Achievements

Under this scheme, NHB has assisted 71 projects for Introduction of New Technology, Visit of Progressive Farmers, Horti. Sangam, Organization/Participation in Seminars/ Symposia/ Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries, etc. and released financial assistance amounting to Rs. 171.16 lakhs.



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board



Hon'ble Union Agriculture Minister Sh. Radha Mohan Singhji during National Banana Festival-2018 held from 17-21 Feb.18 during at Thiruvananthapuram, Kerala



NHB Stall at Krishi Unnati Mela – 2018 in IARI Pusa, New Delhi (15th to 17th March 2018)



Rashtriya Krishi Mela-2017 at Motihari (Bihar) 15-19 April, 2017



## ACCREDITATION AND RATING OF FRUIT & VEGETABLE NURSERIES



Fruit Plant Nursery Accreditation & Rating in Rajasthan State



Vegetable Seedlings Nursery Accreditation & Rating in Gujarat State

### 5.4 Market Information Service for Horticulture Crops

Market information services by NHB are very crucial to collect market information and to analyze trends on wholesale prices, arrivals and trends in various markets of the country for important fruits, vegetables & flowers etc. and also on retail prices for dissemination of market intelligence reports to key stakeholders. Coverage of markets by NHB shall be increased from present 36 fruits and vegetables markets to 50 markets. This would be done by outsourcing existing marketing/professional agencies/ unemployed Agriculture graduates or recognized/ established brokers in Mandi etc. at a fixed monthly remuneration (including transport) per month as decided by the Board plus actual expenses on transmission of information to NHB (fax, internet and telephone). The NHB will consult with concerned State Govts. To identify potential markets for information collection. An exclusive cell shall be set up at NHB, Gurugram for on-line receipt, data entry, analysis, dissemination and web-site management. The work relating to this proposed MIS cell shall also be undertaken by outsourcing services of selected professional agency. To deal with work of computerization, development of technology



package, data feeding etc., outsourced staff such as Senior Programmer, Programmer and Data Entry Operators and horticulture assistant may be engaged as per need at approved rates under TSG component of MIDH. The cell will also be responsible for undertaking development of technology packages in electronic form and information dissemination through publicity, printed literature etc. and local advertisements. The expenditure amounting to Rs. 955.68 lakhs has been incurred by the Board under this scheme during the year.

#### 5.4.1 Objectives

- o To generate information on wholesale prices, arrivals and trends in various markets of the country for important fruits, vegetables & flowers etc. and also on retail prices for increased number of selected markets
- o To analyze the trends of arrivals, prices and other related factors of the selected fruit and vegetables such as stock in storage, crop stand etc. and generate Market Intelligence Reports
- o To establish a nation-wide communication network for speedy collection and dissemination of market information data for its efficient and timely utilization.
- o To prepare farmers' advisory and issue the same for the benefit of producer farmers especially by making use of statistics so generated and collected for optimizing returns to the producers
- o To collect and compile horticulture database and strengthen existing system of 'Crop Estimation Survey-Fruits & Vegetables' (CES-F&V) as far as possible
- o Information dissemination through publicity, advertisements, films, printed literature etc.
- o Development of technology packages in electronic form to be shared through IT

The details of publications of NHB are given at [Annexure-V](#).

#### 5.5 Horticulture Promotion Services/Expert Services and Strengthening Capability of NHB

Under this component, specialized studies and surveys has been carried and study/ survey reports have been published for use by targeted beneficiaries. In addition, technical laboratories may be set up or cause to be set up and also provide technical services including advisory and consultancy services.

This component is executed by NHB with its own man-power and also with services of outsourced experts and under this scheme, 100% financial assistance is provided through Nodal Organizations viz. NHB itself, State Governments/UTs and Organizations under it, Central Government Organizations/Agencies and other Organizations such as Quality Council of India/ NHRDF, etc.

An amount of Rs. 989.92 lakh has been incurred under this scheme.



## HIGHLIGHTS : 2017-18

### 1. Promotion of Commercial Horticulture

- a) **Commercial Horticulture- Open Cultivation:** 896 commercial horticulture projects of various fruits, spices and aromatic plants in open cultivation conditions in project mode by providing subsidy of Rs. 5384.74 lakh involving an area of 9899.09 acres.
- b) **Commercial Horticulture- Protected Cultivation of flowers and Vegetables:** 852 projects of flowers and vegetables under protected conditions by providing subsidy of Rs. 20389.02 lakh involving area of 1309.75 acres.
- c) **Support to Post-Harvest Management**
  - a) 85 projects for creation of Pre-cooling units, Grading packing units, Pack house, Cold Room, Conveyor Belt with an amount of Rs. 832.64 lakh.
  - b) Primary Processing: 115 primary processing units of cashew, other F&V and raisin involving subsidy of Rs. 2091.18 lakh.
  - c) 9 ripening units, 2 reefer vans projects with an amount of Rs. 291.34 lakh
- d) **Quality Planting Material:** Nursery: 16 projects for establishment of floriculture and vegetables seedlings nursery units by providing subsidy of Rs. 211.08 lakh involving area of 18.06 acres.
- e) **Supplementary activities:** 37 projects of Mushroom units, Plant & Machinery projects etc. with an amount of Rs. 420.66 lakh.

### 2. Creation of Cold Storage Capacity

- a) NHB has assisted 21 Cold Storages/CA Stores with an amount of Rs. 4476.76 lakh for creation of 1,25,289 MT capacity.

### 3. Technology Development & Transfer for Promotion of Horticulture

- a) **Capacity building Programmes:** Organized/supported 71 programmes of various activities viz. Participation in Seminars/Symposia/Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries.
- b) **Quality Planting Material:** System of Accreditation and Rating of fruit and vegetable nursery has been started since 2008-09. During 2017-18 Board accredited 203 nurseries.





राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

**4. Hon'ble President awarded the "Rajbhasha Kirti Puraskar" to NHB in Hindi Diwas Samaroh - 2017**



**5. Secretary(DAC&FW), Govt. of India visited NHB assisted projects in Bengaluru District (Karnataka) and Nashik District (Maharashtra)**





## 6. Sabka Saath Sabka Vikas Analysis: Geographic Inclusion & Social Inclusion

Analysis of NHB Schemes 13 years (Commercial Production) and 8 years (Cold Storages) [Sabka Saath Sabka Vikas (Geographic Inclusion & Social Inclusion)] are as follows:-

### Number of projects and Amount of Subsidy Released under Scheme 1,2 & 3 from 2005-06 to 2017-18



Sl No	States/UT	P-No of Projects, S-Subsidy Rs in Lakh										
		Scheme No-1 *		Scheme No-2 \$		Scheme No-3 \$		Grand Total				
		P	S	P	S	P	S	P	% of P	S	% of S	Cumulative
1	Maharashtra	22493	42047	20	2650	96	239	22609	48.2	44936	23.7	23.7
2	Uttar Pradesh	1000	3028	181	21646	94	255	1275	2.7	24929	13.1	36.8
3	Karnataka	6163	20183	4	692	54	212	6221	13.3	21087	11.1	47.9
4	Gujarat	2451	13079	7	1533	14	20	2472	5.3	14632	7.7	55.6
5	Tamil Nadu	1394	12318	3	306	19	54	1416	3.0	12677	6.7	62.3
6	Haryana	306	5196	36	5320	19	14	361	0.8	10530	5.5	67.9
7	Madhya Pradesh	1726	6814	10	1488	20	68	1756	3.7	8370	4.4	72.3
8	Punjab	447	3837	19	3646	24	62	490	1.0	7545	4.0	76.2
9	Rajasthan	1021	4978	17	2100	51	114	1089	2.3	7192	3.8	80.0
10	Himachal Pradesh	567	3935	5	1838	10	118	582	1.2	5891	3.1	83.1
11	Uttarakhand	1026	4381	3	250	136	33	1165	2.5	4664	2.5	85.6
12	Jammu & Kashmir	225	914	6	2954	265	77	496	1.1	3945	2.1	87.7
13	Telangana	2170	3595	0	0	13	6	2183	4.7	3601	1.9	89.6
14	Andhra Pradesh	829	1493	16	1811	23	72	868	1.8	3377	1.8	91.3
15	Odisha	493	3064	1	214	60	69	554	1.2	3347	1.8	93.1
16	Chhattisgarh	301	1853	9	1061	19	27	329	0.7	2941	1.5	94.6
17	Kerala	640	2798	2	94	4	7	646	1.4	2899	1.5	96.2
18	Assam	118	209	7	1484	38	80	163	0.3	1774	0.9	97.1
19	West Bengal	668	1007	5	255	41	44	714	1.5	1306	0.7	97.8
20	Arunachal Pradesh	233	312	0	0	20	217	253	0.5	529	0.3	98.1
21	Jharkhand	31	183	1	246	5	22	37	0.1	451	0.2	98.3
22	Bihar	527	292	0	0	40	105	567	1.2	397	0.2	98.5
23	Sikkim	124	152	0	0	54	244	178	0.4	395	0.2	98.7
24	Manipur	189	106	0	0	9	171	198	0.4	277	0.1	98.9
25	Mizoram	74	243	0	0	3	6	77	0.2	249	0.1	99.0
26	Nagaland	55	100	0	0	13	44	68	0.1	144	0.1	99.1
27	Tripura	0	0	2	120	7	19	9	0.0	139	0.1	99.2
28	Goa	2	46	0	0	2	1	4	0.0	47	0.0	99.2
29	Meghalaya	0	0	1	28	6	12	7	0.0	40	0.0	99.2
	<b>Total</b>	<b>45273</b>	<b>136161</b>	<b>355</b>	<b>49736</b>	<b>1159</b>	<b>2412</b>	<b>46787</b>	<b>99.7</b>	<b>188309</b>	<b>99.2</b>	
	<b>Union Territory</b>											
1	Delhi	32	1216	2	136	44	121	78	0.2	1473	0.8	100.0
2	Chandigarh	1	21	1	25	50	16	52	0.1	62	0.0	
3	A & N Islands	1	5	0	0	1	1	2	0.0	6	0.0	
4	D & N Haveli	1	4	0	0	0	0	1	0.0	4	0.0	
5	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
6	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
7	Puducherry	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
	<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>1246</b>	<b>3</b>	<b>161</b>	<b>95</b>	<b>138</b>	<b>133</b>	<b>0.3</b>	<b>1545</b>	<b>0.8</b>	
	<b>Grand Total</b>	<b>45308</b>	<b>137407</b>	<b>358</b>	<b>49897</b>	<b>1254</b>	<b>2550</b>	<b>46920</b>		<b>189854</b>		
	<b>% of Total Subsidy</b>		<b>72.4</b>		<b>26.3</b>		<b>1.3</b>					

Note-\* for the period of 2005-06 to 2017-18

\$ for the period 2010-11 to 2017-18



### All NHB Schemes- % of Projects and Subsidy from 2005-06 to 2017-18







## Component-wise progress under Scheme-1 (State-wise)

P-No of Projects, S-Subsidy Rs. In Lakh																
S.No.	State/UTs	Open Field Cultivation		Protected Cultivation		PHM/Pack House		Primary Processing Unit		Others		Grand Total				
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	% of P	S	% of S	Cumulative
1	Maharashtra	19390	22804.8	2431	16243.3	48	960.8	356	1057.9	268	980.0	22493	49.6	42046.7	30.6	30.6
2	Karnataka	5025	4908.1	632	10850.9	13	93.1	412	4047.9	81	282.9	6163	13.6	20182.9	14.7	45.3
3	Gujarat	1809	4028.0	566	7272.5	14	295.8	46	1388.4	16	94.2	2451	5.4	13078.8	9.5	54.8
4	Tamil Nadu	764	2157.5	539	8289.9	44	956.2	31	697.3	16	216.9	1394	3.1	12317.8	9.0	63.8
5	Madhya Pradesh	1530	2939.6	176	3539.1	10	165.2	3	103.0	7	67.5	1726	3.8	6814.3	5.0	68.7
6	Haryana	170	604.3	102	3308.6	15	804.0	8	262.9	11	216.5	306	0.7	5196.3	3.8	72.5
7	Rajasthan	870	1914.3	83	1563.6	34	701.2	30	777.0	4	21.7	1021	2.3	4977.8	3.6	76.1
8	Uttarakhand	439	675.4	547	3251.2	10	257.7	1	55.5	29	141.1	1026	2.3	4380.9	3.2	79.3
9	Himachal Pradesh	84	150.7	141	1576.9	221	1783.9	4	42.8	117	380.4	567	1.3	3934.7	2.9	82.2
10	Punjab	246	797.8	109	1561.2	36	705.4	16	320.4	40	451.8	447	1.0	3836.6	2.8	85.0
11	Telangana	2130	2506.2	35	963.8	3	56.9	2	68.0	0	0.0	2170	4.8	3594.9	2.6	87.6
12	Odisha	352	801.2	34	350.8	0	0.0	78	1829.9	29	81.9	493	1.1	3063.9	2.2	89.8
13	Uttar Pradesh	853	1081.8	56	956.9	46	867.5	4	59.2	41	62.3	1000	2.2	3027.7	2.2	92.0
14	Kerala	256	569.2	208	686.8	3	4.0	73	1264.9	100	272.8	640	1.4	2797.8	2.0	94.1
15	Chhattisgarh	223	662.8	56	1093.5	3	32.7	2	4.5	17	59.9	301	0.7	1853.4	1.3	95.4
16	Andhra Pradesh	810	1139.2	3	54.6	2	87.1	4	113.9	10	98.4	829	1.8	1493.1	1.1	96.5
17	Delhi	0	0.0	4	150.3	28	1065.4	0	0.0	0	0.0	32	0.1	1215.7	0.9	97.4
18	West Bengal	477	291.7	61	176.4	18	122.2	13	257.0	99	159.4	668	1.5	1006.7	0.7	98.1
19	Jammu & Kashmir	119	98.4	7	9.5	67	469.7	9	282.5	23	54.0	225	0.5	914.1	0.7	98.8
20	Arunachal Pradesh	231	249.2	0	0.0	0	0.0	2	62.5	0	0.0	233	0.5	311.7	0.2	99.0
21	Bihar	362	148.8	0	0.0	15	61.4	84	25.0	66	57.2	527	1.2	292.3	0.2	99.2
22	Mizoram	3	5.3	70	233.4	0	0.0	1	4.0	0	0.0	74	0.2	242.6	0.2	99.4
23	Assam	111	166.0	3	13.9	1	25.6	2	3.4	1	0.5	118	0.3	209.4	0.2	99.6
24	Jharkhand	18	27.3	6	97.2	0	0.0	1	24.8	6	34.1	31	0.1	183.4	0.1	99.7
25	Sikkim	36	14.0	77	127.0	0	0.0	1	3.2	10	7.6	124	0.3	151.8	0.1	99.8
26	Manipur	189	105.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	189	0.4	105.8	0.1	99.9
27	Nagaland	30	60.5	25	39.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	55	0.1	99.8	0.1	99.9
28	Goa	0	0.0	1	45.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	0.0	46.1	0.0	100.0
29	Chandigarh	0	0.0	1	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	21.4	0.0	
30	A & N Islands	1	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	5.2	0.0	
31	D & N Haveli	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	3.7	0.0	
32	Daman & Diu	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	
33	Lakshadweep	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	
34	Meghalaya	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	
35	Pondicherry	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	
36	Tripura	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	
	<b>Total</b>	<b>36529</b>	<b>48916.5</b>	<b>5973</b>	<b>62477.2</b>	<b>631</b>	<b>9515.6</b>	<b>1184</b>	<b>12756.8</b>	<b>991</b>	<b>3741.0</b>	<b>45308</b>		<b>137407</b>		
	<b>% of Total Subsidy</b>		<b>35.6</b>		<b>45.5</b>		<b>6.9</b>		<b>9.3</b>		<b>2.7</b>					



### % share under different Component of Projects and Subsidy under Scheme No-1







## Component-wise progress under Scheme-1

		P-No of Projects, S-Subsidy Rs in Lakh											
S.No.	Financial Year	Open Field Cultivation		Protected Cultivation		PHM/Pack House		Primary Processing Unit		Others		Grand Total	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
1	2017-18	896	5384.7	852	20389.0	96	1124.0	115	2091.2	53	631.7	2012	29620.66
2	2016-17	596	3102.6	498	10918.4	106	1638.6	134	2040.2	25	224.1	1359	17923.9
3	2015-16	545	1803.2	432	9351.1	79	1512.2	130	2725.2	30	367.6	1216	15759.2
4	2014-15	610	1305.0	169	2122.2	109	1991.9	140	1815.9	18	420.1	1046	7655.1
5	2013-14	2734	3563.9	528	4549.5	94	1936.0	223	2241.1	39	393.2	3618	12683.8
6	2012-13	1218	1712.5	236	1880.7	30	606.3	79	702.1	25	176.2	1588	5077.8
7	2011-12	2210	2346.4	360	2158.4	22	332.4	74	383.4	40	54.5	2706	5275.2
8	2010-11	4187	4885.1	677	3433.4	23	157.2	91	180.1	142	295.4	5120	8951.2
9	2009-10	4393	5047.0	519	2103.3	7	25.1	51	123.2	143	272.2	5113	7570.8
10	2008-09	6472	6641.1	492	2078.0	25	48.3	74	147.1	154	325.4	7217	9240.0
11	2007-08	6234	6495.0	592	1600.4	19	107.4	32	101.0	135	281.7	7012	8585.4
12	2006-07	4669	5056.5	463	1652.5	8	29.1	32	150.3	156	267.6	5328	7156.0
13	2005-06	1766	1608.9	155	240.2	13	7.1	9	56.0	31	31.4	1974	1943.6
	<b>Total</b>	<b>36529</b>	<b>48916.43</b>	<b>5973</b>	<b>62477.2</b>	<b>631</b>	<b>9515.6</b>	<b>1184</b>	<b>12756.7</b>	<b>991</b>	<b>3741</b>	<b>45308</b>	<b>137407</b>
	<b>% of Total</b>	<b>80.6</b>	<b>35.6</b>	<b>13.2</b>	<b>45.5</b>	<b>1.4</b>	<b>6.9</b>	<b>2.6</b>	<b>9.3</b>	<b>2.2</b>	<b>2.7</b>		

### Component-wise Progress Under Scheme No-1







## Capacity of Projects Under Scheme No 2 from 2010-11 to 2017-18

											C-Capacity in MT		
Sl No	State/UT	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	Grand Total			
		C	C	C	C	C	C	C	C	C	% of C	Cumulative	
1	Uttar Pradesh	0	129633	131511	350585	139014	121447	98565	55056	1025811	56.2	56.2	
2	Haryana	0	0	10179	64975	63113	12685	4518	0	155470	8.5	64.7	
3	Punjab	0	3000	0	11693	36799	15623	8015	10292	85422	4.7	69.4	
4	Maharashtra	0	0	1000	41878	17639	10359	10767	0	81643	4.5	73.9	
5	Andhra Pradesh	0	22842	3922	4544	3924	29037	5499	9760	79528	4.4	78.2	
6	Rajasthan	0	10951	10948	35926	1200	10979	1506	6000	77510	4.2	82.5	
7	Madhya Pradesh	0	0	10338	1231	0	23863	0	22102	57534	3.2	85.6	
8	Chhattisgarh	0	4892	4563	17089	17742	5200	0	0	49486	2.7	88.3	
9	Assam	0	0	0	10471	6165	19677	10552	0	46865	2.6	90.9	
10	Gujarat	0	0	0	1572	5038	8515	22954	0	38079	2.1	93.0	
11	Jammu & Kashmir	5000	1520	0	0		0	2730	17825	27075	1.5	94.5	
12	Karnataka	0	0	0	0	3551	0	13809	2954	20314	1.1	95.6	
13	Himachal Pradesh	0	0	0	7625	0	7099	0	0	14724	0.8	96.4	
14	Tamil Nadu	0	0	2325	0	6135	5112	0	0	13572	0.7	97.1	
15	West Bengal	0	0	0	0	5217	6077	0	0	11294	0.6	97.8	
16	Odisha	0	0	0	0	0	0	9982	0	9982	0.5	98.3	
17	Tripura	0	0	0	1517	7173	0	0	0	8690	0.5	98.8	
18	Kerala	0	5000	0	0	0	0	0	1300	6300	0.3	99.1	
19	Uttarakhand	0	0	0	1128	4016	600	0	0	5744	0.3	99.4	
20	Meghalaya	0	0	0	5354	0	0	0	0	5354	0.3	99.7	
21	Jharkhand	0	0	0	0	4400	0	0	0	4400	0.2	100.0	
22	Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	
23	Bihar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	
24	Goa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	
25	Manipur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	
26	Mizoram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	
27	Nagaland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	
28	Sikkim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	
29	Telangana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0	
	<b>Total</b>	<b>5000</b>	<b>177838</b>	<b>174786</b>	<b>555588</b>	<b>321126</b>	<b>276273</b>	<b>188897</b>	<b>125289</b>	<b>1824797</b>	<b>100.0</b>		
	<b>Union Territory</b>												
1	Delhi	0	0	0	800	0	0	0		800	0.04	100.0	
2	Chandigarh	0	0	0	0	246	0	0	0	246	0.01	100.0	
3	A & N Island	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	D and N Haveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Puducherry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1046</b>	<b>0.06</b>		
	<b>Grand Total</b>	<b>5000</b>	<b>177838</b>	<b>174786</b>	<b>556388</b>	<b>321372</b>	<b>276273</b>	<b>188897</b>	<b>125289</b>	<b>1825843</b>	<b>100.0</b>		





### % share of Projects & Capacity under Scheme No 2 from 2010-11 to 2017-18







### %age Share of Projects and Subsidy under Scheme No 1 & 2







## No. of Projects & Subsidy to Minority Category of Beneficiaries under Scheme - 1 & 2


		P-No of Projects, S-Subsidy Rs in Lakh													
Sr. No.	Financial Year	Budhists		Christianity		Jains		Sikhs		Parsis		Muslim		Grand Total	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
1	2017-18	0	0.0	25	225.1	12	214.3	32	970.4	0	0.0	40	1437.9	109	2847.7
2	2016-17	0	0.0	36	418.2	14	265.1	45	934.3	0	0.0	86	1536.5	181	3154.0
3	2015-16	0	0.0	19	419.5	11	274.5	15	633.1	0	0.0	87	764.8	132	2092.0
4	2014-15	0	0.0	6	85.5	3	257.1	6	515.9	0	0.0	104	785.4	119	1643.8
5	2013-14	0	0.0	11	83.2	22	236.3	18	383.1	0	0.0	81	1026.4	132	1729.0
6	2012-13	0	0.0	8	14.0	1	60.0	4	4.5	0	0.0	35	616.2	48	694.7
7	2011-12	0	0.0	32	56.5	3	626.0	15	49.1	0	0.0	40	520.5	90	1252.0
8	2010-11	3	1.2	117	143.9	9	9.7	43	128.3	0	0.0	78	933.8	250	1216.9
9	2009-10	24	21.2	67	184.4	1	4.5	35	63.2	1	1.8	115	113.1	243	388.2
10	2008-09	12	17.6	50	156.6	8	11.3	73	196.3	0	0.0	139	177.2	282	558.9
11	2007-08	56	76.0	165	224.2	20	45.9	84	248.2	1	2.8	127	149.4	453	746.4
12	2006-07	14	14.2	58	86.9	15	112.8	90	190.4	0	0.0	63	64.6	240	469.0
13	2005-06	2	1.3	83	108.1	7	4.5	28	43.7	0	0.0	53	26.1	173	183.7
	<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>131.55</b>	<b>677</b>	<b>2206</b>	<b>126</b>	<b>2122</b>	<b>488</b>	<b>4360.4</b>	<b>2</b>	<b>4.53</b>	<b>1048</b>	<b>8151.9</b>	<b>2452</b>	<b>16976.3</b>
	<b>% of Total</b>	<b>4.5</b>	<b>0.8</b>	<b>27.6</b>	<b>13.0</b>	<b>5.1</b>	<b>12.5</b>	<b>19.9</b>	<b>25.7</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>42.7</b>	<b>48.0</b>		
	<b>% of Total Projects</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>	<b>1.5</b>	<b>1.2</b>	<b>0.3</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>2.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2.3</b>	<b>4.4</b>	<b>5.4</b>	<b>9.1</b>
	<b>% of Population</b>	<b>0.7</b>		<b>2.3</b>		<b>0.37</b>		<b>1.72</b>				<b>14.23</b>			

### Gender-wise % share Under Scheme No 1 from 2005-06 to 2017-18





### Beneficiary Type assisted under Scheme No 1, 2 & 3 of NHB from 2005-06 to 2017-18





## **Annexure-I**

### **OBJECTIVES OF THE NATIONAL HORTICULTURE BOARD**

- i) Development of hi-tech commercial horticulture in identified belts and make such areas vibrant with horticultural activity, which in turn will act as hubs for development of horticulture
- ii) Development of modern post-harvest management infrastructure as an integral part of area expansion projects or as common facility for cluster of projects
- iii) Development of integrated, energy efficient cold chain infrastructure for fresh horticulture produce,
- iv) Popularization of identified new technologies / tools / techniques for commercialization / adoption, after carrying out technology and need assessment
- v) Assistance in securing availability of quality planting material by promoting setting up of scion and root stock banks / mother plant nurseries and carrying out accreditation / rating of horticulture nurseries and need based imports of planting material.
- vi) Promotion and market development of fresh horticulture produce.
- vii) Promotion of field trials of newly developed/imported planting materials and other farm inputs; production technology; PHM protocols, INM and IPM protocols and promotion of applied R&D programmes for commercialization of proven technology.
- viii) Promotion of Farm Mechanization in Horticulture through demonstration and its uses at farmers field level to reduce labour cost and increase the productivity of Horticulture crops.
- ix) Promotion of applied R & D for standardizing PHM protocols, prescribing critical storage conditions for fresh horticulture produce, bench marking of technical standards for cold chain infrastructure etc.,
- x) Transfer of technology to producers/farmers and service providers such as gardeners, nurserymen, farm level skilled workers, operators in cold storages, work force carrying out post harvest management including processing of fresh horticulture produce and to the master trainers.
- xi) Promotion of consumption of horticulture produce and products.
- xii) Promoting long distance transport solution for bulk movement of horticulture produce through rail etc.,
- xiii) Carrying out studies and surveys to identify constraints and develop short and long term strategies for systematic development of horticulture and providing technical services including advisory and consultancy services.



**LIST OF THE BOARD OF DIRECTORS OF NATIONAL HORTICULTURE BOARD (AS ON  
31.03.2018)**

Sl.No	Name, Designation, Telephone No. and E-mail ID of Official Member	Status
1.	<b>Shri Radha Mohan Singh,</b> Hon'ble Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India Krishi Bhawan, New Delhi Ph:011-23383370/23782691/ 23384129 Email: am. <a href="mailto:krishi@nic.in">krishi@nic.in</a>	President (Ex-officio)
2.	<b>Shri Parshottam Rupala,</b> Hon'ble Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India Krishi Bhawan, New Delhi Ph: 011-23782343/23782565 E-mail: <a href="mailto:mos.krishi@nic.in">mos.krishi@nic.in</a>	Vice-President (Ex-officio)
3	<b>Shri S.K. Pattanayak,</b> Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382651/ 23388444 Email: <a href="mailto:secy-agri@nic.in">secy-agri@nic.in</a>	Member (Ex-officio)
4	<b>Dr. Trilochan Mohapatra,</b> Director General, Indian Council of Agriculture Research, Krishi Bhawan, New Delhi Ph:011-23382629-476/ 25841976/23386711/ 25843190 (R) Email: <a href="mailto:dg.icar@nic.in">dg.icar@nic.in</a>	Member (Ex-officio)
5	<b>Shri Jalaj Shrivastava</b> Addl. Secretary (Hort), Department of Agriculture Coop.& Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382219 <a href="mailto:ascc-agri@nic.in">ascc-agri@nic.in</a> / <a href="mailto:sjalaj@ias.nic.in">sjalaj@ias.nic.in</a>	Member (Ex-officio)
6	<b>Shri Kumar Sanjay Krishna,</b> Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381363/23382532 Email: <a href="mailto:sanjay.krishna@nic.in">sanjay.krishna@nic.in</a>	Member (Ex-officio)



Sl.No	Name, Designation, Telephone No. and E-mail ID of Official Member	Status
7	<b>Shri Dinesh Kumar,</b> Joint Secretary & Mission Director, Mission for Intergraded Development of Horticulture (MIDH) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382444/ 23073779 Email: <a href="mailto:kdinesh@ias.nic.in">kdinesh@ias.nic.in</a>	Member (Ex-officio)
8	<b>Dr. B.N.S. Murthy</b> Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381012/23383712 Email: <a href="mailto:hortcommissioner@gmail.com">hortcommissioner@gmail.com</a>	Member (Ex-officio)
9	<b>Dr. J.P. Mishra,</b> Adviser Niti Ayog, New Delhi Ph: 011-23096796 Email: <a href="mailto:adviser.agri-pc@nic.in">adviser.agri-pc@nic.in</a>	Ex-officio Member (Agriculture),
10	<b>Shri Devendra Kumar Singh,</b> Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Siri Institutional Area, 3 <sup>rd</sup> Floor , NCUI Building, August Kranti Marg, New Delhi Ph: 011-26513167 Email: <a href="mailto:chairman@apeda.gov.in">chairman@apeda.gov.in</a>	Member (Ex-officio)
11	<b>Shri J.P. Meena,</b> Secretary Ministry of Food Processing Industry (MoFPI), Pancheel Bhawan, August Kranti Marg, New Delhi – 110 049 Ph: 011-26492476 Email: <a href="mailto:jsjpm-fpi@nic.in">jsjpm-fpi@nic.in</a>	Member (Ex-officio)
12	<b>Shri Annasaheb M.K. Patil,</b> Former Member of Parliament, Chaliscoan, Dist- Jalgoan- Maharashtra Mob: 09970095550 Email: <a href="mailto:annasaheb.mkpatil@yahoo.com">annasaheb.mkpatil@yahoo.com</a>	Non-Official Member



Sl.No	Name, Designation, Telephone No. and E-mail ID of Official Member	Status
13	<b>Shri Baldev Singh Bhandari</b> V.P.O- Jaman Ki Ser, Tehsil- Pachhad, District- Sirmaur, Himachal Pradesh- 173024 Mob: 09418048582/ 09816048582 Email: <a href="mailto:baldevbhandaribjp@gmail.com">baldevbhandaribjp@gmail.com</a>	Non-Official Member
14	<b>Shri Ved Prakash Sharma,</b> D-33, Dwarkapuri, Near Khedapati Mandir, Gwalior-474002, Madhya Pradesh Mob: 09826216038 Email: <a href="mailto:vedprakash98262@gmail.com">vedprakash98262@gmail.com</a>	Non-Official Member
15	<b>Shri Chodaraju Satya Krishnam Raju</b> Tetagunta, Tuni Mandal, East Godavari District, Andhra Pradesh- 533406 Mob: 09440238555 Email: <a href="mailto:tetagunta@gmail.com">tetagunta@gmail.com</a>	Non-Official Member
16	<b>Vacant</b>	Non-Official Member
17	<b>Vacant</b>	Non-Official Member
18	<b>Vacant</b>	Non-Official Member
19	<b>Vacant</b>	Non-Official Member
20	<b>Vacant</b>	Non-Official Member
21	<b>Vacant</b>	Non-Official Member
22	<b>Vacant</b>	Non-Official Member
23	Managing Director, NHB, Gurugram Ph: 0124-2342992, <a href="mailto:md@nhb.gov.in">md@nhb.gov.in</a>	M e m b e r Secretary (Ex-officio)



### Annexure-III

The Managing Director is the Principal Executive of the National Horticulture Board. Dr. A.K. Singh was the Managing Director of the Board during 01.04.2017 to 27.04.2017, Dr. Shakil P. Ahammed, JS (MIDH) (having additional charge of Managing Director) during 27.04.2017 to 27.07.2017 and Shri Dinesh Kumar, JS (MIDH) (having additional charge of Managing Director) during 27.07.2017 to 31.03.2018. The Board has its Head Office at Gurugram and 29 Centres located all over the Country. The Managing Director is assisted by Technical and Administrative Divisions. The total regular sanctioned posts in the Board are 155.

#### Details of Sanctioned, filled and vacant posts as on 31.03.2018 (as per 7th Pay Commission)

S. No.	Name of the post	As per 7 <sup>th</sup> CPC Pay Level & Pay Matrix		Present Position		
		Pay Level	Pay Matrix	No. of posts sanctioned	Filled	Vacant
<b>Group 'A'</b>						
1.	Managing Director	14	144200-218200	1	1	-
2.	Deputy Managing Director	13-A	131100-216600	1	1	-
3.	Director (Personnel)	12	78800-209200	1	-	1
4.	Joint Director	11	67700-208700	5	5	-
5.	Joint Director (F&A)	11	67700-208700	1	1	-
6.	Deputy Director	10	56100-177500	30	27	3
7.	Deputy Director (Information System)	10	56100-177500	1	1	-
<b>Total</b>				<b>40</b>	<b>36</b>	<b>4</b>
<b>Group "B"</b>						
1.	Accounts Officer	7	44900-142400	1	1	-
2.	O.L. Officer	7	44900-142400	1	1	-
3.	Sr. Administrative Officer	7	44900-142400	3	3	-
4.	Technical Officer (Computer)	7	44900-142400	2	2	-
5.	Hindi Translator	6	35400-112400	1	1	-
6.	Sr. Horticulture Officer	6	35400-112400	18	11	7
7.	Administrative Officer	6	35400-112400	1	-	1
8.	Sr. Accountant	6	35400-112400	2	2	-
9.	Horticulture Officer	6	35400-112400	17	8	9
10.	Jr. Accountant	6	35400-112400	2	2	-
<b>Total</b>				<b>48</b>	<b>31</b>	<b>17</b>





S. No.	Name of the post	As per 7 <sup>th</sup> CPC Pay Level & Pay Matrix		Present Position		
		Pay Level	Pay Matrix	No. of posts sanctioned	Filled	Vacant
<b>Group "C"</b>						
1.	Personal Executive	4	25500-81100	5	3	2
2.	Computer Executive	4	25500-81100	7	7	-
3.	Lower Division Clerk	2	19900-63200	5	4	1
4.	Hindi Typist	2	19900-63200	1	1	-
5.	Driver	2	19900-63200	3	1	2
6.	Electrician	2	19900-63200	1	1	-
7.	Messenger/MTS	1	18000-56900	40	36	4
8.	Budder Grafter	1	18000-56900	5	5	-
<b>Total</b>				<b>67</b>	<b>58</b>	<b>9</b>

#### Detail

S. No.	Group	Post Sanctioned	Filled	Vacant
1.	Group "A"	40	36	4
2.	Group "B"	48	31	17
3.	Group "C"	67	58	9
<b>Total</b>		<b>155</b>	<b>125</b>	<b>30</b>

In addition, 18 nos. of Temporary Status (Messenger/MTS) are employed.



**Annexure-IV**

**LIST OF FIELD OFFICES OF NATIONAL HORTICULTURE BOARD ALONGWITH THEIR COMPLETE ADDRESS**

Sl. No.	Name & Address of the Centers
01	National Horticulture Board Plot No. 60, 3rd Floor, Krishna Apartment, Azad Society, Ambawadi, Ahmedabad-380 015 Tele/Fax :079-26766416, 26766413 E-mail : <a href="mailto:gj.nhb@gov.in">gj.nhb@gov.in</a>
02	National Horticulture Board No.14/43, 2nd Floor, 1 & 2 Stage Industrial Suburb, Tumkur Road, Yeshwantpur, Bengaluru-560 022 Tele/Fax 080-23371935, 23374149 E-mail : <a href="mailto:ktk.nhb@gov.in">ktk.nhb@gov.in</a>
03	National Horticulture Board R-24, 2 <sup>nd</sup> Floor, Near Hindustan Times MP Nagar, Zone-1, Bhopal – 462011 Tele/Fax :0755 – 2550768,2761741 Email: <a href="mailto:mp.nhb@gov.in">mp.nhb@gov.in</a>
04	National Horticulture Board N-1/7, I.R.C. Village, Nayapalli, Opp. CRPF Gate Bhubaneshwar- 751015 Tele/Fax :0674-2558134,2559620 Email : <a href="mailto:odisha.nhb@gov.in">odisha.nhb@gov.in</a>
05	National Horticulture Board Room No. 317, 4 <sup>th</sup> Floor Central Facility Building, APMC Fruit Market Complex, Sector-19, Turbhe Vashi, Navi Mumbai- 400703 Tele/Fax 022-27830107 E-mail : <a href="mailto:mh.pune.nhb@gov.in">mh.pune.nhb@gov.in</a>
06	National Horticulture Board Mayukh Bhawan, 2 <sup>nd</sup> Floor, Salt Lake, Sector-II Kolkata -700091 Tele/Fax: 033-23377182,23211259 E-mail : <a href="mailto:wb.nhb@gov.in">wb.nhb@gov.in</a>
07	National Horticulture Board S.C.O. 85, 2nd Floor, Sector - 40-C Chandigarh-160 047 Tele/Fax :0172-2625249, 2625269 E-mail : <a href="mailto:chd.nhb@gov.in">chd.nhb@gov.in</a>



Sl. No.	Name & Address of the Centers
08	National Horticulture Board 19-22, (Garage) Krishi Bhawan New Delhi-110001 Tele/Fax 011-23097015,23073019 E-mail : delhi.nhb@gov.in
09	National Horticulture Board Chang Choop Building, Near Nayuma Television, Tibet Road, Gangtok-737 101 Tele/Fax :03592-208453,220975 E-mail : sikkim.nhb@gov.in
10	National Horticulture Board Chhibber House, 4th Floor, Dispur P.O., Guwahati-781 005 Tele/Fax :0361-2343719, 2340695 E-mail : assam.nhb@gov.in
11	National Horticulture Board No.2, 5-9-195, William Niwas, Chirag Ali Lane, ABIDS, Hyderabad-500 001 Tele/Fax :040-23200806, 23201140 E-mail : ts.nhb@gov.in
12	National Horticulture Board Second Floor, Modak Priyay, Plot No. 16 & 17, Near New, Atish Market, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur 302 020 Tele/Fax :0141-2399405, 2390818 E-mail : rj.nhb@gov.in
13	National Horticulture Board C/o, Director of Horticulture 2, Sapru Marg Udyan Bhawan Lucknow-226001 Tele/Fax 0522-2623374/2202420,4072096 E-mail: <a href="mailto:up.lko.nhb@gov.in">up.lko.nhb@gov.in</a>
14	National Horticulture Board Module No.37, 2nd Floor, SIDCO Readymade Garment Complex, Industrial Estate Guindy, Chennai-600 032 Tele/Fax :044-22501151/22500965 E-mail : tn.nhb@gov.in



Sl. No.	Name & Address of the Centers
15	National Horticulture Board 401, 4th Floor, Lotus Plaza, Near Lakshmi Bhavan, Old Post Office Road. Gokulpeth, Nagpur-440 010 Tele/Fax :0712-2525030,2523110 E-mail : mh.ngp.nhb@gov.in
16	National Horticulture Board Room No 501, 502, 5th Floor, Boring Road, Verma Centre Patna-800 001, Tele/Fax :0612-2541218,2541128 E-mail : bihar.nhb@gov.in
17	National Horticulture Board HPMC, 2nd Floor, Nigam Vihar, Shimla-171 002, Tele/Fax :0177-2622908/2623801 E-mail : hp.nhb@gov.in
18	National Horticulture Board Horticulture Complex Rajabagh Srinagar-190008 Tele Fax 0191-2474349 (PP), E-mail : jk.nhb@gov.in
19	National Horticulture Board No. UR-10, Uppalam Road, Statue, Thiruvananthapuram-695001 Tele/Fax : 0471-2470505, 2470506 E-mail : kerala.nhb@gov.in
20	National Horticulture Board Minicipal Stadium Complex Vijayawada-520010
21	National Horticulture Board Hall No 307, A-2, 3rd Floor South Block, Bahu Plaza Rail Head Complex, Jammu-180 004 Tele/Fax :0191-2474349, 2474112 E-mail : jk.nhb@gov.in
22	National Horticulture Board S. C. Panwar Market Yard, Commercial Complex No. 1, Peth Road Panchwati, Nashik-422003 Tele/Fax :0253-2534558,2533715 E-mail : mh.nsk.nhb@gov.in



Sl. No.	Name & Address of the Centers
23	National Horticulture Board MCAER Building 132/B, Bhambhurda Bhosale Nagar, Pune-411 007 Tele/Fax : 020-25528582, 83 E-mail : mh.pune.nhb@gov.in
24	National Horticulture Board C/O Deputy Director (Horticulture), Govt. of UP, Company Bagh, Kachahari, Varanasi- 221001 Mob.9598638136, 8004560584 E-mail : up.var.nhb@gov.in
25	National Horticulture Board Laxmi Niwas, Krishi Bhawan, Kankey Road, Ranchi-834 008 Tele/Fax :0651-2230132,2233832 E-mail : jh.nhb@gov.in
26	National Horticulture Board C/o, Directorate of Horticulture Room No. 13, 2 <sup>nd</sup> Floor Kheti Bhawan, Ranjeet Evenue Amritsar- 143001 Tele/Fax 0183-2500236
27	National Horticulture Board Naveen Sabzi Mandi Ashthal, Krishi Utpadan Mandi Samiti, Niranjapur, Dehradun- 248171 Tele/Fax 0135-2761922,2762767,2725517 E-mail : uk.nhb@gov.in
28	National Horticulture Board H.No. 42, First Floor, Jal Vihar Colony, Near Rotary Club of India, Telibandha Raipur-492001 Tele/Fax :0771-2423992 E-mail : cg.nhb@gov.in
29	National Horticulture Board C/o Regional Institute of Rural Development, Delhi-Saharanpur Road, Baraut- 250611 E-mail : up.brt.nhb@gov.in



**Annexure-V**

**LIST OF NHB PUBLICATIONS**

S.N.	Name of Publications	Price
<b>Regular Publication</b>		
01	Horticulture Information Service (Monthly) Annual Subscription • Commercial Organization • Institutes and Libraries • Single Copy	Rs. 750/- Rs. 650/- Rs. 75/-
02	Fact and Figures (Indian Fruits & Vegetables)	Rs. 600/-
03	NHB Production Year Book-(1997)	Rs. 500/-
04	Indian Horticulture Database - (1998)	Rs. 850/-
05	Indian Horticulture Database - (1999)	Rs. 500/-
06	NHB Production Year Book - (2001)	Rs. 500/-
07	Indian Horticulture Database - (2001)	Rs. 650/-
08	Indian Horticulture Database - (2002) (Released in November 2002)	Rs. 650/-
09	Indian Horticulture Database - (2003) (with CD) • Indian Horticulture Database - (2003) (without CD) • Indian Horticulture Database - (2003) (only CD)	Rs. 850/- Rs. 650/- Rs. 250/-
10	Indian Horticulture Database - (2004)	Rs. 650/-
11	Indian Horticulture Database - (2005)	Rs. 700/-
12	Indian Horticulture Database - (2006)	Rs. 700/-
13	Indian Horticulture Database - (2008)	Rs. 700/-
14	Indian Horticulture Database - (2009)	Rs. 700/-
15	Indian Horticulture Database - (2010)	Rs. 700/-
16	Indian Horticulture Database - (2011)	Rs. 700/-
17	Indian Horticulture Database - (2012)	Rs. 700/-
18	Indian Horticulture Database - (2013)	Rs. 700/-
19	Indian Horticulture Database - (2014)	Rs. 700/-
<b>Other Publications</b>		
01	First National Conference on Bee Keeping	Rs. 75/-
02	Wholesale Marketing of fruits and vegetables in Metropolitan Cities (1991-95)	Rs. 400/-
03	Wholesale & Retail Marketing of fruits and vegetables in Metropolitan Cities (1995-99)	Rs. 300/-
04	Operational Guidelines (February 2016)	Rs. 50/-
05	Approaches for Sustainable Development for Horticulture	Rs. 500/-
06	Horticulture in India	Rs. 500/-
07	Indian Horticulture - A Road Map	Rs. 500/-
<b>Note: Demand Draft must be sent in favour of National Horticulture Board payable at Gurugram (Haryana)</b>		



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

# ANNUAL ACCOUNTS OF THE NATIONAL HORTICULTURE BOARD FOR THE YEAR 2017-18



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board



*Speed test*  
भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग  
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़  
Indian Audit & Accounts Department  
Office of The Principal Director of Audit (Central),  
Chandigarh



सं/No: पी.डी.ए. (सी)/के. व्यय/SAR -NHB/2017-18/2018-19/ 2896

दि०/Dated: 13.12.2018

सेवा मे,

सचिव,  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
(Ministry of Agriculture and Farmer Welfare),  
कृषि भवन,  
नई दिल्ली - 110001

विषय: National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2017-18 के लेखाओं पर पृथक  
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृपया National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2017-18 के लेखाओं पर पृथक  
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सलंग्न पायें। संसद  
में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेजदी जाएँ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

— हस्ता —

प्रधान निदेशक

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

✓ उपरोक्त की प्रतिलिपी वर्ष 2017-18 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु  
Managing Director, National Horticulture Board, 85, Institutional Area, Sector - 18  
Gurugram, Haryana (Pin-122015) को प्रेषित की जाती है।

, उप निदेशक (केन्द्रीय व्यय)





**Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the National Horticulture Board, Gurugram for the year ended 31 March 2018**

We have audited the Balance Sheet of the National Horticulture Board, Gurugram as at 31 March 2018, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted from 2017-18 to 2021-22. National Horticulture Board has 25 operational accounting branch units, out of which 07 branch units were audited during the year 2017-18. These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been



maintained by National Horticulture Board, Gurugram in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

**A. Balance Sheet**

**Earmarked/Endowment Fund (Schedule 3): ₹ 4.94 crore**

Above includes earnest money deposits of ₹ 10.90 lakh returnable to the bidders on finalization of tender. As these are neither grant/assistance nor retained to be used for specific purpose, these should have been shown under Current Liabilities. This has resulted in understatement of Current Liabilities & Provisions and overstatement of Earmarked/Endowment Fund by ₹ 10.90 lakh each.

**B. General**

**B.1** As per the Uniform Format of Accounts, provision for retirement benefits such as pension, gratuity and leave encashment is to be made on actuarial valuation basis. Though provisions for gratuity and leave encashment were made in the accounts but the same were not made on the basis of actuarial valuation.

**B.2** Board in its Schedule of accounting policy stated that they are following depreciation as prescribed in the Income Tax Act. However, audit observed that the Board has not provided the depreciation on Computer peripherals, Library Book, Tubewell & Water Supply and Solar Panel as per the depreciation rates prescribed in Income tax Act.

**C. Grant in aid**

Out of the total Grants of ₹ 587.71 crore (including unspent balance of ₹ 20.81 crore of the previous year, grants received during the year 2017-18 of ₹ 554.93 crore and Board's miscellaneous receipts of ₹ 11.97 crore), the Board could utilize a sum of ₹ 377.21 crore and refunded ₹ 7.88 crore to the Government leaving a balance of ₹ 202.62 crore as unutilized as on 31.03.2018.

**D. Management Letter**

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the National Horticulture Board through a management letter issued separately for the remedial/corrective action.



- v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
- In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Horticulture Board, Gurugram as at 31 March 2018; and
  - In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C & AG of India

22/13/12/18

Principal Director of Audit  
(Central), Chandigarh

Place: Chandigarh  
Date:



### Annexure to Separate Audit Report

#### 1. Adequacy of Internal Audit System

The internal audit of NHB, Gurugram for the year 2017-18 was conducted by the firm of Chartered Accountant in respect of which Internal audit report was yet awaited. In case of Lucknow and Baraut branch offices internal audit was completed in June 2018 and July 2018 respectively.

#### 2. Adequacy of Internal Control System

The internal control is considered to be inadequate in view of the following:

- (i) The Board has not prepared its accounting manual.
- (ii) Utilization certificates in respect of 6038 cases involving subsidy of ₹ 87.08 crore and 09 cases involving ₹ 3.68 lakh were pending to be received from banks/Financial institutions by the Nashik branch office and Kolkata branch office respectively. Similar instances of non-receipt of Utilization certificates were also noticed in Pune (8755 cases), Lucknow and Baraut branch offices.
- (iii) Lucknow and Baraut branch offices had not maintained records related to Sanctioned Strength and Person-in-Position.

#### 3. Physical verification of Fixed Assets

Physical verification of Fixed Assets has been done during the year 2017-18.

#### 4. Physical verification of Inventory

Physical verification of Inventories except inventories of Lucknow and Baraut branch offices has been done during the year 2017-18. With respect to Lucknow and Baraut branch offices, the Board has intimated that the purchases of consumable items are being made as per the requirement and they are issued immediately, therefore, there is always Nil balance in the inventory register.

#### 5. Statutory dues

The Board was regular in depositing the statutory dues.

  
Deputy Director



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD  
GURUGRAM  
BALANCE SHEET  
AS AT MARCH 31, 2018**

(Amount in ₹.)

<b>PARTICULARS</b>	<b>SCH No.</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES</b>			
<b>CORPUS / CAPITAL FUND</b>	<b>1</b>	<b>3,337,580,473</b>	<b>1,497,769,296</b>
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>	<b>2</b>	-	-
<b>EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS</b>	<b>3</b>	<b>49,436,517</b>	<b>39,473,007</b>
<b>SECURED LOANS AND BORROWINGS</b>	<b>4</b>	-	-
<b>UNSECURED LOANS AND BORROWINGS</b>	<b>5</b>	-	-
<b>DEFERRED CREDIT LIABILITIES</b>	<b>6</b>	-	-
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>	<b>7</b>	<b>394,734,361</b>	<b>369,941,940</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3,781,751,351</b>	<b>1,907,184,243</b>
<b>ASSETS</b>			
<b>FIXED ASSETS</b>	<b>8</b>	<b>20,783,808</b>	<b>23,076,018</b>
<b>INVESTMENTS- FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS</b>	<b>9</b>	-	-
<b>INVESTMENTS - OTHERS</b>	<b>10</b>	-	-
<b>CURRENT ASSETS, LOANS &amp; ADVANCES</b>	<b>11</b>	<b>3,760,967,543</b>	<b>1,884,108,225</b>
<b>MISCELLANEOUS EXPENDITURE</b>		-	-
<b>( To the extent not written off or adjusted)</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>3,781,751,351</b>	<b>1,907,184,243</b>
<b>SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES</b>	<b>24</b>		
<b>CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS</b>	<b>25</b>		

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



**NATIONAL HORTICULTURE BOARD  
GURUGRAM  
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT  
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,2018**

(Amount in ₹)

PARTICULARS	SCH No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>			
Income from Sale & Services	12	(10,847,137)	(8,277,252)
Grants/ Subsidies	13	5,396,600,000	2,542,500,000
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income from Investments	15	-	-
( Income on Invest. From earmarked/ endow. Funds transferred to funds)			
Income from Royalty, Publication etc.	16	16,500	19,175
Interest Earned	17	150,986,116	119,568,919
Other Income	18	14,168,280	301,350
Increase/ (Decrease) in stock of finished goods and WIP	19	-	-
<b>TOTAL (A)</b>		<b>5,550,923,759</b>	<b>2,654,112,192</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
Establishment expenses	20	114,652,933	78,878,479
Other Administrative Expenses etc.	21	19,455,795	19,644,197
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	3,526,646,548	2,505,259,035
Interest	23	8,899	3,537
Depreciation (Net total at the year end - corresponding to Sch 8)	8	3,433,000	4,379,863
<b>TOTAL (B)</b>		<b>3,664,197,176</b>	<b>2,608,165,111</b>
<b>Balance being excess of Income over Expenditure ( A - B )</b>			
- For the Funds other than Cost of application & Processing Fee		1,897,573,720	54,224,333
- Cost of application & processing Fee		(10,847,137)	(8,277,252)
Transfer to Provision for Doubtful Debts(Reverse)		(11,939,415)	(9,060,000)
<b>BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND FOR OTHER THAN APPLICATION FORM AND SCHEME BROCHURE AMOUNT</b>		<b>1,909,513,135</b>	<b>63,284,333</b>
<b>BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND FOR APPLICATION &amp; PROCESSING FEE</b>		<b>(10,847,137)</b>	<b>(8,277,252)</b>
<b>SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES</b>	24		
<b>CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS</b>	25		

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)





RECEIPTS	2017-18		2016-17		PAYMENTS		2017-18		2016-17	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year		
<u>III. Income on Investments from</u>										
a) Earmarked/Endow. Funds					vii) National Horticulture Mission (TSG)			15,779,927		29,758,474
b) Own Funds (oth. Investment)					viii) National Mission on Saffron			129,065,486		73,510,181
					ix) MoFPI			121		44,309,611
					x) HMNEH			-		2,147
<u>IV. Interest Received</u>					III. Investments & Deposits made					
a) On Bank deposits & Saving Bank Accounts for					a) Out of Earmarked/Endowment funds					
-NHB Funds	129,349,329		88,651,435		b) Out of Own funds (Investments-Others)					
-Application Funds	25,217,367		30,068,401							
-NHM Funds	441,838		668,752		IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress					
-NBM Funds	32,110		72,517		a) Purchase/Additions to Fixed Assets					
-HMNEH Funds			51		i) From the Budget of Strengthening capabilities of NHB			1,544,040		1,065,540
-MoFPI Funds	1,436		257,895		ii) From the Budget of Marketing Informaiton Service Scheme			188,470		942,719
-National Mission on Saffron Funds	2,691,203		3,895,677		b) Expenditure on Capital Work-in-Progress					
			60,000							
b) Loans, Advances etc.					V. Refund of Surplus money/ Loan					
<u>V. Other Income (Specify)</u>					a) To the Government of India					
Rent from IOB	3,590,423		168,180		-HMNEH					
Income Tax Refund			25,101,435		-MoFPI					
Cost of Application form & scheme broucher	14,871,454		7,716,415							257,895
Misc. Receipts	11,695,126		361,409		- Departemnt of Agricultural & Coop. & Farmer Welfare					









## RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT ESTABLISHMENT EXPENSES FOR THE YEAR 2017-18

### Schedule-1

(Amount in ₹.)

SR. NO.	PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1	EPF Board' contribution	14,475,136	10,902,700
2	EPS including arrear	-	20,441
3	Leave encashment	1,637,529	3,108,244
4	LTC claim	981,381	692,171
5	Medical reimbursement	5,024,169	5,506,926
6	Pay & Allowance	53,504,115	43,499,407
7	Staff Welfare	222,042	299,916
8	Bonus & other allowance	24,000	78,231
9	Children Education Allowance	210,495	759,495
10	Gratuity paid during the year	1,921,450	3,689,579
11	GSLIP	-	98,007
	<b>TOTAL</b>	<b>78,000,317</b>	<b>68,655,117</b>

## RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT ADMINISTRATIVE EXPENSES FOR THE YEAR 2017-18

### Schedule-2

(Amount in ₹.)

SR. NO.	PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1	Electricity & Power	1,654,940	2,221,210
2	Bank charges & Interest	7,714	3,537
3	Generator running & Maintenance	726,283	670,967
4	Insurance	6,316	5,798
5	Repair & Maintenance	1,295,709	1,010,078
6	Security Charges & house keeping Exp.	6,386,684	4,679,312
7	Vehicle running & maintenance	192,989	327,693
8	Postage, telephone & communication charges	670,204	818,250
9	Printing & stationary	817,456	934,970
10	Conveyance & travelling	3,642,450	5,701,855
11	Newspaper & periodicals	85,141	50,021
12	Office expenses	312,878	652,299
13	Expenses on meeting & entertainment	72,706	217,934
14	Auditor remuneration & fees	378,718	581,897
15	Legal & professional charges	1,922,508	745,578
16	Advertisement & publicity	464,247	188,182
17	Photocopy charges	542,807	518,440
18	Property Tax	196,020	166,617
19	Misc expenses	16,515	-
	<b>TOTAL</b>	<b>19,392,285</b>	<b>19,494,638</b>

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018

### SCHEDULE 1

(Amount in ₹.)

CORPUS/ CAPITAL FUND :	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
Balance as at the beginning of the year				
<b>a. For the Funds other than Processing Fee and Application form account</b>	<b>1,087,317,074</b>		<b>1,143,514,336</b>	
Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	1,909,513,135		63,284,333	
Add: Reversal/(cancel) of Stale Cheques	-		(627,010)	
Add: Unspent/excess grant of prior years received back(at centre)	624,175		4,032,890	
Add: Unspent/excess grant of prior years received back(at Head Office)	40,696,032		35,964,575	
Less: Funds Remitted to Government of India	100,175,028		100,740,578	
less: Income tax refund /TDS	263,443		28,059,921	
Less: Other Recoverable	-		184,654	
Less: Interest earned on Processing & Application fee	24,282,105	<b>2,913,429,840</b>	29,866,896	<b>1,087,317,074</b>
<b>b. For Processing &amp; Application Fee Account</b>	<b>410,452,222</b>		<b>360,618,003</b>	
Add : Income tax refund/TDS	263,443		<b>28,059,921</b>	
Add : Other Recoverable	-		<b>184,654</b>	
Add : Interest earned on Processing & Application fee	24,282,105		29,866,896	
Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	(10,847,137)	<b>424,150,633</b>	(8,277,252)	<b>410,452,222</b>
<b>BALANCE AS AT THE YEAR END</b>		<b>3,337,580,473</b>		<b>1,497,769,296</b>

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

## SCHEDULE 2

(Amount in ₹.)

RESERVES AND SURPLUS :	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Capital Reserve :		
As per last Account	-	-
Additions during the year		
Less: Deductions during the year		
2. Revaluatiuon Reserve :		
As per last Account	-	-
Additions during the year		
Less: Deductions during the year		
3. Special Reserves :		
As per last Account	-	-
Additions during the year		
Less: Deductions during the year		
4. General Reserve :		
As per last Account	-	-
Additions during the year		
Less: Deductions during the year		
<b>TOTAL</b>	-	-

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018

### SCHEDULE 3

(Amount in ₹)

EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK-UP				TOTAL	
	NHM Scheme	NBM Schme	National Mission on Saffron	MoFPI Scheme	Current Year	Previous Year
a. Opening balance of the funds	5,900,224	1,047,382	31,185,400	-	38,133,007	106,341,304
Opening balance of the funds-EMD			1,340,000		1,340,000	
b. Additions to the Funds					-	-
i. Grants/ Donations	20,000,000	-	132,700,000	-	152,700,000	75,809,611
ii. Income from funds ( Interest on Saving a/c)	441,838	32,110	2,691,203	1,436	3,166,587	4,895,203
iii. Unspent grants received back from orgainsations	-	-		-	-	-
iv. Tender Fee	-	-	3,000	-	3,000	15,000
v. Earnest Money Deposit	-	-	250,000	-	250,000	1,340,000
<b>TOTAL ( a + b )</b>	<b>26,342,062</b>	<b>1,079,492</b>	<b>168,169,603</b>	<b>1,436</b>	<b>195,592,594</b>	<b>188,401,118</b>
c. Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds						
i. Capital Expenditure :					-	-
- Fixed Assets	-	-	-	-	-	-
- Grants released for projects	-	-	129,015,848	-	129,015,848	117,796,382
	-	-	129,015,848	-	129,015,848	117,796,382
ii. Revenue Expenditure :					-	-
- Salaries, Wages and allowances etc.	-	-	-	-	-	-
- Bank Charges	-	-	82	121	203	2,248
- Other Administrative expenses-TSG	15,779,927	810,542	49,556	-	16,640,026	30,871,587
- EMD Refunded	-	-	500,000		500,000	-
- Refund to MFPI/HMNEH	-	-	-	-	-	257,895
Total	15,779,927	810,542	549,638	121	17,140,229	31,131,729
					-	-
Grant Total	15,779,927	810,542	129,565,486	121	146,156,077	148,928,111
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR END ( a+b-c)</b>	<b>10,562,135</b>	<b>268,950</b>	<b>38,604,117</b>	<b>1,315</b>	<b>49,436,517</b>	<b>39,473,007</b>

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



#### SCHEDULE 4

(Amount in ₹.)

SECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government		-		-
2. State Government ( Specify)		-		-
3. Financial Institutions				
a. Term Loans		-		-
b. Interest accrued and due		-		-
4. Banks:				
a. Term loans				
- Interest accrued and due		-		-
b. Other loans (specify)				
- Interest accrued and due		-		-
5. Other Insitutions and Agencies		-		-
6. Debentures and Bonds		-		-
7. Others (Specify)		-		-
<b>TOTAL</b>		-		-

#### SCHEDULE 5

(Amount in ₹.)

UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government		-		-
2. State Government ( Specify)		-		-
3. Financial Institutions				
a. Term Loans		-		-
b. Interest accrued and due		-		-
4. Banks:				
a. Term loans		-		-
- Interest accrued and due		-		-
b. Other loans (specify)		-		-
- Interest accrued and due		-		-
5. Other Insitutions and Agencies		-		-
6. Debentures and Bonds		-		-
7. Others (Specify)		-		-
<b>TOTAL</b>		-		-

Note: Amounts due within one year

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



## SCHEDULE 6

(Amount in ₹.)

DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b. Others	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Note: Amounts due within one year

## SCHEDULE 7

(Amount in ₹.)

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>A. CURRENT LIABILITIES</b>		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors:		
a. For Goods	-	-
b. Others	-	-
3. Advances Received	-	-
4. Interest accrued but not due on:		
a. Secured loans/ borrowings	-	-
b. Unsecured loans/ borrowings	-	-
	-	-
5. Statutory Liabilities:		
a. Overdue	-	-
b. Others	-	-
	-	-
6. Other current liabilities	2,330,329	1,792,245
<b>TOTAL ( A )</b>	<b>2,330,329</b>	<b>1,792,245</b>
<b>B. PROVISIONS</b>		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	97,289,386	71,447,527
3. Superannuation/ Pension	-	-
4. Accumulated leave Encashment	68,243,746	57,891,853
5. Trade Warranties/ Claims	-	-
6. Others - Doubtful Debts	226,870,900	392,404,032
<b>TOTAL ( B )</b>	<b>392,404,032</b>	<b>368,149,695</b>
<b>TOTAL ( A + B )</b>	<b>394,734,361</b>	<b>369,941,940</b>

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)





**NATIONAL HORTICULTURE BOARD, GURUGRA  
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018**

DESCRIPTION	Rates of depreciation	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK			
		Cost As at beginning of the year	Additions during the year before 30th sep.	Deductions/ adjustment after 30th sep.	Cost as at the end of the year	As at the beginning of the year	During the year	Deductions/ adjustment	Total up to the year end	Current year end	previous year end
<b>A. FROM GRANTS-IN-AID</b>											
(I) FIXED ASSETS											
LAND:											
a. Freehold		3,139,088	-	-	3,139,088	-	-	-	3,139,088	3,139,088	-
b. Leasehold		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDINGS:											
a. On freehold land	10%	22,871,006	-	-	22,871,006	18,067,915	480,309	-	18,548,224	4,322,782	4,803,091
b. On leasehold land		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Ownership Flats/ premises		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Superstructures on land	10%	162,742	-	-	162,742	127,374	3,537	-	130,911	31,831	35,369
PLANT MACHINERY & EQUIPMENTS											
VEHICLES	15%	822,181	-	-	822,181	553,746	40,265	-	594,011	228,169	268,436
FURNITURE & FIXTURES	10%	17,455,175	56,475	57,443	17,563,373	11,083,481	645,862	-	11,729,343	5,834,030	6,369,855
OFFICE EQUIPMENT	15%	19,274,349	261,680	383,061	19,916,258	15,541,906	629,469	-	16,171,375	3,744,883	3,726,778
COMPUTER PERIPHERALS	60%	14,959,470	471,179	481,938	15,908,057	14,458,957	725,604	-	15,184,561	723,496	491,453
LIBRARY BOOKS	100%	2,039,596	2,780	22,754	2,065,130	2,032,621	21,132	-	2,053,752	11,376	6,975
TUBEWELLS & WATER SUPPLY	15%	85,040	-	-	85,040	84,740	45	-	84,785	257	300
SOLAR PANNEL	80%	2,180,036	-	-	2,180,036	1,744,029	348,806	-	2,092,835	87,201	436,007
<b>TOTAL</b>		<b>82,988,683</b>	<b>792,114</b>	<b>945,196</b>	<b>84,712,911</b>	<b>63,694,769</b>	<b>2,895,029</b>	<b>-</b>	<b>66,589,797</b>	<b>18,123,113</b>	<b>19,277,351</b>
<b>B. FROM PROCESSING FEE AND APPLICATION FORM &amp; SCHEME BROCHURE FEE AMOUNT</b>											
BUILDINGS:											
a. On freehold land	10%	2,115,724	-	-	2,115,724	1,451,788	66,394	-	1,518,182	597,542	663,937
b. On Leasehold Shops		3,134,730	-	-	2,534,730	-	471,578	-	471,578	2,063,152	3,134,730
<b>TOTAL</b>		<b>5,250,454</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,650,454</b>	<b>1,451,788</b>	<b>537,971</b>	<b>-</b>	<b>1,989,759</b>	<b>2,660,695</b>	<b>3,798,667</b>
<b>TOTAL OF CURRENT YEAR</b>		<b>88,239,137</b>	<b>792,114</b>	<b>945,196</b>	<b>89,363,365</b>	<b>65,146,556</b>	<b>3,433,000</b>	<b>-</b>	<b>68,579,556</b>	<b>20,783,808</b>	<b>23,076,018</b>
PREVIOUS YEAR		84,050,842	2,955,224	1,233,071	88,239,137	60,774,975	4,379,863	8,282	65,146,556	23,076,018	23,275,869

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



## SCHEDULE 9

(Amount in ₹.)

INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Government Securities		--		--
2. Other approved securities		--		--
3. Shares		--		--
4. Debentures and Bonds		--		--
5. Subsidiaries and Joint Ventures		--		--
6. Others ( to be specified)		--		--
<b>TOTAL</b>		--		--

## SCHEDULE 10

(Amount in ₹.)

INVESTMENTS OTHERS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Government Securities		--		--
2. Other approved securities		--		--
3. Shares		--		--
4. Debentures and Bonds		--		--
5. Subsidiaries and Joint Ventures		--		--
6. Others ( to be specified)		--		--
<b>TOTAL</b>		--		--

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



## SCHEDULE 11

(Amount in ₹.)

CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
<b>A. CURRENT ASSETS</b>				
1. Inventories:				
a. Stores and Spares	167,343			50,605
b. Stamps in hand	-			-
c. Stock in trade	-		-	-
- Finished goods	-		-	-
- Work in progress	-		-	-
- Raw Materials	-		-	-
		167,343		-
2. Sundry Debtors:				
a. Outstanding for a period exceeding 6 months	-		-	
b. Others - Deposits	-		-	
3. Cash balances in hand (including cheques/ drafts etc)		57,686		89,516
4. Bank balances				
a. With Scheduled banks:				
- On Current Accounts	-		-	
- On Deposit Accounts				
Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	349,000,000		350,000,000	
NHB's internal accrual	990,000,000		950,000,000	
- In Saving accounts (Head Office)	2,125,348,935		270,786,575	
- In Saving accounts -Imprest A/c(Centres)	7,608,708		6,714,048	
- In Saving accounts- Subsidy A/c (Centres)	756,676		988,473	
- In Saving accounts-Cost of application form & scheme broucher (centres)	98,126	3,472,812,445	145,066	1,578,634,161
b. With non-Scheduled banks:				
- On current accounts	-		-	
- On Deposit Accounts	-		-	
- On Saving accounts	-		-	
		-		-
5. Post Office Savings Accounts		-		-
<b>TOTAL ( A )</b>		<b>3,473,037,475</b>		<b>1,578,774,282</b>

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
<b>B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</b>				
1. Loans and Advances				
a. Staff	2,153,760		3,104,779	
b. Others	-		-	
c. Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity				
	-		-	
d. Soft Loan under schemes of the Board				
- Considered good and recoverable	-		-	
- Doubtful	198,729,681		208,079,681	
		200,883,441		211,184,460
2. Advances and other amounts recoverables in cash or in kind or for value to be received:				
a. On capital account	-		-	
b. Prepaid Expenses	486,698		89,778	
c. Deposits & Recoverable's	3,280,425		1,187,346	
		3,767,123		1,277,124
3. Income Accrued:				
a. On investments from Earmarked/ Endowment Fund	-		-	
b. On investments - FDR's				
Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	1,259,934		2,407,053	
NHB's internal accrual	18,773,507		23,578,275	
c. On Saving accounts	-		-	
d. On Soft loans				
- Considered good and recoverable	-		-	
- Doubtful (includes income due unrealised )	28,141,219		30,730,634	
		48,174,660		56,715,962
4. Tax Deducted at Source By Bank		35,104,844	-	36,156,396
<b>TOTAL ( B )</b>		<b>287,930,068</b>		<b>305,333,942</b>
<b>TOTAL ( A + B )</b>		<b>3,760,967,543</b>		<b>1,884,108,225</b>

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



## SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

### SCHEDULE 12

(Amount in ₹.)

INCOME FROM SALES/ SERVICES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Income from sales:				
a. Sale of Finished Goods	-		-	
b. Sale of Raw Materials	-		-	
c. Sale of Scrap	-		-	
		-		-
2. Income from Services:				
a. Processing charges	-		-	
b. Cost of Application form & scheme broucher	14,871,454		7,716,415	
Less: Expenses Incurred	(25,718,590)	(10,847,137)	(15,993,667)	(8,277,252)
c. Professional/ Consultancy Services	-		-	
d. Agency Commission and Brokerage	-		-	
e. Maintenance Services ( Equipment/ Property)	-		-	
f. Others	-		-	
<b>TOTAL</b>		<b>(10,847,137)</b>		<b>(8,277,252)</b>

### SCHEDULE 13

(Amount in ₹.)

GRANTS/ SUBSIDIES ( Irrevocable grants and subsidies received)	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government				
Planned expenditure				
From NHB Budget	5,396,600,000		2,542,500,000	
Non planned expenditure	-		-	
		5,396,600,000		2,542,500,000
2. State Government (s)		-		-
3. Government Agencies		-		-
4. Insitutions/ Welfare Bodies		-		-
5. International Organisations		-		-
6. Others ( Specify)		-		-
<b>TOTAL</b>		<b>5,396,600,000</b>		<b>2,542,500,000</b>

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



#### SCHEDULE 14

(Amount in ₹.)

FEES/ SUBSCRIPTIONS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Entrance Fees		-		-
2. Annual Fees/ Subscriptions		-		-
3. Seminar/ Program Fees		-		-
4. Consultancy Fees		-		-
5. Others		-		-
<b>TOTAL</b>		-		-

Note: Accounting Policies towards each item to be disclosed

#### SCHEDULE 15

(Amount in ₹.)

INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Invest. From Earmarked/ Endowment Funds transferred to funds )	Invest from Earmarked fund		Investment - Others	
	Current year	Previous Year	Current year	Previous year
1. Interest				
a. On Govt Securities			-	
b. Other Bonds/ Debentures			-	
c. Others ( FDs with banks )			-	-
	-	-	-	-
2. Dividends				
a. On Shares			-	
b. On Mutual Fund Securities			-	
	-	-	-	-
3. Rents	-	-	-	-
4. Others ( Specify)	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERRED TO EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS</b>	-	-		

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



## SCHEDULE 16

(Amount in ₹.)

INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Income from publications	16,500	19,175
2. Income from Royalty	-	-
3. Others ( Specify )	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16,500</b>	<b>19,175</b>

## SCHEDULE 17

(Amount in ₹.)

INTEREST EARNED	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. On Term Deposits:		
a. With Scheduled Banks	73,935,403	82,116,035
b. With Non Scheduled Banks	-	-
c. With institutions	-	-
d. Others	-	-
	73,935,403	82,116,035
2. On Savings Accounts:		
a. With Scheduled Banks	74,960,487	28,078,278
b. With Non Scheduled Banks	-	-
c. Post Office Savings Accounts	-	-
d. Others - at Centres	-	-
	74,960,487	28,078,278
3. On Loans:		
a. Employees/ Staff	23,231	95,177
b. Service charges recoverable from Beneficiaries under Soft Loan Scheme	-	-
c. Service Charges Received from Beneficiaries under Soft Loan Scheme	-	-
	23,231	95,177
4. Interest on Debtors and Other Receivables	2,066,995	9,279,429
<b>TOTAL</b>	<b>150,986,116</b>	<b>119,568,919</b>

Note: Tax deducted at source to be included

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



## SCHEDULE 18

(Amount in ₹.)

OTHER INCOME	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Profit on sale/ disposal of assets:		
a. Owned assets	-	
b. Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	
		-
2. Rent received	3,576,408	168,180
3. Fees for Miscellaneous Services	-	-
4. Miscellaneous Income	55,283	133,170
5. Service charges/Penal Interest received	10,536,589	-
TOTAL	14,168,280	301,350

## SCHEDULE 19

(Amount in ₹.)

INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Closing stock		
a. Finished Goods		
b. Work in Progress		
		-
2. Less: Opening Stock		
a. Finished Goods		
b. Work in Progress		
		-
<b>NET INCREASE/ (DECREASE) [ 1 - 2 ]</b>		-

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)





## SCHEDULE 20

(Amount in ₹.)

ESTABLISHMENT EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a. Pay and Allowances	53,504,115	43,499,407
b. Other Allowances and Bonus	6,664,369	7,036,823
c. Contribution to Provident Fund	14,469,416	10,894,469
d. Staff Welfare Expenses	262,302	299,124
e. Expenses on employees retirement & terminal benefits	39,752,731	17,148,656
<b>TOTAL</b>	<b>114,652,933</b>	<b>78,878,479</b>

## SCHEDULE 21

(Amount in ₹.)

OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a. Electricity and water charges	1,657,158	2,172,327
b. Generator running & maintenance	726,283	690,967
c. Insurance	20,765	19,165
d. Repair and maintenance	1,334,162	1,011,878
e. Security charges and house keeping expenses	6,386,684	4,679,312
f. Vehicles Running and Maintenance	263,454	330,693
g. Postage, Telephone and communication charges	664,961	812,724
h. Printing and stationery	700,718	1,057,777
i. Travelling and Conveyance expenses	3,645,450	5,704,255
j. Newspaper & periodicals	88,674	54,048
k. Office expenses	350,018	687,403
l. Expenses on meeting\entertainment	73,906	222,934
m. Auditors remunerations/ fees	378,718	581,897
n. Legal & Professional Charges	1,922,508	745,578
o. Advertisement and publicity	492,205	188,182
p. Photocopy exp.	538,780	518,440
q. Property Tax	196,020	166,617
r. Misc Expenses	15,331	-
<b>TOTAL</b>	<b>19,455,795</b>	<b>19,644,197</b>

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



## SCHEDULE 22

(Amount in ₹.)

EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Grants given to Institutions/ Organisations				-
b. Subsidies given to Institutions/ Organisations(For Other than NE states)				
i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy)	2,954,747,212		1,799,230,918	
- Legal charges for court cases under soft loan scheme	807,227		3,035,866	
ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages	447,676,300		536,615,321	
iii) Technology Development/ Promotion for Horticulture	16,298,296		26,993,765	
iv) Market Information Service for Horticulture Crops	95,230,885		81,654,029	
v) Horticulture Promotion Services	-		2,009,972	
Expenses (For NE States including Sikkim)				
i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy)	11,068,681		12,800,900	
ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages	-		39,083,000	
iii) Technology Development & Transfer for Promotion of Horticulture	817,947	3,526,646,548	3,835,264	2,505,259,035
<b>TOTAL</b>		<b>3,526,646,548</b>		<b>2,505,259,035</b>

Note: Name of entities, their Activities along with the amount of Grant/ Subsidies are to be disclosed.

As per Operational Guidelines of Schemes of National Horticulture Board, the eligible organizations are as under:-

Unless otherwise specified, organizations/promoters, such as Association of Growers, Individuals, group of farmer growers/consumers, farmers Producer Organizations (FPOs,) Partnership/ Proprietary Firms, Self Help groups (SHGs), NGOs, Companies, Corporations, Cooperatives, Co-operative Marketing federations, agricultural Produce Marketing Committees, Marketing Boards/ Committee, Municipal Corporations/Committees, Agro-Industries corporations, SAU's and other concerned R&D organizations are eligible to get assistance under all the NHB schemes.

The subsidy disbursed against each activity has been shown in the Schedule no. 22 above. Beneficiary wise details are available as separate booklet. In addition to NHB Schemes, the NHB implements the certain components of NHM, NBM, MoFPI schemes and Saffron Mission.

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

## SCHEDULE 23

(Amount in ₹.)

INTEREST	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a. On fixed loans	-	-
b. On other loans ( including Bank charges )	7,714	3,537
c. Other ( Specify )	1,185	-
<b>TOTAL</b>	<b>8,899</b>	<b>3,537</b>

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)

## NATIONAL HORTICULTURE BOARD SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2018

### **SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

#### **ACCOUNTING CONVENTION**

1. The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

#### **2. VALUATION OF INVENTORIES**

Stores, Spares (including machinery spares) and stationery items are valued at cost.

#### **3. EXCISE DUTY**

Not Applicable.

#### **4. FIXED ASSETS**

The Fixed Assets are shown in accounts at historical cost less depreciation.

#### **5. DEPRECIATION**

- a) Depreciation has been provided on Written Down Value method at the rate as per provisions of the Income Tax Act, 1961.
- b) In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation has been provided as per provision of the Income Tax Act, 1961.

#### **6. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES**

Grant-in-aid received from the Department of Agriculture, Co-operation & Farmer Welfare, Govt. of India is accounted for on receipt basis.

Grants-in-aid received from the government under various Schemes, other than NHB Schemes, have been recorded in Earmarked Funds.

#### **7. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**

Transactions in Foreign Currencies are recorded at exchange rates prevailing on the date of respective transactions.

#### **8. RETIREMENT BENEFITS**

- a) Provision towards Gratuity payable on death / retirement of employees is accounted for on the accrual basis.
- b) Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड  
National Horticulture Board

## 9. REVENUE RECOGNITION

- a) Income such as interest on FDR's, service charges on loans & advances are accounted for on accrual basis.
- b) Unutilized balances under various schemes are accounted for as and when received.
- c) Amount released for assistance/subsidy under various schemes are shown as expenditure in the year of release and unutilized amount for previous years received back during the current year are recorded in Corpus/Capital Fund.

10. Provision for Pay and Allowances for the month of March 2018 has not been made in the accounts because the same is payable in the next year.

Place: Gurugram  
Date: 25/06/2018

Sd/-  
Managing Director

Sd/-  
Deputy Managing Director

Sd/-  
Joint Director (F&A)

## NATIONAL HORTICULTURE BOARD SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2018

### **SCHEDULE 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS**

#### **1. CONTINGENT LIABILITIES**

1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts - Rs. NIL (Previous year Nil)

1.2 In respect of:

- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Bills discounted with banks Rs NIL (Previous year Rs NIL)

1.3 Disputed demands in respect of:

- Sales-tax Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Municipal Taxes NIL (Previous year Rs. NIL)

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity - Rs Nil (Previous Year Nil)

#### **2. CAPITAL COMMITMENTS**

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous year Nil)

#### **3. LEASE OBLIGATIONS**

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs NIL (Previous year Rs. NIL)

#### **4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES**

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value of realization in the ordinary course of business, equal to the aggregate amount shown in the Balance Sheet

#### **5. TAXATION**

National Horticulture Board (NHB) had been notified by Central Government under Section 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961, up to the assessment year 2008-09. The NHB filed application with the Income Tax Authorities for renewal of exemption u/s 10(23C) (iv) of the Income Tax Act 1961 for Assessment Year 2009-10 to 2010-11, but the same was rejected by the Chief Commissioner of Income Tax(CCIT). The Board has filed writ petition in the High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh against the order of the CCIT. The decision in the matter is awaited from the Hon'ble High Court.

The NHB had also filed application with the CCIT, Panchkula, Haryana on 16.04.2010 to grant exemption to NHB under section 10(23C) (iv) of the Income Tax Act, 1961 for assessment year 2011-12 to 2013-14. The CCIT rejected the above said application of NHB vide order dated 26.04.2011. The NHB filed writ petition in the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana at



Chandigarh against the above said order dated 26.04.2011 issued by the CCIT. The Hon'ble Court directed the CCIT to re-decide the application of petitioner in the view of the documents placed before it. No decision in the matter is received from CCIT till date.

The NHB had also filed application with the CCIT, Panchkula, Haryana on 31.03.2014 to grant exemption to NHB under section 10(23C) (iv) of the Income Tax Act, 1961 for assessment year 2014-15 and onwards, but the same has been rejected by the Chief Commissioner of Income Tax (CCIT). The Board has filed writ petition in the High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh against the order of the CCIT. The decision in the matter is awaited from the Hon'ble High Court.

The Board is also registered with Income Tax Authorities u/s 12 AA of the Income Tax Act, 1961.

The Assessing officer, during the assessment proceedings for the Financial Year 2008-09 (relevant to assessment year 2009-10) treated the receipts on account of Application cum Brochure Fee as non charitable activity and levied a tax of Rs.98,96,505/- on the application cum brochure fees received by NHB. The NHB deposited the same under protest. NHB filed an appeal against the order of the Assessing Officer. The Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), New Delhi has decided the appeal in favour of NHB. Accordingly refund of Rs. 1,26,18,040/- ( Tax deposit Rs. 98,96,505/- plus Interest Rs. 27,21,535/-) is received during the year from the Income Tax Authorities. However, the Income Tax Department has filed appeal in Hon'ble High Court of Punjab & Haryana, Chandigarh against the order of ITAT. The decision for the same is still awaited.

The Assessing officer, during the assessment proceedings for the Financial Year 2009-10 (relevant to assessment year 2010-11) treated the receipts on account of Application cum Brochure Fee as non charitable activity and levied a tax of Rs.1,52,04,930/- on the application cum brochure fees received by NHB. The NHB deposited the same under protest. NHB filed an appeal against the order of the Assessing Officer. The Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), New Delhi has decided the appeal in favour of NHB. Accordingly refund of Rs. 1,75,61,690/- ( Tax deposit Rs. 1,52,04,930/- plus Interest Rs. 23,56,760/-) is received during the year from the Income Tax Authorities. However, the Income Tax Department has filed appeal in Hon'ble High Court of Punjab & Haryana, Chandigarh against the order of ITAT. The decision of the same is still awaited.

The Assessing officer, during the assessment proceedings for the Financial Year 2010-11 (relevant to assessment year 2011-12) treated the receipts on account of Application cum Brochure Fee as non charitable activity and levied a tax of Rs.76,99,700/- on the application cum brochure fees received by NHB. The TDS amounting to Rs.80,72,944/- was already deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits of NHB during the Financial year 2010-11. The Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), New Delhi has decided the appeal in favour of NHB. Accordingly refund of Rs. 99,40,710/- (Including Interest ) is received during the year from the Income Tax Authorities. However, the Income Tax Department has filed appeal in Hon'ble High Court of Punjab & Haryana, Chandigarh against the order of ITAT. The decision for the same is still awaited.

The Assessing officer, during the assessment proceedings for the Financial Year 2011-12 (relevant to assessment year 2012-13) treated the receipts on account of Application cum Brochure Fee as non



charitable activity and levied a tax of Rs.21,81,917/- on the application cum brochure fees received by NHB. The TDS amounting to Rs.80,44,928/- was already deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits of NHB during the Financial year 2011-12. NHB has filed an appeal, against the order of the Assessing Officer. The Commissioner of Income tax (Appeal) has decided the appeal in favour of NHB. Accordingly refund of Rs. 92,51,660/- (including Interest) is received during the year from the Income Tax Authorities.

The Assessing officer, during the assessment proceedings for the Financial Year 2012-13 (relevant to assessment year 2013-14) treated the receipts & its interest on account of Application cum Brochure Fee as non charitable activity and levied a tax of Rs.38,92,965/- on the application cum brochure fees received by NHB. The TDS amounting to Rs.85,38,377/- was already deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits of NHB during the Financial year 2012-13. A refund of Rs. 67,59,816/- (including interest) is received during the year from the Income Tax Authorities. For the balance amount, the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), Chandigarh) has decided the case in favour of NHB. However, TDS amount of Rs.29,05,197/- is still pending with Income Tax Authorities.

The Assessing officer has issued notice U/s 143(2) of the Income Tax act 1961, for the Financial Year 2013-14 (relevant to assessment year 2014-15) & assessed Income by CIT (A) amounting to Rs. 3,15,54,236/-. Accordingly, raised a demand of Rs. 12,95,290/- after adjusting TDS amounting to Rs.87,95,725/- which was already deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits of NHB during the Financial year 2013-14. For the same, the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), Chandigarh) has decided the case in favour of NHB. Accordingly, a refund of Rs.1,08,62,720 (TDS Rs. 87,95,725/- plus Interest Rs. 20,66,995/-) has been received from Income Tax Authorities during the year.

The NHB has filed Income Tax return of Nil Income for the Financial Year 2014-15 (relevant to assessment year 2015-16) claiming Refund of Rs. 73,00,450/- which was deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits of NHB during the Financial year 2014-15. The same is still refundable from the Income Tax Authorities.

The NHB has filed Income Tax return of Nil Income for the Financial Year 2015-16 (relevant to assessment year 2016-17) claiming Refund of Rs. 89,43,420/- which was deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits of NHB during the Financial year 2015-16. However, the Assessing officer has issued notice U/s 143(2) of the Income Tax act 1961. The decision for the same is still awaited.

The NHB has filed Income Tax return of Nil Income for the Financial Year 2016-17 (relevant to assessment year 2017-18) claiming Refund of Rs. 82,11,604/- which was deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits of NHB. The same is still refundable from the Income Tax Authorities.

The TDS amounting to Rs.77,44,173/- is deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits & on rent paid to NHB during the Financial year 2017-18 (relevant to assessment year 2018-19) which is claimable as refund at the time of filing of Income Tax Return with the Income Tax Authorities.





## 6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 6.1 Values of Imports Calculated on C.I.F. Basis:
- |   |     |
|---|-----|
| - Purchase of finished Goods                        | NIL |
| - Raw Materials & Components (Including in transit) | NIL |
| - Capital Goods                                     | NIL |
| - Stores, Spares and Consumables                    | NIL |
- 6.2 Expenditure in foreign currency
- |   |               |
|---|---------------|
| a) Travelling Expenses  | Rs.5,20,385/- |
| b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/banks in Foreign Currency |               |
| c) Payment made towards purchase of Machinery for Technology Awareness                  | NIL           |
| d) Other expenditure:   |               |
| - Commission on Sales   | NIL           |
| - Legal and Professional Expenses   | NIL           |
| - Miscellaneous Expenses :-   | NIL           |
- 6.3 Earnings:
- |                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| - Value of Exports on FOB basis | NIL |
|---------------------------------|-----|
- 6.4 Remuneration to auditors:
- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| - As Audit Fees          | NIL |
| - Out of Pocket Expenses | NIL |
| - Taxation Matters       | NIL |
| - Others                 | NIL |
7. The Funds accumulated on account of processing fee/cost of application form & scheme brochure and expenditure incurred as well as Fixed assets created out of the processing fee/cost of application form & scheme brochure amount has been shown separately in the annual accounts of the Board.
8. The service charges are not provided for in the suit filed soft loan cases from the year in which civil suit has been filed. However, service charges to the extent of recovery have been provided in suit filed cases where amount has been recovered during relevant period.
9. As per practice in NHB regarding adjustment of recovery of those soft loan cases in which lump sum amount of recovery is less than principal amount and service charges due, the NHB adjust the amount of recovery first in service charges and the remaining amount in principal amount.
- However, an amount of Rs.1,19,39,415/- received during the year in two Soft Loan Case, out of which an amount of Rs. 93,50,000/- was received on account of principal amount and remaining Rs. 25,89,415/- as service charges as per directions of the Hon'ble High Court in such case. Accordingly, the same has been adjusted in the books of accounts. Further on the same, Penal Interest amounting of Rs.1,05,36,589/- has been received during the year.
10. The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India decided (February 2017) to temporarily transfer land & building of erstwhile National Oil Seeds & Vegetable Oil



Development Board (NOVOD) wound up in September 2016 to NHB and directed NHB to pay wages of security staff, electricity expenses etc. from their budget for which funds would be transferred to NHB later on. The NHB paid an amount of Rs. 23,78,888/- during 2017-18 on account of wages, electricity expenses etc. by showing recoverable from NOVOD Board.

11. Rent received from Indian Overseas Bank amounting to Rs. 35,76,408/- includes rent in arrears related to previous years which is calculated on provisional basis subject to final assessment and its adjustment later on accordingly.
12. Provision for Penal Interest in respect of late payments of dues by the beneficiaries has not been made in the accounts. It is accounted for on receipt basis.
13. The Board has filed civil suits against defaulter loanies for recovery of soft loans. The provision for doubtful debts amounting to Rs.22,68,70,900/- has been made up to 31.3.2018.
14. Court fees, if any, in respect of cases where civil suit has been filed, has been debited to expenditure account on payment basis.
15. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.
16. Figures have been rounded off to the nearest rupee.
17. Schedules 1 to 25 are annexed to and from an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2018 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date.

**Place: Gurugram**  
**Date: 25/06/2018**

**Sd/-**  
**Managing Director**

**Sd/-**  
**Deputy Managing Director**

**Sd/-**  
**Joint Director (F&A)**



# NHB HERALDING GOLDEN REVOLUTION

## NHB Schemes Provides

For Production of Fruits  
(in Open Field) and



Vegetables & Flowers  
(in Protected Cultivation)



For Post Harvest Management  
through Primary Processing,  
Pack Houses, Reefer Vans,  
Cold Rooms and Ripening  
Chambers



For Cold Chain Development  
through Cold Storages,  
CA Stores & Modernization



For Technology Development &  
Transfer for Promotion of  
Horticulture



**राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड**  
National Horticulture Board

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India  
प्लॉट नं. 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)  
Plot No. 85, Institutional Area, Sector-18, Gurugram-122015 (Haryana)  
दूरभाष/Tel.: 0124-2342992, फैक्स/Fax: 0124-2342991, 2341225